राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का आठवां दिवस [संख्या 4

सोमवार,

दिनांक 9 नवम्बर, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, सिंचाई, वित्त, विद्युत, पंचायत, परिवार नियोजन, निर्वाचन, योजना, आबकारी, अकाल सहायता, यातायात विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 42

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा

चोसला बान्ध।

43. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ तहसील के ग्राम बिलसरी के पास मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मन्दसोर जिले की सेवना नदी पर चोसला बान्ध बनाने की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो कब और इससे प्रतापगढ़ तहसील के कितने गांव डूब में आयेंगे?

(2) क्या यह नदी मध्यप्रदेश के मन्दसोर तहसील और राजस्थान की प्रतापगढ़ तहसील की सीमा बनाती हुई बह रही है व क्या राजस्थान सरकार ने बान्ध बनाने की स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो कब?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) (क) जी नहीं (ख) प्रश्न नहीं उठता। (2) (क) जी हां। (ख) जी नहीं।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि इसका बनना शुरू हो गया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक यह नहीं बन रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। यह इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट है इसलिये जब कभी भी इसकी मंजूरी दी जायगी तो राजस्थान सरकार की बिना अनुमति के नहीं दी जा सकती है। इसलिये जब ऐसी अनुमति मांगेंगे तब आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री हरलाल मीणा : क्या राजस्थान सरकार इसका सर्वे कराने की अधिकारी है?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : सर्वे कराया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा।

ओवर ड्राफ्ट की राशि

43. **श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली):** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर 30 मार्च, 1970 तक 20-17 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था? यह रकम सरकार ने कौनसी ऐजेन्सीज से ओवर ड्राफ्ट की है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह ओवर ड्राफ्ट राज्य की किस सिक्योरिटी पर प्राप्त की जा सकी है सरकार यह रकम कब से लेती आ रही है? कृपया सालवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रकम पर वार्षिक सूद किस दर से और कितना कितना किस किस को दिया जाता है?

(4) राज्य सरकार इस रकम को कब तक सूद सहित चुका पायेगी?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (1) जी हां। राज्य सरकार का खजांची केवल रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के होने के कारण सरकारी लेन देन का खाता संचित रूप से उन्हीं के हाथ रखा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का यह कार्य स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवम् स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर की शाखाओं (जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की ऐजेन्सीज हैं) से सम्पादित कराता है एवम् राज्य सरकार के खातों में दैनिक लेन देन की सूचना प्राप्त करता रहता है और इसी के आधार पर संचित खाते में जो बेलेन्स होता है वही राज्य सरकार के खाते का बेलेन्स है। इस प्रकार अलग अलग ऐजेन्सीज से ओवर ड्राफ्ट लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

(2) यह ओवर ड्राफ्ट रिजर्व बैंक से राज्य की किसी भी सिक्योरिटी पर प्राप्त न किया जाकर उनके साथ खुले रूप से रहता है। ओवर ड्राफ्ट का होना व न होना राज्य सरकार के खाते में दैनिक लेन देन के आधार पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष 1969-70 में 30-6-69 को राज्य सरकार के खाते में कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था। अतएव सालवार ब्यौरा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) ओवर ड्राफ्ट की रकम पर सूद केवल रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को बैंक की दर से (5 प्रतिशत वार्षिक) कटवा मिती के हिसाब से हर महीने दिया जाता है।

(4) राज्य सरकार द्वारा ओवर ड्राफ्ट का चुकारा वित्तीय साधनों में सुधार होने एवम् केन्द्रीय सरकार से वित्तीय घाटे की

(श्री मथुरादास माथुर)

पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता के प्राप्त होने पर निर्भर करता है। जहां तक सूद चुकाने का प्रश्न है, सूद हर महीने चुका दिया जाता है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या राज्य सरकार को इस सूद की रकम देना बकाया है ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई बकाया नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): ड्राफ्ट की पोजीशन क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : 48 करोड़।

श्री भैरोंसिंह : इस 48 करोड़ में कितना ओवर ड्राफ्ट किस तरह का है जिनका आपको तीन महीने में भुगतान करना है।

श्री मथुरादास माथुर : एक करोड़ को टालकर बाकी का सभी तीन महीने में चुकारा करने का है। ये रिजर्व बैंक के रूल्स हैं। भारत सरकार में हमारा बहुत रुपया बकाया है। प्लान असिस्टेन्स का, फेमिन का। उस वजह से ओवर ड्राफ्ट बढ़ गया है।

श्री भैरोंसिंह : तीन महीने में जो भुगतान करना है- एक करोड़ को छोड़ कर वह क्या तीन महीने की अवधि में चुकाया जाना चाहिये या यह मान कर चलें कि भारत सरकार से आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी उस समय तक ओवर ड्राफ्ट का भुगतान नहीं हो सकेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका प्रश्न नहीं है। यह तो हम भी भारत सरकार में रुपया मांगते हैं और भारत सरकार का भी रुपया बकाया है। कल के दिन ओवर ड्राफ्ट 45 करोड़ का भी हो सकता है, 40 करोड़ का भी रह सकता है। यह सब वेज एन्ड मीन्स की पोजीशन पर है। ओवर ड्राफ्ट हमारी लिमिट से बढ़ता है तभी भारत सरकार से हमको पैसा मिलने का होता है। फैमीन का पैसा हमें भारत सरकार से मिलना है। इसमें बहुत बड़े इम्पोर्टेन्ट फैक्टर्स हैं। कुछ प्लान की रकम दी है, कुछ हम खर्च कर देते हैं। यह सेन्ट पर्सेंट मिलता है इसलिए ओवर ड्राफ्ट का कोई सवाल नहीं है और न ही ओवर ड्राफ्ट की फिगर से हमें अलर्ट रहने की कोई खास बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने राजस्थान सरकार के लिये ओवर ड्राफ्ट की मेक्सिमम लिमिट फिक्स कर रखी है ?

श्री मथुरा दास माथुर : लिमिट फिक्स नहीं कर रखी है। पहले एक करोड़ थी लेटेस्ट फाइनेन्स कमीशन ने तीन करोड़ की सहूलियत दे रखी है। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से मिलकर हर एक स्टेट का मुकर्रर किया हुआ है। फाइनेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन के अनुसार तीन करोड़ का ले सकते है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि निश्चित मेक्सिमम ओवर ड्राफ्ट का भुगतान निश्चित समय में नहीं चुका पाये तो कानून का उल्लंघन होता है ?

श्री मथुरा दास माथुर : इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री शिवनाथ सिंह ।

प्रश्न सं. 45

श्री शिवनाथ सिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 46

श्री मजलिस खां ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 47

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 48

श्री बिरदाराम ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहर सिंह मेहता ।

कोठारी नदी पर बांध

49. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेजा के बाद कोठारी नदी का पानी चालीस माइल तक यों ही बहता है और त्रिवेणी में मिल जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि गांव गपेसरा (तहसील कोटड़ी) के पास बोरीमाता नामक स्थान पर यदि कोठारी नदी में बान्ध बन्धवा दिया जाये तो जहां एक ओर हजारों बीघा जमीन पीवल होगी वहां दूसरी ओर बीगोद, नन्दराय तथा कई ऐसे गांवों को, जहां कहीं से भी पानी मिलने वाला नहीं है, पानी मिल सकेगा और हजारों परिवार खुशहाल हो जायेंगे ?

(3) क्या इस बान्ध की सर्वे हो रही है ? यदि हां, तो किस स्टेज में है और काम कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) :

(1) जी हां ।

(2) सर्वे करने के पश्चात् ही यह मालूम हो सकता है ।

(3) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के पश्चात् ही यह काम हाथ में लिया जा सकेगा ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मुझे यह अर्ज करना है क्या इसका सर्वे हो रहा है ?

श्री जसराज : इसका सम्भावित प्रतिनिधि मंडल बन गया है । इसकी जांच हो रही है । इसके बाद ही सर्वे हो सकेगा ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : क्या यह आशा रखनी चाहिये कि इस वर्ष इसको ले रहे हैं क्योंकि 40 माइल का पानी बेकार जाता है जिसमें हजारों बीघा जमीन सिंचित करने की क्षमता है ?

श्री जसराज : जांच होने के बाद ही उसका सर्वे कराने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

Page No 5

श्री जसराज : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी।

अविवाहित पुरुषों की नसबन्दी।

50. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत दो वर्षों में कितने अविवाहित पुरुषों की नसबन्दी की गई ?

(2) इस प्रकार के आपरेशन करने वालों और उकसाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार की नसबन्दी हो जाने पर रीकनेलाइजेशन करने की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो राज्य में कहां कहां और कितने कितने व्यक्तियों के इस प्रकार के रीकनेलाइजेशन आपरेशन किये गये और इसके कितने केसों में सफलता मिली और सफलता के क्या प्रमाण हैं ?

(4) क्या स्त्रियों के भी रीकनेलाइजेशन के केसेज राज्य में हुये हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितने सफल रहे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री परिवार नियोजन मंत्री।

(अनुपस्थित)

सिंचाई मंत्री (श्री राम प्रसाद लड़ढा) इसको थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें है क्या ? कोई भी जवाब दे सकता है ?

श्री ओमदत्त भाटी : बड़े खेद का सवाल है।

प्रश्न सं. 51

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भू राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण

नगरपालिकाओं एवं परिषदों के चुनाव

52. **श्री दौलत राम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान की नगरपालिकाओं एवं परिषदों के निर्वाचन कब उनकी निर्वाचन अवधि के अनुसार करवाने चाहिये थे ?

(2) उनके चुनाव समय पर अवधि समाप्त होने से पूर्व क्यों नहीं करवाये गये ?

(3) कितनी बार चुनाव की तिथियां निर्धारित की गईं और कितनी बार चुनाव तिथियों की विधान सभा में घोषणायें करके भी चुनाव नहीं करवाये गये ?

(4) क्या यह सही है कि बार बार आदेश निर्णय कार्यक्रम बदलने से प्रशासनिक खर्च अधिक हुआ है ?

(5) राज्य सरकार अपनी घोषणायें निर्णय आदेश बार बार बदलती है, उन पर टिकती नहीं, इससे जनता की नजरों में और प्रशासनिक तन्त्र की दृष्टि में सरकार की साख घटी और विश्वास गिरा है, क्या यह सही है ?

निर्वाचन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) राजस्थान की विभिन्न नगरपालिकाओं, मण्डलों एवं परिषदों की मूल अवधि एवं बढ़ाई गई अवधि संलग्न सूची के अनुसार समाप्त हुई और नगरपालिकाओं के आम चुनाव मूल व बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से पूर्व करा दिये जाने चाहिये थे।

(2) प्रशासनिक कारणों से चुनाव नहीं कराये जा सके। अब 25 अक्टूबर, 1970 को 130 नगरपालिकाओं एवं परिषदों के चुनाव कराये जा चुके हैं, शेष के जल्दी करा दिये जावेंगे।

(3) चुनाव सम्पन्न कराने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत 19-9-1970 को पहले पहल तिथि निर्धारित की गई और चुनाव उसी तारीख यानि 25-10-1970 को सम्पन्न करा दिये गये। विधान सभा में चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में छः बार निम्नानुसार संकेत दिये गये थे :

संकेत दिये जाने का समय	संकेतानुसार चुनाव कराये जाने का समय

(1) जून, 1967 (2) अप्रेल, 1968 (3) सितम्बर, 1968 (4) अगस्त, 1969 (5) जनवरी, 1970 (6) मई, 1970 इसके अनुसार दिसम्बर, 1967 मई-जून, 1968, अप्रेल, 1969, फरवरी, 1970, मई-जून, 1970 तथा जुलाई-अगस्त, 1970

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। इसके परिणाम चुनाव परिणामों से ही लगा सकते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : यह प्रशासनिक कारण क्या थे जिनकी वजह से 6 बार विधान सभा में आश्वासन दे चुकने के बाद भी आप चुनाव नहीं करा सके ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : दिसम्बर 67 में चुनाव नहीं करा सकने का प्रशासनिक कारण यह था कि निर्वाचन नामावलियों के प्रकाशित होने पर ज्ञात हुआ कि निर्वाचनदाताओं की संख्या के आधार पर कुछ नगरपालिकाओं के वार्ड्स डिसप्रपोर्शनेट हो गये हैं अतः दिसम्बर में नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराये जा सके। दूसरा कारण यह था कि द्विसदस्यीय वार्ड्स के विषय में कुछ अड़चन यह आ गई थी कि उनको सिंगल सदस्यीय वार्ड्स कर दिया जाये। तीसरा कारण यह था कि राज्य में अकाल की स्थिति पदा हो गई थी। इसी प्रकार की स्थिति दूसरे साल आगई थी। अभी जुलाई-अगस्त में स्थगित करने का कारण यह था कि जिस समय कार्यक्रम निर्धारित हो गया था उस समय कुछ श्वेताम्बर जैनधर्म वालों का एक शिष्ट मंडल सरकार से मिला कि उनके पर्यूषण पर्व हैं इसलिए फिलहाल स्थगित किये जाये। और इसमें आगे बढ़ाने की कार्यवाही की जाने लगी तो दिगम्बर जैन के पर्यूषण पर्व आगये। जब एक पर्यूषण का ख्याल रखा गया तो दूसरे का भी ख्याल रखना पड़ा और इसके बाद अभी चुनाव कराये गये हैं जो आपके सामने हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 6 बार आपने विधान सभा में चुनाव कराने का

(श्री दौलतराम सारण)

आश्वासन दिया और उस आश्वासन के बाद भी आप चुनाव नहीं करा सके। जो प्रशासनिक कारण आपने बताये हैं वे कोई खास प्रशासनिक कारण नहीं हैं। निर्वाचन नामावलियों को ठीक करवाना प्रशासन का काम है, उनमें कोई गलती न हो और वे नियमानुकूल हों यह भी प्रशासन का काम है, वार्ड्स नियमानुसार बनें यह भी प्रशासन का काम है, इसलिये यह कोई कारण नहीं हो सकता फिर ऐसी गलती 10-25 नगरपालिकाओं में हो सकती है तो इसके लिये सारी नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित किये जायें, यह उचित नहीं लगता और जो प्रशासनिक कारण मंत्री महोदय ने यहां पर बताये हैं वे न्यायसंगत प्रतीत नहीं होते। इसीलिये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किन कारणों से आपने ये चुनाव समय पर न करा कर कानून का उल्लंघन किया है? वे क्या कारण हैं कि आपने जनता को अपने अधिकार से वंचित रख कर चार वर्षों तक इन नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराये हैं?

श्री नारायण सिंह मसूदा : अब चुनाव करा दिये गये हैं और जो कारण बताये गये हैं वे उस समय मौजूद थे। यह तो केवल दृष्टिकोण का अन्तर है कि उनको सही माना जाये या नहीं? निर्वाचन नामावलियां यदि सही नहीं होती और गलत के आधार पर चुनाव करा दिये जाते तो जो चुनाव होते वे असंगत हो जाते, उन पर याचिकाएं हो सकती थीं इसलिये उस समय इन चुनावों को रोकना पड़ा। और अकाल का जो कारण है वह तो आपको मालूम ही है। इनको कितना न्यून समझें यह तो हमारी मर्जी के ऊपर है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं के निर्वाचन की तिथियां अलग अलग थीं?

श्री नारायण सिंह मसूदा : हां कइयों की अलग अलग थी।

श्री दौलत राम सारण : फिर सबके लिये एक ही कारण कैसे पैदा हो गये?

श्री नारायण सिंह मसूदा : अब 120 नगरपालिकाओं के चुनाव एक ही साथ करवा दिये गये हैं।

श्री दौलत राम सारण : मेरा प्रश्न तो यह है कि आपने इनका चुनाव इतने अर्से तक क्यों स्थगित रखा जब कि कई नगरपालिकाओं की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उस स्थिति में आपने उनके चुनाव अवधि की दिनांक की समाप्ति के पूर्व ही क्यों नहीं कराये?

श्री नारायण सिंह मसूदा : कारण बताये जा चुके हैं।

श्री दौलतराम सारण : जो कारण बताये गये हैं वे न्यायसंगत नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जोधपुर नगरपालिकाओं के चुनाव इसी समय में कराये जाने के आदेश सरकार को दिये गये थे और सरकार ने उसकी पालना नहीं की है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह सबजुडिस मामला है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उस वक्त तक आदेश हुए और जो तिथि थी उसके दरम्यान में यह सब

Page No 8

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

तैयार नहीं हो सकता था। उस क्षेत्र के नोटिफिकेशन और दूसरी कार्यवाही करना जरूरी होती है जो इस अवधि में पूरी नहीं की जा सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपको राजस्थान हाईकोर्ट से जब यह निर्णय दिया गया था उससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से आपने अपनी ये सब कठिनाइयां राजस्थान हाई कोर्ट के सामने रखी होगी और उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने अपना यह आदेश दिया है। फिर उसके क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं। राज्य सरकार का यह कार्य कहां तक उचित है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह मामला सब जुडिस है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या हाई कोर्ट की ऐसी आज्ञा थी ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : जी हां, ऐसी आज्ञा थी और उसके प्रति हमारी ओर से रिट पिटीशन की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के नगरपालिकाओं के लिये जो द्विसदस्यीय बार्ड्स बनाये गये हैं उनमें उनको कड़ा मुकाबला करना पड़ता है······

श्री नारायण सिंह मसूदा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दौलत राम सारण : इसी प्रश्न के आधार पर तो आपने चुनाव स्थगित किये है और फिर उसका भी निवारण आपने नहीं किया है और फिर ऊपर से कहते हैं कि यह अलग से प्रश्न है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): हाई कोर्ट के आदेश की अनुपालना न होने के कारण क्या कोई नोटिस दिया गया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नोटिस दिया है तो उसका जवाब दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अग्रवाल :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो नगरपालिकाओं के निर्वाचन हुए हैं क्या ये लेटेस्ट इलेक्टरोल्स के आधार पर नहीं हुए हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सन् 61 की सेन्सस के आधार पर जो इलेक्टरोल्स थीं उनमें संशोधन, अभी जो असेम्बली के जनरल इलेक्शन्स हुए उसमें से उनमें संशोधन करके और इसके बाद बाकायदा तरमीम करके कराये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यह मानकर चलें कि असेम्बली की जो लेटेस्ट इलेक्टरोल्स थी उनमें अकार्डिंगली अमेन्डमेंट करा कर ये निर्वाचन सूचियां प्रकाशित की गई हैं और क्या ये चुनाव इसी सूची के आधार पर कराये गये हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : क्या कहा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असेम्बली की जो इलेक्टरोल्स लेटेस्ट हैं, जो लेटेस्ट तैयार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो चुकी थी जनरल इलेक्शन के पहले उसमें इसके अनुसार अकारडिंगली अमेन्डेड करके इस संशोधनों सहित इन निर्वाचन सूचियों को प्रकाशित किया गया है और उस पर चुनाव कराये गये हैं। क्या इस प्रकार की आज्ञा सरकार की थी और क्या ऐसी आज्ञा प्रसारित हुई थी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह अलग से प्रश्न नहीं है। इम्बेरेसिंग जरूर है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : 61 की सेन्सस के ऊपर जो वोटर-लिस्ट आधारित थी उनमें संशोधन करके असेम्बली के जो चुनाव हुए जनरल इलेक्शन्स उनके आधार पर कराया गया है और उसके बाद आब्जेक्शन्स मंगवा कर इनको जितना लेटेस्ट किया जा सकता था किया जाकर ये चुनाव कराये गये है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 61 की सेन्सस के आधार पर वोटर लिस्ट में क्यों संशोधन किये गये ? 67 की जो वोटर लिस्ट थी वह लेटेस्ट थी ? उसी के आधार पर तो आम चुनाव हुए हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उसके आधार पर ही दुरुस्ती करायी गयी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके आधार पर तो 67 के आम चुनाव हुए हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कायदा 61 की सेन्सस का है और उसके अलावा नहीं किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके बाद तो 67 के जनरल इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन लॉ में यह प्रावधान है कि असेम्बली की जो इलेक्टरोल्स हैं उनमें अकारडिंगली अमेंडमेंट होकर किया जाये। और आप कह रहें हैं 61 के सेन्सस के बाद....

श्री नारायणसिंह मसूदा : 61 की नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उसी प्रकार से संशोधित किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि लेटेस्ट इलेक्टरोल्स जो आम चुनाव के हैं उनके अनुसार से म्युनिसिपल बोर्ड के इलक्टरोल्स तैयार हुए, अमेन्ड हुए और उसके अनुसार आपके आदेश से चुनाव हुए हैं ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : लेटेस्ट अमेण्डेड इलेक्टरल रोल्स थे उन्हीं के आधार पर ये चुनाव कराये गये हैं। मैं सन् 66 की अर्ज कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गलत जवाब है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : 15-1-70 को जो असेम्बली के इलेक्टरल रोल्स थे उन्हीं की मैं कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप लड्ढा साहब के बहकावे में न आवें, वे ठीक जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : वे कहें या मैं कहूं, एक ही बात है।

Page No 10

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 67 के इलक्टरल रोल्स जिस प्रकार की स्थिति में थे उनमें कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया गया और उसी के आधार पर ये चुनाव करा दिये गये हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उन पर जो आब्जेक्शन्स वगैरह जिस प्रकार आने चाहिये उस प्रकार आये उन पर निर्णय लिये गये और उन पर से संशोधित उन इलक्टरल रोल्स को 15-1-70 के म्युनिसिपल चुनावों में एडोप्ट किया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The basis for Municipal elections was the Assembly Electoral Rolls. Is it a fact ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या पंचायत चुनावों को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में कहा जा रहा है, जी नहीं । बार बार चुनाव बदलना, कार्यक्रम बदलना निर्णय या आदेश बदलना क्या इससे प्रशासनिक खर्च नहीं बढ़ा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं लगाना पड़ा ।

श्री दौलतराम सारण : कागजों का खर्चा हुआ, डाक का खर्चा हुआ, आपके समय का खर्चा हुआ और बहुत से खर्चे हुए हैं, क्या वे नहीं हुए ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक बार सारे इलेक्टरल रोल्स वगैरह छप चुके थे । दुबारा छपाने की जरूरत नहीं पड़ी ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री दौलतराम सारण : वर्तमान म्युनिसिपल चुनावों से पहले कोई चुनावों के निमित्त वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं किया गया, चुनावों का नोटिस नहीं लिया गया, कोई चुनावों के लिये कार्यक्रम नहीं निर्धारित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब दे चुके हैं ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : सब हुआ है ।

श्री दौलतराम सारण : सब हुआ है तो स्पष्ट बात है कि इस सब होने में खर्चा हुआ है । फिर खर्च नहीं हुआ, यह कैसे कह रहे हैं । चुनावों का कार्यक्रम दुबारा निर्धारित हुआ है, प्रचारित किया गया है नोटिफिकेशन निकले हैं तो इन सब में खर्चा तो हुआ है, नहीं हुआ, यह कैसे हो सकता है । फिर आप अपनी घोषणाएं बार बार बदलते हैं, एक निर्णय पर टिकते नहीं तो क्या इससे जनता की नजरों में और प्रशासनिक तन्त्र की निगाहों में सरकार की साख घटी है । क्या यह सही है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने उत्तर दिया है, जी नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर : यह ठीक है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : कांग्रेस की जीत हुई है, इससे भी यह साफ है ।

श्री दौलतराम सारण : कांग्रेस ने कोई नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं लड़े । झूठ बोल रहे हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार प्रशासनिक कारणों से बार बार चुनाव स्थगित किये गये और इस प्रकार जो विलम्ब हुआ है तो क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने यह आश्वासन दिया कि यह विलम्ब इस कारण से हुआ कि कुछ कान्स्टीट्यूएन्सी डबल रहे या सिंगल रहे इसमें सुधार करना है तो क्या यह सुधार हुआ । सिंगल बनीं ? आपका क्या कहना है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : इस बारे में उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नगर-पालिका चुनाव में सरकारी मशीनरी के बारे में उसके दुरुपयोग का शिकायतें सरकार के पास आई हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अलग से प्रश्न जरूर हो, पर यह शिकायत आपके पास आई तो है न ? सरकारी मशीनरी का खुलकर उसमें उपयोग किया गया इस प्रकार की शिकायतें तो प्राप्त हुई है न ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): सरकार इन चुनावों को दुबारा कराने का निर्णय क्यों नहीं लेती ताकि इनको फिर से अपनी किस्मत आजमाई का मौका और मिल जावे ?

प्रश्न संख्या 53

श्री विजयसिंह

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 54

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क ।

जे० बी० हायर सेकण्डरी स्कूल लाडनूं की सहायता

55. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री जे. बी. हायर सेकण्डरी स्कूल लाडनूं को सरकारी सहायता दी जा रही है । उसको सरकार ने बन्द करदी थी ? यदि हां तो किन कारणों से तथा किन किन गल्तियों से ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्कूल को दी जाने वाली सहायता को सरकार ने रोकी थी उसको वापिस देनी चालू करदी गई है ? यदि हां, तो कब रोकी गई और कब चालू की गई तथा चालू करने का कारण क्या था ? कृपया रोकने तथा चालू करने के आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां, यह सही है । इस स्कूल की व्यवस्थापक समिति के गठन सम्बन्धी कुछ

(श्री शिवचरण माथुर)

अनियमितताएं होने की शिकायतें मिली थीं। इस कारण राज्य सरकार ने पत्र संख्या प 1(100) शिक्षा/प्र-6/69 दिनांक 17-1-70 द्वारा इसका अनुदान बन्द कर दिया था। पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। कारण इसमें स्पष्ट है।

(2) जी हां। इसके अनुदान को शिक्षा सचिव, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प 1 (100) शिक्षा/प्र/6/69 दिनांक 30 3-70 के आदेश द्वारा अनुदान जारी कर दिया गया है। पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। तदनुसार इसका अनुदान तथा आगे का अनुदान अप्रेल माह में जारी किया गया। रोके गये अनुदान को जारी करने का कारण यह है कि इसके कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान जारी रहे और उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। बाद में संस्था ने अपनी व्यवस्था समिति का गठन नियमानुसार कर लिया जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दिनांक 16-7-70 को दे दी।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : जिस समय अनुदान बन्द किया और उस समय जो व्यवस्था थी वह आज भी है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। आपका यह उत्तर बिलकुल गलत है। व्यवस्था में कोई चेन्ज नहीं हुआ। पहले जो व्यक्ति थे वे ही आज भी हैं। उनमें कोई संशोधन नहीं हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी और करवा ली जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने यह नीति निर्धारित कर रखी है कि जो निजी स्कूलें हैं और जो जातीय आधार पर चलाई जा रही हैं उनकी कार्यकारिणी समिति में प्रबन्ध समिति में कम से कम एक एक तिहाई सदस्य दूसरी जाति के होंगे, ऐसा जहां नहीं होगा उनको अनुदान नहीं दिया जावेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस नीति के बावजूद भी सरकार ऐसी संस्थाओं को अनुदान दे रही है जिनमें इस तरह से एक तिहाई सदस्य दूसरी जाति के नहीं हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : ऐसा नहीं है। अगर आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात हो तो आप बताइये, सरकार अवश्य आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने ऐसा कोई सरक्यूलर जारी किया है कि इस तरह की लिस्ट भेजी जावे और जहां इस अनुपात में सदस्य प्रबन्ध समिति में न हों वहां अनुदान बन्द कर दिया जावे।

श्री शिवचरण माथुर : जी हां। यह स्पष्ट आदेश हैं। डाइरेक्टर अपने स्तर पर इस तरह से अनुदान बन्द करने की कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि इस स्कूल के प्रबन्ध के लिये कोई इस प्रकार की प्रबन्ध समिति नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : यह जानकारी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स से हमें पहले मिली थी, बाद में उन्होंने नियमानुसार परिवर्तन कर दिये यह जानकारी भी इन्सपेक्टर आफ

(श्री शिवचरण माथुर)

स्कूल्स से मिली जिसके आधार पर अनुदान फिर जारी कर दिया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : इस स्कूल में न तो जनरल बाडी है न एक भी इस तरह का सदस्य उसका है। वहां तो एक ही आदमी हैं जो सब कुछ कर्ताधर्ता है।

श्री शिवचरण माथुर : यह आप क्या कह रहे हैं, तो इसकी जानकारी करली जावेगी।

यह जानकारी मैं कर लूंगा आपकी जानकारी के अनुसार, उस पर गवर्नमेन्ट अपने रूल्स के अनुसार ही कार्यवाही करेगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या आप जानकारी कराने के बाद इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स जिसने यह कार्यवाही की क्या उसके खिलाफ भी जांच करवायेंगे आखिर उसने नियमों की अवहेलना क्यों की ?

श्री शिवचरण माथुर : गलत रिपोर्ट मालूम होने पर ही तो कार्यवाही हो सकेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : जांच होने तक क्या आप उनकी ग्रान्ट इन एड बन्द करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : ग्रान्ट इन एड बन्द कर देने से स्टाफ को पेनेलाइज करना हो जायगा इसलिये ग्रान्ट इन एड एकाएक बन्द नहीं की जा सकती। जांच होने पर ही यह कार्यवाही हो सकती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : तब तक आप प्रशासक नियुक्त करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : प्रशासक के नियुक्त करने का सवाल नहीं उठता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस प्रकार जो सम्प्रदाय विशेष के ही लोगों को रखा जाता है तो क्या इससे साम्प्रदायिकता की जड़ें मजबूत नहीं हो रही हैं। मैनेजमेण्ट में दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को नहीं रखना इससे आप साम्प्रदायिकता की जड़ें मजबूत नहीं कर रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को भी रखा जाना आवश्यक है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप तब तक ग्रान्ट इन एड बन्द नहीं करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : इसका जवाब दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इन सब प्रश्नों का उत्तर आ चुका है। प्रश्न संख्या 56

प्रश्न संख्या 56

श्री गंगासहाय।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

रेगिस्तानी क्षेत्र में अकाल के स्थायी हल की योजना

57. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) राजस्थान सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्र में अकाल के स्थायी हल के लिए क्या ठोस योजना बनाई है ? यदि हां तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये अग्रिम पांच सालों में राज्य सरकार क्या करने जा रही है ?

उप मंत्री, योजना (श्री खेतसिंह): (1) रेगिस्तानी क्षेत्र में अकाल के स्थायी हल के लिये ठोस योजना विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदन होने पर सदन की मेज पर रखी जा सकेगी।

(2) अग्रिम चार वर्षों में सरकार अकाल के स्थायी हल हेतु निम्न कार्यक्रम कार्यान्वित करने का विचार रखती है।

(1) भू-संरक्षण

(2) वन रोपण तथा चारागाहों का विकास

(3) डेयरी विकास

(4) सिंचाई कार्यक्रम

(5) सड़कों का निर्माण।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह योजना कब से विचाराधीन है।

श्री खेतसिंह : मैंने आप से निवेदन किया लास्ट बजट के अन्दर भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने बजट पेश करते वक्त ऐसा ऐलान किया था कि इस तरह की योजना हाथ में लेंगे। उसके बाद में भारत सरकार को राजस्थान सरकार ने एक योजना भेजी कुछ क्राइटेरिया मुकर्रर करके। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम इन मुद्दों पर व्यय करना नहीं चाहते आप इस तरह की दूसरी योजना बनाकर भेजो जो कुछ नोर्म्स उन्होंने दिये थे उस आधार पर। हमने उन बताये हुए नोर्म्स के आधार पर नयी योजना तैयार कर ली है और इस महीने के अन्त तक भारत सरकार को भेज दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : जिस योजना का आप जिक्र कर रहे हैं वह तो पच्चीस करोड़ की योजना में से राज्य सरकार द्वारा हिस्सा प्राप्त करने की है। लेकिन प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है उसमें यह पूछा गया है कि अकाल का स्थायी हल करने के लिये क्या योजना बनायी है उस योजना का उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा हो।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : चौथी पंच वर्षीय योजना के जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता रहता है उसके लिये एक योजना बनायी गई थी वह योजना मुख्तलिफ गांव गांव की बनायी गई थी वह आपको चौथी योजना के प्रारूप में देखने को मिलेगा। मुख्तलिफ जगहों के अकाल की समस्या को हमेशा के लिये हल करने के लिये बनायी गई है वह आपको चौथी योजना के प्रारूप में मिलेगी।

प्रश्न में जो पूछा गया है रूरल और अकाल ग्रसित क्षेत्र के लिये पूछा गया था उस प्रश्न का उत्तर उप मंत्री महोदय के जवाब में आ गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अब तक कन्सोलिडेट वे में फेमीन के मुकाबले के लिये स्थायी योजना नहीं बनायी है ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार ने इस समस्या के निराकरण के लिये एक स्टडीग्रुप का निर्माण किया था। उसको

(श्री मथुरादास माथुर)

डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई है उसने जहां जहां रिकमन्ड किया है उसके मुताबिक हम जितनी धनराशि अवेलेबल कर सकते थे उसके अनुसार हमने योजना बनायी है।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास स्कीम है या नहीं ? अकाल क्षेत्र के स्थायी हल के लिये ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपसे निवेदन किया है कि एक स्टडी ग्रूप बनाया गया उसकी जो रिपोर्ट आयी है उसमें फेमिन फाइटिंग के लिये तरह तरह के सुझाव और उपाय बताये गये हैं। उसी के आधार पर हमने योजना बनायी है जिसमें माइनर इरिगेशन भी है पास्चर डेवलपमेंट भी है ड्रिंकिंग वाटर के लिये भी है इस प्रकार की सब योजनायें चौथी योजना में सम्मिलित हैं। चौथी योजना में मुख्तलिफ सेक्टर्स पर कितना कितना व्यय किया जायगा उसमें शामिल कर दिया गया है जो आपको चौथी योजना के प्रारूप में मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपमंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह तो उस स्कीम के मुतल्लिक है जिसके लिये भारत सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह बात सही है लेकिन चौथी पंच साला योजना में भी यह स्कीम विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : चौथी योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया है और स्टडी टीम की जो रिपोर्ट है जिसके आधार पर आपने स्थायी अकाल के हल के लिये योजना बनायी है आप क्या उसके लिये उचित नहीं समझते हैं इस प्रकार की योजनायें अन्तिम रूप देने से पहले विधान सभा की राय उस पर ले ली जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इससे सहमत हूं। चौथी पंच वर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप का सीलिंग अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। हमारे और योजना विभाग में प्लान सीलिंग के बारे में मतभेद है इसलिये उनके अनुसार रद्दो बदल करना पड़ता है। जैसे पहले 316 का प्लान था जिसको 302 का कर दिया ये सब बातें हैं जिन पर निर्णय होना है। जब तक वह फाइनल नहीं हो जाता सदन में रख नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह : फाइनल हो जाने के बाद यहां रखना और उस पर हमारी राय लेना कोई महत्व नहीं रखता। ड्राफ्ट ही रखा जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : चौथी योजना का प्रारूप हमने तीन दफा किया है। तीनों दफा प्लान सीलिंग के बदलने की वजह से नई नई एक्टिविटीज आ जाती हैं। उपयोजना मंत्रीजी ने जवाब दिया वह आउट साइड आफ दी प्लान का है। 25 करोड़ जो रुपया मिलेगा वह आउट साइड दी प्लान है। दस जिलों के लिये दो करोड़ रुपया प्रत्येक जिले के लिये मिलेगा। जो तीन साल रह गये हैं उसके लिये दो करोड़ रुपया पूरी योजना के लिये मिलेगा जो भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री दौलतराम सारण : जो जवाब उप मंत्री योजना ने दिया है वह इस प्रश्न के उत्तर से बिलकुल संगत नहीं है। वह ठीक

(श्री दौलतराम सारण)

भी नहीं है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है स्थायी हल के लिये अकाल बार बार न पड़े इसके लिये कोई ठोस योजना बनायी है? स्थायी हल के लिये योजना बनाने का उल्लेख उप मंत्रीजी ने नहीं किया। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा उप मंत्रीजी का जवाब असंगत है इसलिये हम जानना चाहते हैं अकाल के क्षेत्र में स्थायी हल के लिये क्या योजना आपने बनायी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे और भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये थे उन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया दो तिहाई हिस्सा जो अकाल ग्रस्त रहता है उसके स्थायी हल के लिये आपके पास कोई योजना नहीं हैं। यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्या राज्य सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किया है या इसके लिये स्पष्ट योजना है तो वह योजना का प्रारूप हमारे सामने आना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो डिमाण्ड है आपकी। क्वेश्चन यह है कि क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे···

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर आने दीजिए पहले।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो भाषण था प्रश्न नहीं था। उत्तर किस बात का दूं।

श्री दौलतराम सारण : भाषण नहीं था, प्रश्न था और आपकी अकल का दिवालियापान था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक प्रश्न यह है कि अकाल के स्थाई हल के लिए आपने कोई सैपरेट कन्सोलीडेटेड योजना बनाई है और यदि बनाई है तो वह कौनसी योजना है जिससे कि अकाल का कोई स्थाई हल हो सके।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य स्वयं इस बात को जानते हैं और सदन में कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है। मुझे यह प्रश्न पूछा जाता है कि अकाल के हल के लिए स्थाई रूप से क्या योजना है वह योजना अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है। राजस्थान केनाल एक योजना है, उसके बाद में अफोरेस्ट्रेशन की योजना है, डेजर्ट डवलपमेंट को रोकने के लिए एरिड जोन की स्कीम है जो कि सेन्टर स्पोन्सर्ड योजना है। अब कोई मैं पूरी थीसेस के रूप में जवाब दूं यह सम्भव नहीं है। प्लान डाकुमेंट में ये सारी चीजें आई हुई हैं।

श्री दौलतराम सारण : वह भी अवेलेबल नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : अभी जो आउट साइड दी प्लान 25 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। यह भी This is also a step towards checking the famine.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो स्टडी टीम राजस्थान में अकाल के स्थाई हल के संबन्ध में सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने जिसका हवाला दिया है क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि उस अकाल के स्थाई हल के लिए कितनी धनराशि की सिफारिश आपने की थी और उसमें कितनी धनराशि का प्रावधान फोर्थ फाइव ईयर प्लान में किया है?

Page No 17

श्री मथुरादास माथुर : यह तो मुझे याद नहीं है कि कितनी सिफारिश की और कितना प्रावधान किया क्योंकि यह फिगर्स का मामला है कि अलग अलग सेक्टर में और कितना प्लान सीलिंग को देखते हुए समावेश कर पाये हैं यह अलग से प्रश्न है। इसको आप अलग से पूछलें मैं जवाब दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने इस स्टडी टीम की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : इस रिपोर्ट को अपने सामने रखा है प्रावधान करते समय लेकिन इसको स्वीकार करने और रिजेक्ट करने का प्रश्न नहीं होता है। यह तो एक तरह से गाइड लाइन की तरह थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Have those guide lines been accepted ?

श्री मथुरा दास माथुर : The principles and the guidelines were laid down by me.

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी योजनायें कब पूरी होंगी इसका तो मालूम नहीं लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या उन इलाकों से आबादी हटाकर दूसरे इलाकों में ले जाना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न– श्री रूपसिंह।

श्री भैरोंसिंह : एक महत्व पूर्ण प्रश्न है। क्या यह सही है कि स्टडी टीम जहां तक मैं समझ पाया हूं यह वही टीम है जिसने श्री सी० एस० गुप्ता की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट तैयार की है और उसमें सरकार को आज के 5 वर्ष पहले ही यह रिपोर्ट दी थी और इस अवस्था में रिकमण्डेशन की बेसिस पर जितने अकाल राहत के काम लिए उस स्कीम की रिक्मंडेशन को प्राथमिकता नहीं दी गई ? इसके साथ ही मैं यह जानना चाहूंगा कि रिपोर्ट के बारे में जब आप यह कह रहे हैं कि अलग अलग वर्षों में अलग 2 मद में खर्च किया जा रहा है तो क्या यह मानकर चलें कि गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को अपनी गाइडेन्स या लाइन ऑफ एक्शन के लिए मान्यता दे रखी है ? यदि दे रखी है तो फिर पिछले वर्षों में इसके अनुसार काम क्यों नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : जिस समय फोर्थ फाईव ईयर प्लान को तैयार किया गया उस समय इसका ध्यान रखा गया था।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न-श्रीरूपसिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर आधे घन्टे की चर्चा रखी जाये तो बहुत उपयोगी होगा...

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 58

श्री रूपसिंह
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 59

श्री बृजवल्लभ बोहरा।
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

उच्चतर माध्यमिक पाठशाला सांचोर का भवन

60. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन अभी तक पूरा नहीं बना है ? अगर हां, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि अगर इस वर्ष राज्य सरकार 5000 रु० की धनराशि पाठशाला भवन निर्माण के लिये मंजूर कर दे तो एक कमरा शीघ्र बन सकता है ? अगर हां, तो वह धनराशि कब तक मन्जूर कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि राजकीय कन्या माध्यमिक पाठशाला के लिये मुख्य मंत्रीजी ने 5000 रु० चैरिटी फण्ड में से पाठशाला भवन निर्माण के लिए मन्जूर किये थे ? अगर हां, तो क्या वह रकम काम में ली जाकर कमरे का निर्माण कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? अब वह रकम कब तक उपयोग में ली जा सकेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला डावल के स्कूल भवन निर्माण के लिए 5000 रु० का धनराशि पंचायत समिति सांचोर ने देने का प्रस्ताव पारित किया था ? अगर हां, तो कब ? क्या यह भी सत्य है कि उस धनराशि को उक्त पाठशाला भवन निर्माण में खर्च करने की स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं प्राप्त होने से रुपया भवन निर्माण में खर्च करने के लिये नहीं मिल पाया है ? अगर हां, तो स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ? अब वह स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी ?

(4) अब उक्त पूरे भवन का निर्माण कब तक करवा कर जीव विज्ञान विषय खोल दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांचोर के भवन निर्माण के हेतु सरकार समय समय पर आर्थिक सहयोग देती रही है। इसके साथ साथ सरकार स्थानीय पंचायत आदि से भी ऐसे सहयोग की आशा करती है। वर्तमान समय में कमरे बनाने के लिए बजट की व्यवस्था होगी तो अन्य विद्यालयों के साथ इस विद्यालय की मांग पर भी विचार किया जा सकेगा।

(2) उक्त शाला की स्थिति की अवस्था संदिग्ध है इस संबंध में जानकारी देना सम्भव नहीं है।

(3) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह जानकारी क्यों नहीं है ? मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि 5000 रुपयों चैरिटी फण्ड में से मन्जूर किये गये लेकिन उनका यूटीलाइजेशन नहीं हुआ विभाग द्वारा ।

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्न 2 का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कन्या माध्यमिक शाला सांचोर का ।

Page No 19

श्री शिवचरण माथुर : यही तो स्पष्ट नहीं है प्रश्न से ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पूरी तहसील में एक ही तो संस्था है । प्रश्न तो स्पष्ट है लेकिन आपने पढ़ा नहीं ।

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्न का भाग (4) नहीं पढ़ा था । वह इस प्रकार है:

(4) अधूरे भवन को पूरे करने का दायित्व स्थानीय जनता पर है फिर भी सम्पूर्ण भवन निर्माण हेतु आर्थिक प्रभार का विवरण प्राप्त होने पर धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इस पर भी अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ गुणावगुण की दृष्टि से विचार किया जावेगा । अतः भवन निर्माण होने के पश्चात् ही जीव विज्ञान विषय खोले जाने पर विचार किया जायेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा तो प्रश्न यह है कि जो 5000 रुपये चैरिटी फण्ड के मिले उनको यूटीलाइज क्यों नहीं किया ?

श्री शिवचरण माथुर : चैरिटी फण्ड से रुपये देने की बात आपने कही है । आपके प्रश्न में कन्या माध्यमिक शाला सांचोर नहीं है इसलिए उसमें अस्पष्टता थी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा प्रश्न है कि उस पैसे को यूटीलाइज क्यों नहीं किया ?

श्री शिवचरण माथुर : वह तो स्थानीय समिति करेगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या आप इसके बारे में आश्वासन देंगे कि यह रुपया अब यूटीलाइज कर लिया जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : बहुत जल्दी यूटीलाइज कर लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री हंसराज आर्य ।

शराब के ठेकों से आय

61. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) शराब के ठेकों से सरकार को सालाना कुल क्या आय होती है ?

(2) राजस्थान में कहां कहां पर शराब शालाएं हैं ?

(3) इस साल कितनी शालाएं नई और खोली जा रही हैं, और कहां कहां पर खोली जा रही हैं ?

(4) 1 अप्रेल, 69 से 31 मार्च, 70 तक नाजायज शराब निकालने वालों को मय सामान के जो पकड़ा गया है उनकी तादाद क्या है ?

(5) उक्त अवधि में कितने लोगों पर नाजायज शराब निकालने के मुकद्दमे चलाये गये, उनमें से कितनों को सजा मिली तथा कितनों को जुर्माने की सजा हुई है ?

(6) कितने लोगों को पकड़ कर बिना सजा दिलाये छोड़ दिया गया है ?

(7) पिछले दस सालों में शराब के ठेकेदारों का कुल कितना रुपया ठेकों का राइट ऑफ किया गया है ?

(8) सन् 60 से 70 तक के समय में राइट ऑफ की गई कुल राशि क्या है ?

(9) जिन जिन ठेकेदारों की बकाया धनराशि को राइट आफ किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जाये ।

आबकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (1) शराब के ठेकों से वित्तीय वर्ष 1968-69 व वर्ष 1969-70 में क्रमशः रुपया 8,83,84,022 व रुपया 7,65,19,328 की आय हुई।

(2) राजस्थान में श्री गंगानगर, उदयपुर, अटरू (कोटा), अजमेर एवं प्रतापगढ़ में आसवन शालाएं (डिस्टीलरी) हैं।

(3) इस साल कोई नई शाला नहीं खोली गई है।

(4) 1-4-69 से 28-2-70 तक 3911 नाजायज शराब निकालने वाले व्यक्तियों को मय सामान के पकड़ा गया था।

(5) 1-4-69 से 28-2-70 तक 10-17 नाजायज शराब निकालने वाले व्यक्तियों पर मुकद्दमे चलाये गये उनमें से 173 को सजा व 87 को जुर्माने की सजा दी गई।

(6) 1-4-69 से 28-2-70 तक 41 लोगों को पकड़कर बिना सजा दिलाये छोड़ा गया।

(7) आबकारी व कर विभाग के द्विशासन के बाद 1 जुलाई, 1964 से आबकारी विभाग पृथक रूप से क्रियाशील हुआ। इससे पूर्व की सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1964-65 से 68-69 तक विभागीय बकाया के कुल 22, 40, 445 रुपया राइट ऑफ किये गये, जिसका जिलेवार व वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट 1 पर दिया गया है। इस राशि में अधिकतर राशि शराब के ठेकों की ही है।

(8) उसका उत्तर प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में दे दिया गया है।

(9) प्रश्न के भाग 7 के उत्तर में उल्लिखित राशि की नामवार सूचियां परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हंसराज आर्य : इसका उत्तर कृपया माननीय मंत्री महोदय दें कि इतना रुपया राइट ऑफ क्यों किया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : कुल 8–10 लाख का अमाउन्ट ही राइट ऑफ किया गया है और इसके दो-तीन फैक्टर्स हैं। एक तो कोर्ट्स डिसीजन, रैवेन्यू बोर्ड के डिसीजन हो गए उसकी वजह से रकम देनी पड़ी और कुछ गवर्नमेन्ट अपने एग्रीमेन्ट के अनुसार स्प्रिट सप्लाई नहीं कर सकी इसलिए उनकी गारन्टीज को रिवाइज करना पड़ा। स्प्रिट कम पैदा हुई और बाहर से मिल नहीं सकी, इसलिए ऐसा हुआ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधी नगर जयपुर) : Why ?

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए स्प्रिट सप्लाई नहीं कर सके क्योंकि राजस्थान में गन्ना कम पैदा हुआ और इसकी वजह से मोलेसस भी कम हुई...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : स्प्रिट गन्ने से नहीं बनती, लखनऊ से मंगानी पड़ती है।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 28 लाख रुपया राइट ऑफ किया गया है वह क्यों किया गया है ? इसका उत्तर दे रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सही वाली बात बताओ ना।

Page No 21

श्री हंसराज आर्य : इसका बहुत बड़ा रहस्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों में मामूली बकाया होती है। वह तो उनसे सख्ती के साथ वसूल की जाती है और उनको शराब के ठेकेदारों को 28 लाख रुपया राइट ऑफ कर दिया है यह मैं समझता हूं बहुत बुरी बात है। इसकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं ?

एक माननीय सदस्य : गारन्टी की बकाया कब तक वसूल करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह मान लें कि 1969-70 की कोई रकम राइट ऑफ नहीं हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : 1969-70 का फैसला कोई नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : 1969-70 की भी बहुत बड़ी बकाया ठेकेदारों में रहती है और सब लोगों ने राइट ऑफ करने के लिए राज्य सरकार के पास आवेदन पत्र भेजे हैं, और इन पर विचार किया जा रहा है। इसलिए उनसे रकम वसूल नहीं की जा रही है।

श्री मथुरा दास माथुर : रकम वसूल की जा रही है। उनकी जो रिपोर्ट आई हैं उसके उपर विचार किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी कुल कितनी धनराशि है जो इस समय डिस्प्यूटेड है और उसकी वजह से उसकी रिकवरी नहीं की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह इसमें है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि कोर्ट्स के डिसीजन से या रेवेन्यू बोर्ड के डिसीजन से या अलग कोर्ट्स के निर्णयों की वजह से राइट ऑफ किया गया है तो ऐसी कितनी रकम कोर्ट्स के डिवीजन से राइट ऑफ की गई हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने तीन बातें बताई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितनी है ?

श्री मथुरा दास माथुर : इसका अलग अलग ब्रेक अप मेरे पास नहीं हैं। 28 लाख की रकम कुल केवल एक वर्ष की बकाया नहीं है। जब से यह अलग डिपार्टमेंट हुआ है यानि 64-65 से लगाकर 4-5 साल के अन्दर यह हुई है। जब एक करोड़ की आमदनी 7-8 करोड़ की आमदनी हो गई है तो राइट ऑफ करने के कई मामले आयेंगे जो भी राइट ऑफ किया गया है वह कोर्ट के डिसीजन से राइट ऑफ हुआ है। इसमें एकाध साल में ऐसा हुआ है खास तौर से 68-69 में जिसके अन्दर हम लोग गारन्टी को पूरा नहीं कर सके। यह मामला सदन के सामने कई बार मैं समझा चुका हूं। पी. ए. सी. के सामने भी आ चुका है। हमारे यहां गारन्टी मुकर्रर करते हैं और समझ लेते हैं रेवेन्यू। उसके लिए गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होता है स्प्रिट सप्लाई करने का। स्प्रिट हम पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर सके यहां राजस्थान में कमी होने की वजह से और बाहर से भी नहीं मिली उस वजह से जब वे पूरी शराब नहीं बेच सकते हैं तो गारन्टी की पूरी रकम जमा नहीं करते हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

इसके बारे में हमने मुकर्जी कमेटी बिठा दी थी और उसकी रिकमण्डेशन के आधार पर जो जो लोग आते थे उनका राइट ऑफ किया गया है।

श्री दौलतराम सारण : क्या सरकार —

श्री रघुनाथ विश्नोई : सारी ही वसूली रोक रखी है और जो आप कन्सीडर करेंगे वह रकम थोड़ी सी होगी फिर बाकी की रकम उनसे वसूल क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : सभी वसूली हो रही हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जिन ठेकेदारों को गारन्टी के हिसाब से शराब सप्लाई नहीं की या करने में असमर्थ रही तो उनको दुबारा ठेका देते समय यह कह कर कि चूंकि इनको गत वर्ष में शराब ठीक तरह से सप्लाई नहीं कर सके हैं इसलिए इसलिए इनको घाटा हुआ है तो उसकी पूर्ति के लिए रियायती दरों पर इनको ठेका दे रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह ठीक नहीं है। ठेका ऑक्शन करके दिया गया है।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि ऐसे ठेकेदारों को राइट ऑफ किया गया है जो गारन्टी पर नहीं थे ?

श्री मथुरादास माथुर : जो गारन्टी पर नहीं थे उनका सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने जिस समय ठेकों का रिन्यूवल हुआ उस समय इस प्रकार के आदेश प्रसारित किये थे कि जिन ठेकेदारों को गारन्टी के अनुसार शराब सप्लाई नहीं हुई थी और इसके कारण उनको हानि हुई तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए रिन्यूअल के अन्दर उनको प्राथमिकता दी जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। ऑर्डर प्लीज।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि ठेकेदारों से बकाया जानबूझ कर अधिकारी वसूल नहीं कर रहे हैं और लटकाये रखते हैं लम्बे समय तक ताकि लम्बा समय हो जाय तो राइट ऑफ का सवाल हो जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : यह बकाया का सवाल मेरे ख्याल से ··

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज, मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : यह जो शराब के ठेकेदारों में 68 लाख रुपया बकाया है और इसके लिए मुकर्जी कमेटी का निर्माण हो गया और उसके हिसाब से 68 लाख रुपया राज्य कोष की बट्टे खाते में डाला जा रहा है। 28 लाख रुपया तो आपने डाल दिया और बाकी को डालने वाले हैं तो मैं समझता हूं कि यदि चुनाव के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है तो क्यों न आप कन्सोलिडेटेड फन्ड से ले लें या आप विधान सभा में इस प्रकार का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कानून ले आयें, लेकिन राज्य सरकार का 68 लाख रुपया शराब के ठेकेदारों में बट्टे खाते में डाला जाकर वसूल नहीं होगा तो राजस्थान की दो करोड़ जनता के साथ में आप अन्याय करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है···

श्री हंसराज आर्य : ठेकेदारों से रुपया विभाग के अधिकारी जान बूझ कर वसूल नहीं कर रहे हैं और लम्बे समय के बाद में राइट ऑफ कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि शराब के ठेकों की दुकानें सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाती है। वह मोटर स्टेण्ड और स्कूलों के पास में लगाई जाती है···

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सख्त होकर शराब के ठेकों को बन्द नहीं किया जाता है और खुले-आम शराब बेची जाती है। क्या इस प्रकार से दुकानें चलाने की बात राज्य सरकार के लिए उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सवाल पूछना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाजायज शराब बिकती है उसको बरदाश्त किया जा सकता है लेकिन सवाल यह है कि राज्य सरकार का 68 लाख रुपया बट्टे खाते में डाला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को शराब के ठेकेदारों से पैसा लेना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बिल्कुल गलत।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि बकाया की वसूली में देरी जान-बूझ कर अधिकारीगण करते हैं ताकि राइट ऑफ करा सकें ?

श्री उपाध्यक्ष :(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक यह पूछना है कि क्या कुछ कांग्रेस के लोग भी शराब के ठेकेदार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आजकल तो यह बेसिक क्वालिफिकेशन है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत चोरू के सरपंच के विरुद्ध जांच

62. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व सरपंच श्री कल्याणमल, पंचायत चोरू, पंचायत

(श्री दिग्विजय सिंह)

समिति उनियारा, जिला टोंक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की गई थी? यदि हां, तो जांच की क्या रिपोर्ट है ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट पंचायत आयुक्त को 9-4-1969 क्रम संख्या 4604 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है ?

(3) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा अभी तक कुछ भी कार्यवाही भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध अमल में नहीं लाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच करने के पश्चात् भी विभाग द्वारा जिलाधीश टौंक से टिप्पणी मांगी जा रही है ? यदि हां, तो कब लिखा गया था और क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

उपमंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां, जांच में पद के दुरुपयोग वित्तीय अनियमिततायें, अनधिकृत व्यय तथा 250 रु० से अधिक राशि अपने पास रखने इत्यादि आरोप बताये गये।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन पर जिलाधीश की टिप्पणी आवश्यक होने से मांगी गई है।

(4) जी हां। तहसीलदार ने इस मामले में पूर्व में जांच की थी और अपनी जांच में स्टाक में कुछ सामान कम पाये जाने के अलावा अन्य शिकायतें तथ्यहीन बताई थी, अतएव 3-5-69 को जिलाधीश टौंक को टिप्पणी भेजने हेतु लिखा गया जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दिग्विजयसिंह : तहसीलदार ने जो जांच की थी वह किस के आदेश से की थी ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): यह जानकारी मेरे पास में नहीं है कि तहसीलदार ने जो जांच की है वह कलेक्टर के आर्डर पर की या डी.डी.ओ. के आर्डर पर की है। जब तहसीलदार की रिपोट कलेक्टर के पास पहुंची तो कलेक्टर ने राज्य सरकार के पास उसको प्रेषित कर दिया जिसमें यह बताया गया है कि कम्प्लेन्ट में जो आरोप हैं वे निराधार हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने जो पत्र आपको लिखा था उसका उत्तर आपने दिया था कि जिलाधीश ने तहसीलदार द्वारा जांच कराई थी जिसमें तथ्य निराधार पाये गये थे और इसलिए अपने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच कराई है। मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार विभाग ने जांच कर ली तो दुबारा कलेक्टर से रिपोर्ट मांगने की क्या जरूरत है ?

श्री परसराम मदेरणा : तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर के पास भेजी है। जहां तक जांच का प्रश्न है आपके पत्र के उत्तर में जाँच की गई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : भ्रष्टाचार विभाग है या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है आप यह तो बतायें।

Page No 25

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 65 से यह मामला चल रहा है और मैं मंत्री महोदय को लिखता चला आ रहा हूं। आपने स्पष्ट यह कहा है कि कलेक्टर महोदय ने उसके विरुद्ध जांच करने के लिए तहसीलदार को डेप्यूट किया है और उसकी जांच के आधार पर शिकायतों को निराधार बताया है। उसके उपरान्त भ्रष्टाचार विभाग से जांच कराई है और भ्रष्टाचार विभाग ने जांच करके यह पाया है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो दुबारा उस जांच रिपोर्ट पर कलेक्टर की टिप्पणी मांगी है तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूं कि इसका क्या औचित्य है ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार ने डिस्ट्रिक्ट ऑफीसर को सिफारिश के साथ भेजा था। जो आरोप लगाये हैं, वह अप्रेल 69 में एण्टीकरप्शन विभाग ने एक फैक्चुअल रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी है। न उन्होंने कोई सेंक्शन मांगी है। उन्होंने यह कहा है कि भूतपूर्व सरपंच जांच करवाना चाहते हैं। क्योंकि पहले जांच हो चुकी है। वह जांच रिपोर्ट जिलाधीश ने अभी भेजी नहीं है। उनकी रिपोर्ट का इन्तजार है। जो फैक्चुअल रिपोर्ट आई है, वह तहसीलदार से करवाई है। दोनों रिपोर्ट्स पर कलेक्टर की कमेन्ट्स का इन्तजार है।

श्री दिग्विजय सिंह : जिलाधीश को कब लिखा ?

श्री परसराम मदेरणा : 3–5–69 को।

श्री दिग्विजय सिंह : फिर अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : तहसीलदार की रिपोर्ट आई थी तो कहा कि जांच पूर्ण नहीं है। एण्टीकरप्शन से तथ्य मांगे गये विकास विभाग ने 10 रिमाइण्डर कलेक्टर के पास भेजे हैं। कल ही टेलीफोन से बात हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो अभी खड़ा हुआ हूं। एक प्रश्न जानना चाहता हूं। आप यह तो बतला दें कि कलेक्टर की जांच के बाद आप एन्टीकरप्शन से जांच करवाना चाहते हैं तो फिर क्या कलेक्टर की टिप्पणी उसके लिए आवश्यक समझते हैं कलेक्टर ने एकबार रिपोर्ट कर दी है। कलेक्टर से आप सन्तुष्ट नहीं हुए हैं तब तो एन्टीकरप्शन से करवाई है। क्या यह ठीक है ?

श्री परसराम मदेरणा : एन्टीकरप्शन ने जांच की है। वर्तमान सरपंच नरथीलाल जी की कम्प्लेण्ट बाद को प्रस्तुत की गई एन्टीकरप्शन को भेजी। एन्टीकरप्शन हमारे पास भेजता है। उसमें हमें एक टेक्निकल आदमी से भी जांच करवाना आवश्यक प्रतीत होता है। यह एक डिफेंस है। आपने कम्पलेण्ट की है। हम वह कापी मंगा नहीं पाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 65 है।

श्री उपाध्यक्ष : अब स्थगित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : 65 अकाल के सम्बन्ध में हैं। इसका उत्तर दिला दिया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को पूरी जानकारी देने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन स्थगित कर दिया जायें लेकिन उस सत्र के समाप्त होने के पहले पहले जानकारी मिल जाएगी ? इस बारे में माननीय मंत्री महोदय निश्चित तौर से जानकारी दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : हमारे पास 63 के पहले की रिपोर्ट नहीं है। पूर्ण सूचना देने में असमर्थ हूं। यही हमारे सामने डिफीकल्टी है।

श्री भैरोंसिंह : 63 से लेकर तो है ?

श्री परसराम मदेरणा : आप 48 से जानकारी चाहते हैं, जब से राजस्थान बना है, पूरे आंकड़े आप मांगते हैं।

श्री दौलतराम सारण : ये आंकड़े वित्त विभाग के पास हैं।

श्री भैरोंसिंह : 63 तक के आंकड़े माननीय मन्त्री महोदय के पास हैं, आप वही दे दीजिए। बाकी बाद में दे दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया...

श्री दौलतराम सारण : मैंने पूरी सूचना चाही है। जब राज्य सरकार का इतना धन व्यय हुआ है, उसके आंकड़े निश्चिततौर से होने चाहिएं। पूरे आंकड़े होने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उनको प्रस्तुत करेगी जो आंकड़े राज्य सरकार प्रस्तुत कर सके वह कर दें। बाकी बाद में दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अजीब स्थिति हो गई है। क्योंकि मैंने कहा है कि मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं है। तो कहते हैं जो कुछ है वही प्रस्तुत कर दूं। जब सूचना हमारे पास नहीं है और मैं कुछ कहूं उस पर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें।

श्री भैरोंसिंह : पिछले सत्र में अकाल सम्बन्धी क्वेश्चन स्थगित करवाते रहे। जिस समय उत्तर दिये, अधूरे उत्तर दिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह नहीं कहा है कि मैं नहीं दे सकता हूं। मैंने यह कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो 63 के आगे दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : 63 के पहले के दूं या आगे के दूं। मूल प्रश्नकर्त्ता ने कुछ और पूछा है।

श्री दौलतराम सारण : जो आंकड़े आपके विभाग के पास उपलब्ध हैं, वह दे दें। जो उपलब्ध नहीं हैं, वह बाद में मुझे दे दें। आपको ऐतराज न हो तो।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अभी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसी सत्र में यह उत्तर मिल जाएगा ?

श्री परसराम मदेरणा : विभाग के पास जो आंकड़े हैं, उनका उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो आप उत्तर दे दीजिए।

Page No 27

श्री परसराम मदेरणा : यह क्वेश्चन आता है कि जो कुछ उपलब्ध है, वह मैं फिर जानकारी दे दूंगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

निरीक्षक शारीरिक शिक्षा के पद पर नियुक्ति

42. **श्री रामानन्द अग्रवाल**(अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के मुख्यालय में से निरीक्षक, शारीरिक शिक्षा के पद के लिये अस्थाई नियुक्ति के लिये शासन सचिव शिक्षा विभाग (प्रमोशन प्रकोष्ट 4) द्वारा 2-8-69 को राष्ट्रदूत दैनिक में विज्ञापन के जरिये आवेदन पत्र मांगे गये थे ? यदि हां तो इस पद के लिये क्या क्या योग्यतायें निर्धारित की गई थीं ?

(2) इस पद के लिये किन किन प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उन प्रार्थियों की क्या क्या योग्यतायें थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

(3) क्या यह सही है कि अन्य प्रार्थियों का इन्टरव्यू 13-9-69 या उसके आसपास को लिया गया ? इन्टरव्यू लेने वाली कमेटी में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे तथा कमेटी किस नतीजे पर पहुंची।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी ने सभी प्रार्थियों को रिजेक्ट कर दिया और उक्त पद को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से दुबारा विज्ञापन देकर भरने का निश्चय किया है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी के इस फैसले के बावजूद इन्टरव्यू में रिजेक्ट हुए एक प्रार्थी की नियुक्ति उक्त पद पर कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थी में वे योग्यतायें भी नहीं हैं जिससे कि वह इस पद के लिये चुने जाने के लिये योग्य समझा जाता ?

उत्तर

(1) जी हां, निर्धारित योग्यतायें निम्न प्रकार थी :—

योग्यतायें:—

किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्व विद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री तथा किसी शारिरिक शिक्षा क्षेत्र में पांच वर्ष के अध्यापन का अनुभव अथवा शारीरिक शिक्षा प्रशासन में पांच वर्ष का अनुभव

विशेष योग्यता या दक्षता :—

शारीरिक शिक्षा के कम से कम एक क्षेत्र में खेलकूद सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षित की हैसियत से एथलेटिक्स में / शारीरिक शिक्षा में

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) इन्टरव्यू 18-9-69 को लिया गया। इन्टरव्यू निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा लिया गया :—

(1) श्री जगन्नाथ सिंह मेहता, शिक्षा सचिव।

(शिक्षा मंत्री)

(2) श्री एस० डी० चौगड़े विशेषज्ञ की हैसियत से प्रिन्सीपल लक्ष्मी बाई कालेज आफ फिजीकल एज्यूकेशन ग्वालियर।

(3) श्री सुधीन्द्र कुमार, संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रा० व मा०) राज. बीकानेर।

(4) श्री मेघराज मुकुल उप सचिव, शिक्षा (प्रकोष्ठ 4) विभाग।

कमेटी इस निर्णय पर पहुंची कि उपस्थित अभ्यार्थियों में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि उसे निरीक्षक, शारीरिक शिक्षा के पद पर नियुक्त किया जावें। फिर भी यदि उसे आफीसर की आवश्यकता हो कि जो खेलकूद के प्रोग्राम को संचालन करने की क्षमता रखता हो और उसको उन्नत कर सकता हो एवं कोचिंग के कार्य में रहा हो तो डा. मोहनलाल मीनी ऐसे कार्य के लिये योग्य अभ्यार्थी रहेगा।

(4) उसका उत्तर प्रश्न के भाग (3) में निहित है।

(5) यह सही है। कारण प्रश्न के भाग (3) में उल्लिखित है।

(6) विभाग द्वारा इसके साथ ही यह सिफारिश राज्य सरकार को की गई कि राज्य में खेलकूद के विस्तार को देखते हुये उन्हें वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर कोचिंग का कार्यक्रम आयोजित करने की दृष्टि से एक सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाय और कोचिंग के कार्य के लिये चयन समिति ने डा. मीनी को योग्य माना। अतः विभाग की सिफारिश पर इन्सपेक्टर ऑफ फीजीकल एज्यूकेशन के स्थान पर कोचिंग के कार्य को व्यवस्थित रूप से राज्य भर में संचालन करने हेतु डा. मीनी की अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

उदयपुरवाटी पंचायत क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन

45. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिले के नवलगढ़ सहायक अभियन्ता बिजली बोर्ड के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले उदयपुर वाटी पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितने बिजली के कनेक्शन माह अगस्त, 1970 के अन्त तक लग चुके ?

(2) उक्त कनेक्शनों की संख्या तथा मोटरों की अश्व शक्ति को देखते हुए कितने ट्रांसफार्मर्स की आवश्यकता है और अगस्त 1970 के अन्त तक कितने ट्रांसफार्मर्स इस क्षेत्र में लगे हुए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की जान बूझ कर उपेक्षा की जा रही है तथा आवश्यक सामान तथा ट्रांसफार्मर्स यहां उपलब्ध नहीं करवाये जाकर अन्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराये गये हैं।

(4) उदयपुर वाटी पंचायत समिति क्षेत्र में मार्च 1971 के अन्त तक कितने कनेक्शन और दिये जाने की योजना है और उनके लिये कितना सामान उपलब्ध करवा दिया गया है ?

(विद्युत मंत्री)

(1) 588 कनेक्शन्स दिये जा चुके हैं।

(2) इस समय 41 ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और इनकी क्षमता वर्तमान कनेक्शन्स के लोड के लिए पर्याप्त है।

(3) जी नहीं।

(4) कुओं को बिजली देने के लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किये जाते हैं। मण्डल के निर्णय अनुसार चालू वर्ष में 31-3-70 तक प्राप्त सब आवेदन पत्रों को डिसपोज आफ कर दिया जावेगा तथा इनके लिये आवश्यक सब सामान समय समय पर उपलब्ध कर दिया जावेगा।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिये धनराशि

46. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिये कुछ धन राशि जिलाधीशों को अलाट की गई थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि को जिलाधीशों ने पंचायत समितिवार अलाट कर दिया था ? यदि हां, तो भरतपुर जिले की किस किस पंचायत समिति को उक्त योजनाओं के लिये कितना कितना पैसा दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि कामां पंचायत समिति को भी लघु सिंचाई योजनाओं के लिये पैसा दिया गया था ? यदि हां, तो किस किस ग्राम को और कितना कितना ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना की धनराशि से पंचायत समिति कामां ने ग्राम मुरार ग्राम मुल्लाका और ग्राम नंगला हरनारायण के तीनों बान्धों का नव निर्माण अपनी देखरेख में कराया था ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बान्धों के कच्चे और पक्के कामों के टेण्डर विकास अधिकारी पंचायत समिति कामां ने ही मांगे थे और स्वयं ने ही उनका निर्णय किया था? यदि हां, तो उक्त तीनों बान्धों के कच्चे और पक्के कामों के ठेके किस नाम के ठेकेदारों को दिये गये ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में वर्षा की औसत माप 20 इन्च और 25 इन्च के लगभग है ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 13/14 अगस्त, 1970 को उक्त तीनों बांधों के कच्चे और पक्के काम टूट गये जब की उस समय उस क्षेत्र में दस बारह इंच वर्षा भी मुश्किल से हुई और उनके पानी से ग्राम कनवाड़ा, नंदोला और चक नन्दोला की फसल खरीफ नष्ट हो गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी कि क्या कारण रहा जिससे इतनी थोड़ी वर्षा में उक्त बान्ध टूट गये ?

(स्थगित किया गया)

नवीन इन्जनों की खरीद

47. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग ने नवीन नाम के कुछ इन्जिन खरीदे हैं ? यदि हां, तो कितने व कितने रुपयों में तथा किस फर्म से खरीदे हैं ? इस फर्म का मालिक कौन है ?

(2) क्या यह इन्जिन स्टोर परचेज कमेटी से स्वीकृत हैं ?

(सिंचाई मंत्री)

(1) इस विभाग में "नवीन" नाम के कोई इन्जिन नहीं खरीदे गये हैं।

(2) जी नहीं।

छात्रों को पुरस्कार

48. **श्री बिरदा राम** (जालौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के छात्रों को आय के अनुसार छात्र वृत्ति दी जाती है ?

(2) क्या छात्रवृत्ति प्राप्त उक्त छात्रों को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर पुरस्कार नहीं दिया जाता ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या अन्य जातियों के छात्रों को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर पुरस्कार दिया जाता हैं ? यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों ?

उत्तर

(1) छात्रवृत्ति नियमावली के नियम 5 के अनुसार अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति बिना किसी आय को निर्धारित करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन छात्रों के लिये आय की कोई सीमा निश्चित नहीं है। अनुसूचित जाति के छात्रों को उक्त नियम के अनुसार आय की सीमा का ध्यान रखते हुए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उक्त नियम की तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) छात्रवृत्ति नियमावली के नियम 3 (10) के अनुसार उक्त छात्रावृत्ति पाने वाले छात्र को इस छात्रवृत्ति के साथ केवल विश्व विद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्वीकृत छात्रवृत्ति ही प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा और कोई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्रसारित प्रथम श्रेणी के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति उक्त छात्रवृति के साथ प्रदान नहीं की जाती है।

(3) राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित योग्यता छात्रवृत्ति (प्रथम श्रेणी में पास करने वाले छात्रों को जिनके अभिभावकों को वार्षिक आय 4800) रु० से कम हो) गत वर्ष सत्र 1969-70 से नूतन छात्रवृत्ति प्रदान करना बन्द कर दिया है और इसके स्थान पर आवश्यकता एवं योग्यता छात्रावृत्ति (न्यूनतम आय के अनुसार) प्रदान की जाती है जिसमें किसी जाति या वर्ग का भेदभाव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

लालसोट में बिजली की व्यवस्था

51. **श्री शम्भूराम** (लालसोट): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि लालसोट में बिजली की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी की सप्लाई में बाधा उपस्थित हो रही है ? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

बिलों के पास करने में विलम्ब

53. **श्री विजयसिंह** (मकराना): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य की ट्रेजरियों में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों को

(श्री विजयसिंह)

ट्रेजरी द्वारा पास करके अथवा यदि कोई आपत्ति हो तो आपत्ति के साथ कितने समय के भीतर लौटा देना चाहिये ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर ट्रेजरी द्वारा बिलों को पास करने में अनपेक्षित विलम्ब किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि एक से अधिक आपत्तियों की स्थिति में उक्त ट्रेजरी द्वारा हर बार एक आपत्ति कर बिल को लौटा दिया जाता है और पुनः प्रस्तुत किये जाने पर दूसरी आपत्ति के साथ बिल पुनः लौटा दिया जाता है ?

(4) क्या यह सही है की इस प्रक्रिया में ऐतराज वाले बिलों को पास करने में कभी कभी एक माह से भी अधिक का समय लग जाता है ?

(5) किसी बिल पर उक्त ट्रेजरी को जितने भी ऐतराज दिखाई दें उन सब को एक बार में ही क्यों नहीं कर दिया जाता ?

(6) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोषालयों में प्राप्त विपत्रों को पारित कर लौटाने व यदि कोई आपत्ति हो तो लौटाने में अधिक से अधिक 4 कार्य दिवस का समय लिया जाता है ।

(2) जी नहीं, राज्य सरकार के सम्मुख इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है

(3) जी नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है । कोषालय में जब विपत्र प्रस्तुत किया जाता है तो विपत्र को देख कर यदि पारित योग्य होता है तो पारित कर दिया जाता है, यदि उसमें कोई त्रुटियां दृष्टिगत होती हैं तो समस्त त्रुटियों की आपत्ति साधारणतया एक बार ही की जाती है । आपत्तियों की पूर्ति कर जब विपत्र पुनः प्रस्तुत किया जाता तो यदि उन आधारों पर कोई और बात दृष्टिगत हो तो ही अन्य आपत्ति की जाती है ।

(4) साधारणतया ऐसा नहीं होता । लेकिन कभी 2 इस प्रकार का विलम्ब हो जाना सम्भव ही है जिसका कारण सम्बन्धित विभागों द्वारा आक्षेपों को पालना या पूर्ण पालन न करना है, जिसका उत्तरदायित्व कोषालयों पर न होकर सम्बन्धित विभाग पर ही है । इस दृष्टि से देखा जावे तो कोषालयों में विलम्ब नहीं होता है ।

(5) क्रम सं० 3 पर उत्तर दिया जा चुका है ।

(6) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपत्रों को पारित करने में या पारित न किये जाने की अवस्था में आक्षेप के साथ लौटाने में साधारणतया कोई विलम्ब नहीं किया जाता है; यदि किसी मामले में कोई विलम्ब हो भी जाता है तो वह कोषालयों के कारण नहीं वरन् विभागों स्वयं के द्वारा अपूर्ण विपत्र प्रस्तुत करने का आक्षेपों की पालना पूर्णरूप से न करने के कारण होता है । यदि विभाग नियमानुसार विपत्र बनाकर पूर्ण विपत्र प्रस्तुत करें तो कोष कार्यालय में उनके निराकरण करने में समय लगने का प्रश्न नहीं है ।

(वित्त मंत्री)

अतः समस्त विभागों को बिल सहीरूप में बनाकर भेजने तथा आपत्तियों का पालन पूर्णरूप से करने के हेतु एक परिपत्र जारी करने के प्रश्न पर वित्त विभाग विचार करेगा। साथ ही कोष कार्यालयों को भी बिल विशेष से सम्बन्धित समस्त आपत्तियां एक साथ ही करके लौटाने के आदेश पुनः जारी किये जावेंगे।

जिला झालावाड़ की नहरों की मरम्मत

54. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांध भीमती, जिला झालावाड़ की नहरों की मरम्मत न करने व मिट्टी न निकालने की शिकायतें समय समय पर विभाग को की जाती रही हैं ? यदि हां, तो कब कब तथा यह कार्य आज तक भी पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि नहरों की सफाई व मरम्मत न होने से सिंचाई कम होती है और पानी खेतों में नहीं पहुँचता इससे किसानों की फसलें हर साल सूख जाती है ?

(3) इस कार्य में विभाग की लापरवाही की जांच क्यों नहीं की जाती जबकि हर साल ऐसी शिकायतें कर दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, केवल एक शिकायत मई, 70 में प्राप्त हुई थी। नहर की मरम्मत व सिल्ट निकालने का कार्य किया जाता रहा है। शेष कार्य के तखमीने बनाये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक

56. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जो अध्यापक 3 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने से पूर्व बी. एड. प्रशिक्षण में भेजे गये थे, अब उनकी प्रशिक्षण से पूर्व की सेवायें निरस्त की जा रही हैं ?

(2) ये अध्यापक प्रशिक्षण में स्वेच्छा से गये थे अथवा राज्य सरकार के आदेश से गये थे ?

उत्तर

(1) कुछ समय पूर्व कुछ अध्यापकों को भूल से 3 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने के पूर्व ही बी. एड. प्रशिक्षण में भेज दिया गया था। नियमानुसार ऐसे अध्यापकों की सेवायें निरस्त की जाती हैं, परन्तु विभाग द्वारा इन अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इनके पूर्व की सेवायें निरस्त न करने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जा रहा है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

हैड मास्टरों की नियुक्ति

58. श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में सेकेन्डरी स्कूलों के हैड मास्टरों की सीधी नियुक्ति राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये किस साल में हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि परमानेन्ट पोस्ट्स पर एडहोक एपोइन्टमेंट चलाते आ रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर चयन सन् 1963 में किया गया था।

(2) यह सही है। इन पदों पर चयन राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के आधीन किया जाता है। जैसा कि सेवा नियमों में प्रावधान हैं। चयनित व्यक्तियों के अभाव में वरिष्ठतानुसार इन पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं।

आलनियां नहर से सिंचाई

59. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस साल आलनियां नहर से किन किन व्यक्तियों को धान लगाने की स्वीकृति दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि धान लगाने की स्वीकृति के लिये अनेक किसान जिलाधीश के यहां मिटिंग के समय आये थे और उनको इस सम्बन्धी आश्वासन दे दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि बाद में मवासा आदि के किसानों को इजाजत न देने से उनका धान, बीज वगैरह खराब हो गया और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा ?

(4) सरदार जगदीपसिंह को कितना बीघा में धान लगाने की स्वीकृति दी गई है और अन्य छोटे किसानों को कितने बीघा की स्वीकृति दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) स्वीकृति देने की कोई व्यक्तिगत प्रथा नहीं हैं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल में मरे सांचोरी नस्ल के पशु

38. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले सालों में तहसील सांचोर में भयंकर अकाल होने से सांचोरी नस्ल के कई पशु मर गए ? अगर हां, तो पिछले सालों में कुल कितनी मवेशी मरे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस वर्ष भी सांचोर तहसील में अकाल होने से मवेशी काफी मर चुकी है अगर हां, तो अब तक कितनी मवेशी मरी है ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) अब मवेशी के बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? बाहर गई हुई मवेशी के लिये सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

(4) पशुपालन विभाग के व पंचायत समिति के सांचोर नस्ल के सांडों के लिये सरकार द्वारा पिछले साल क्या सहायता दी गई थी ? इस वर्ष सहायता अब तक क्यों नहीं शुरू की गई ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि सहायता के अभाव में सरकारी सांडों के मरने की हालत पैदा हो गई हैं ? अब सरकारी सहायता सांडों के लिये कब तक देनी शुरू करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) पिछले सालों में तहसील, सांचोर में अभावस्थिति के कारण सांचोरी नस्ल के कितने पशु मर गये, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस वर्ष (2027) सामान्य स्थिति होने के कारण सरकार द्वारा कोई कदम उठाये जाने की आवश्यकता नहीं रही है। अभाव वर्ष सम्वत 2026 में बाहर गई हुई मवेशियों के लिये वापस आते समय मार्ग में निष्क्रमण डिपोज पर निःशुल्क चारे एवं चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है।

(4) पशुपालन विभाग व पंचायत समिति के सांडों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर साण्ड सहायता (सबसीडी टू पेडेगिरी बुल्स) दी गई थी। इस वर्ष अब यह सहायता देने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है।

(5) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

अकाल सहायता कार्य

39. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़):** क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष अकाल सहायता कार्यों पर राजस्थान में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ? जिलेवार आंकड़ें दें।

(2) प्रत्येक जिले में कितने ग्राम और कितनी जनसंख्या व पशु संख्या अकाल पीड़ित रही ?

(3) प्रत्येक जिले में कितने कितने व कौन कौन से सहायता कार्य चालू किए गए ? उनसे कितने मजदूरों ने लाभ उठाया ? कामवार व जिलेवार संख्या बताने की कृपा करें ?

(4) कितने मजदूरों की मजदूरी अभी तक चुकानी बाकी है और उसके कितने रुपये होते हैं ? जिलेवार अथवा कामवार आंकड़े दिए जायें।

(5) मजदूरी के अतिरिक्त कुल कितना व्यय किस किस पर हुआ ?

(स्थगित किया गया)

अध्यापकों के वेतन का भुगतान

40. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाली के अध्यापकों को वेतन समय समय पर नहीं मिलता है ?

(2) विलम्ब से भुगतान करने के क्या कारण हैं ? भविष्य में वेतन का भुगतान विलम्ब से न हो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) वेतन प्राय: समय पर ही भुगतान किया जाता है केवल माह मार्च, अप्रेल व जून 70 में वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा सका था।

(2) विलम्ब से भुगतान किये जाने का कारण विभाग द्वारा पूरी राशि हस्तान्तरित नहीं किया जाना था। भविष्य के लिए आवश्यकतानुसार राशि हस्तान्तरित करने के लिए सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है।

अकाल से मवेशियों की मृत्यु

41. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वित्तीय वर्ष सन् 69-70 एवं 68-69 में राजस्थाम में अकाल में कितने कितने मवेशी व मानव मर गये ? प्रत्येक जिलेवार एवं वर्षवार आंकड़े बताने की कृपा करें तथा मौत का कारण बताने की कृपा करें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष सन् 69-70 एवं 68-69 में राजस्थान में अकाल के कारण भूख से कोई मनुष्य नहीं मरा। पशुओं के मरने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अत: जिलेवार एवं वर्षवार आंकड़े तथा मौत का कारण बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्माण कार्यों की स्वीकृति

42. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरदारशहर और डूंगरगढ़ पंचायत समिति क्षेत्रों में कितने ऐसे निर्माण कार्य पंचायत समितियां बनने से लेकर अब तक किये गये हैं जिनके कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र और उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये हैं ? ये कार्य कब कब के हैं और कितनी लागत के हैं ?

(2) कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, और उपयोगिया प्रमाण-पत्र न देने के क्या कारण हैं ?

(3) इस सम्बन्ध में उपरोक्त समितियों ने कब कब प्रस्ताव पास करके जिलाधीश, उप जिला विकास अधिकारी और विकास विभाग को भेजे और कब कब पत्र लिखे व कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? क्या इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी का दोष पाया गया है ?

(4) अब कब तक प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था करदी जावेगी।

(स्थगित किया गया)

अध्यापकों की वेतन वृद्धि के मामले

43. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नगर जिला भरतपुर के अध्यापकों के प्री-मेच्योर इन्क्रीमेन्ट के कितने मामले थे . इनमें से कितने मामलों का निर्णय हो चुका है ? और कितने मामले अभी तक अनिर्णीत पड़े हुए हैं ?

(2) इसी पंचायत समिति के अध्यापकों के सामयिक वेतन वृद्धि व स्वीकृत किये जाने के कितने मामले किन किन कारणों से पड़े हुए हैं ?

(3) कितने अध्यापकों की वेतन वृद्धि 105/- रु० पर रोक दी गई है और अन्य समकक्ष वेतन पाने वाले अध्यापकों पर से क्या यह रोक हटाई गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) कितने अध्यापकों की 130) रुपये वेतन पर रोक लगा दी गई है तथा उसके कारण क्या हैं ?

(5) पंचायत समिति कितने अध्यापकों के मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट बिल कब से और क्यों पड़े हुए हैं ?

(6) कितने अध्यापकों के मेडिकल ग्राउण्ड पर अवकाश के मामले स्वीकृति हेतु पड़े हुए हैं ? ये मामले कब से और क्यों पड़े हुए हैं ?

(7) नगर पंचायत समिति के कितने अध्यापकों के 1-9-61 की रिवाइज्ड-पे-स्केल में रि-फिक्सेशन के मामले अभी तक किन कारणों से अनिर्णीत पड़े हुए हैं ?

उत्तर

(1) कुल 33 मामले थे। 19 मामले निर्णीत किये जा चुके हैं। 14 मामले अभी अनिर्णीत ही हैं।

(2) सामयिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का एक भी मामला नहीं है।

(3) एक भी अध्यापक ऐसा नहीं है जिसकी वेतन वृद्धि 105) पर रोक दी गई है। एक अध्यापिका की वेतन वृद्धि 105) पर इस कारण रुकी हुई है कि ग्राम सेविका पद से अध्यापिका पद पर परिवर्तन होने के आदेश सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं हैं तथा तृतीय वेतन श्रृंखला 1961 का स्थिरीकरण नहीं हुआ है।

(4) 8 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी कि वेतन वृद्धि 130) पर रुकी हुई है। 7 अध्यापकों की वेतन वृद्धि उनके मैट्रिक पास न होने व एक अध्यापक को उनके प्रशिक्षित न होने के कारण रुकी हुई है।

(5) 16 अध्यापकों के मेडिकल रिएबर्समेंट बिल्स माह मार्च 1970 से भुगतान हेतु पड़े हुए हैं। भुगतान पंचायत समिति की निजी आय से किया जाना है। धनाभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है।

(6) 5 अध्यापकों के मामले स्वीकृति हेतु गत सत्र से पड़े हुए हैं। स्वीकृत नहीं किये जाने का कारण अध्यापकों द्वारा वांछित पूर्ति नहीं किया जाना है।

(7) 21 मामले शेष हैं। केवल 3 अध्यापकों ने ही अब तक विकल्प पत्र दिये हैं।

बकाया मजदूरी का भुगतान

44. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कई मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कई महीनों से अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो अकाल सहायता कार्य शुरू होने से लेकर अब तक कितने किन-किन मजदूरों की मजदूरी भुगतान करना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इतने मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न करने के क्या-क्या कारण हैं ? और अब भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में अकाल सहायता कार्यों के हजारों मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करना शेष है ? यदि हां, तो कितने मजदूरों का तथा इस बकाया रकम का मजदूरों को भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

(4) तहसील सांचोर में फर्जी भुगतान के कितने मामले कहां कहां पर नोटिस में आये ? इस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इन मामलों में असली मजदूरों को उनको मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) फर्जी मजदूरी का भुगतान रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही इस वर्ष की जावेगी ?

(6) अब अन-पेड मजदूरों की मजदूरी जिला जालौर एवं तहसील सांचोर की कितनी है ? उसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

अकाल राहत कार्यों की देखभाल के लिए समिति का गठन

45. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने अकाल राहत कार्यों की देखभाल के लिये एक समिति का सुझाव दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि गत राहत कार्यों में ज्यादा भ्रष्टाचार पनपा व राहत कार्य पक्षपात के आधार पर खोले गये ?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार का इस समिति का सुझाव उपरोक्त कारणों से ही हुआ ?

(4) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के उपरोक्त सुझाव को क्यों नहीं माना गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। भारत सरकार के सुझाव पर केन्द्रीय समन्वय समिति स्थापित की जा चुकी है।

उम्मेद जनाना अस्पताल में आपरेशन थियेटर का निर्माण

46. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर के उम्मेद जनाना अस्पताल में परिवार नियोजन आपरेशन थियेटर के निर्माण की स्वीकृति कब हुई और इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

(2) इस थियेटर के निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ हुआ और इसमें अब तक क्या क्या कार्य हो चुका है ?

(3) क्या यह सही कि अर्थाभाव के कारण यह निर्माण कार्य गत एक वर्ष से रोक दिया गया है ?

(4) क्या यह सही कि गत बजट सत्र में इस थियेटर को पूरा करने के लिये 60,000 रुपये की मन्जूरी दिये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो अब तक यह कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं और अब कब तक कार्य शुरू होगा ?

उत्तर

(1) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पोस्ट पार्टम योजना लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ० (5) पनि/69 दिनांक 2-3-70 द्वारा उम्मेद अस्पताल जोधपुर में 50 हजार रु० की लागत से एक छोटा आपरेशन थियेटर निर्माण करने की स्वीकृति दी है।

(2) इस थियेटर का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया गया है तथा उसका निर्माण कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है। उसके इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की पूरी सम्भावना है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। 50,000 रु० की स्वीकृति दी गई थी।

बडगांव एवं जैतपुरा की नदियों का पानी

47. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि रानीवाड़ा पंचायत समिति में बडगांव व जैतपुरा दो निरन्तर बहने वाली नदियों का पानी गुजरात में जाता है ? अगर हां, तो उस पानी को गुजरात सरहद पर रोक कर नहर के जरिये सांचोर की तरफ लाकर सांचोर तहसील में पीने के पानी समस्या मिटाने के लिये व सिंचाई के लिये पानी का उपयोग करने की सरकार की कोई योजना है ? अगर हां, तो वह योजना क्या है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि वर्षा-ऋतु में जब उपरोक्त नदियों में पानी ज्यादा आता है तो उन नदियों का कुछ पानी सांचोर तहसील में हमेशा बहकर आता है और इससे सैंकडों कुओं में पानी मीठा हो गया है और उनसे अब सिंचाई भी होती है ? अगर हां, तो ऐसी नदियों का पानी गुजरात सरहद पर बन्धे के जरिये रोक कर सांचोर तहसील में अब तक क्यों नहीं लाया गया। क्या सरकार शीघ्र ही अब यह कार्य

Page No 39

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कार्यान्वित करना चाहती है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा।

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त नदियों के पानी को गुजरात में सिंचाई के काम में लाने के लिये गुजरात सरकार कोई बांध बनाने की योजना बना रही है ?अगर हां, तो क्या उसको शीघ्र बन्द कराने की कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

1. (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

2. (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि बांध बनाने की कोई उपयुक्त जगह नहीं है। अब रानीवाड़ा के पास दो योजनायें बनाई जा रही हैं और इन पर कार्य चालू किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

सदेरी बांध

48. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) भीलवाड़ा जिले के सदेरी बांध पर इस वर्ष रिलीफ के नाम पर किस किस काम पर कितना कितना रुपया खर्च किया गया है सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस बांध पर एक मच्छी एक फव्वारा या बागीचा व बांध की पाल पर एक बरांडा तथा दो पुतले बनाये इन पर अलग अलग कितना कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के सदेरी बांध पर अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 85,000 रुपया निम्न प्रकार से खर्च किया गया।

(क) तालाब की पाल व गाइड बांध की पाल पर मिट्टी कार्य।	37,800/-
(ख) पक्का कार्य रिटेनिंग व काल एवं पिचिंग आदि	47,300/-
	85,100

(2) मच्छी दो पुतलें (welcome pillars) आदि अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत नहीं बनायें गये। रेग्यूलर हैड 44 एम० एण्ड आर० के अन्तर्गत बनाये गये हैं जिसकी लागत सूची संलग्न है। फव्वारा नहीं बनाया गया है, बगीचा व बारंडा बांध पर पहले से ही है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नागौर जिले की विभिन्न तहसीलों का सी लेवल

49. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जिला गंगानगर की तलवाड़ा झील का सी-लेवल क्या है।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(2) नागौर जिले की विभिन्न तहसील का सी लेवल क्या है ?

(3) तलवाडा झील व नागौर जिले के बीच में सबसे ऊंचा व सबसे नीचा सी-लेवल कितना कितना कहां कहां है ?

(4) सूरतगढ़ के पास जो झील घग्घर की डाईवर्ट करके बनाई उसका क्षेत्रफल क्या है तथा सी लेवल क्या है। इस झील में कितना पानी स्टोर होने की क्षमता है ?

उत्तर

(1) जिला गंगानगर की तलवाड़ा झील का लेवल राजस्थान नहर तथा घग्घर नाली के क्रोसिंग साइफना से अपस्ट्रीम का 622-47 है।

(2) जिला नागौर की तहसीलों (मुख्य स्थानों) के सी-लेवल इस प्रकार हैं—

(1)	मेड़ता	980
(2)	नागौर	973
(3)	डेगाना	1102
(4)	परबतसर	1643
(5)	डीडवाना	1142
(6)	नावा	1250

(3) ऊंचे से ऊंचा लेवल 1122 लाडनूं है तथा नीचे से नीचा तलवाड़ा झील है।

(4) (1) 40,000 एकड़

(2) 604-00

(3) 7 लाख एकड़।

जालौर एवं पाली जिलों की सिंचाई योजनाएं

50. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जालौर एवं पाली जिलों में गत वर्षों में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत कौन-कौन से सिंचाई प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए ? तथा प्रत्येक कार्य पर कितनी कितनी धन-राशि खर्च की गई, कितने कार्य सम्पूर्ण हो गए, प्रत्येक प्रोजेक्ट की सिंचाई क्षमता क्या है और अधूरे कार्यों को पूरा कराने की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(क) सूची संलग्न है।

(ख) अधूरे कार्यों की रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत पूरा करने का प्रावधान है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागौर सुजानगढ़ मार्ग पर बसें

51. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नागौर से सुजानगढ़ के लिए प्राइवेट बसें चलती हैं। यदि हां, तो गाड़ी नं० एवं उनके मालिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन गाड़ियों पर रोड टैक्स एवं सेल्सटैक्स बकाया है ? यदि हां, तो कितना कितना किस गाड़ी का किस अवधि का बाकी है ? ब्यौरेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

Page No 41

(श्री गोरधन सोनी)

(3) क्या यह सब गाड़ियां जिनके नाम से हैं उन्हीं के द्वारा चल रही हैं ?

(स्थगित किया गया)

मेड़ता पुष्कर मार्ग को बस

52. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गाड़ी नं० 2713 आर. जे. क्यू. मेड़ता से पुष्कर तक चल रही है ?

(2) कृपया उपरोक्त गाड़ी के मालिक का नाम बतावें एवं इस गाड़ी का रोड़ टैक्स और सेल्सटैक्स कितना बकाया है व किस किस तिमाही का बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस गाड़ी को असली मालिक नहीं चला रहा है एवं यह गाड़ी कई वर्षों पहले बिक चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस गाड़ी के मालिक का नाम श्री गंगादान पुत्र श्री धोकलदान साकिन रोजास तहसील परबतसर हैं। इस वाहन का रोड़ टैक्स दिनांक 31-12-70 तक नागौर में जमा करवाया हुआ है । कोई टैक्स बकाया नहीं है सेल्स टैक्स का संबंध वाणिज्य कर विभाग से हैं।

(3) यह गाड़ी श्री निवास मेड़ता वाले को बेची जा चुकी हैं। अतः इस संबंध में मोटर मालिक को नोटिस दिया जा चुका है। उत्तर प्राप्त होने पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी।

घग्घर कैनाल

53. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले दस साल में घग्घर कैनाल का हाइएस्ट डिस्चार्ज क्या रहा है और प्रत्येक साल का अलग 2 डिस्चार्ज क्या रहा है ?

(2) घग्घर कैनाल में कम से कम पानी का डिस्चार्ज पिछले दस सालों में कितना कितना रहता रहा है ?

(3) घग्घर कैनाल का पिछले दस सालों में हर साल का औसत पानी का डिस्चार्ज अलग 2 क्या 2 रहा है ?

(4) घग्घर में पिछले दस सालों में हर साल सबसे पहले कब 2 पानी आया ? एवं आखरी बार उसमें पानी कब 2 हर साल बार आई ? कृपया तारीखवार आंकड़े बतायें ?

उत्तर

(1) क. पिछले दस साल में अधिकतम डिस्चार्ज सन् 1964 में 21456 क्यूसेक्स था ।

ख. सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) सूची संलग्न हैं ।

(सिंचाई मन्त्री)

(4) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

तहसील दूदू व फुलेरा में सिंचाई के बन्धे

54. **श्री मुन्नालाल चौधरी (दूदू) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) तहसील दूदू व फुलेरा में सिंचाई के उपयोग में आने वाले कितने बन्धे हैं जो सिंचाई विभाग की देखरेख में हैं ?

(2) उक्त तहसीलों में ऐसे बन्धे कितने हैं जो तहसील की देखरेख से सिंचाई के उपयोग में आते हैं ?

(3) उक्त तहसीलों में ऐसे बन्धे कितने हैं जो पंचायत समितियों, पंचायतों की देखरेख में हैं ?

(4) उक्त तीनों किस्म के बन्धों की सूची मय नाम बन्धा व ग्राम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त तहसील में ऐसे कितने बन्धे हैं जिनसे सिंचाई होती है या हो सकती है परन्तु वे किसानों की खातेदारी में दर्ज हैं ? मय नाम बन्धा व नाम किसान व रकवे की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 25 बन्धे हैं।

(2) एक भी नहीं हैं।

(3) 9 बन्धे हैं।

(4) सूची संलग्न है।

(5) 50 एकड़ से अधिक सिंचाई वाले ऐसे बन्धे नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

घग्घर कन्ट्रोल चैनल की डूब में आई भूमि

55. **श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) घग्घर कन्ट्रोल चैनल की डूब में कुल कितना रकबा आया है ? सरकारी कितना है वह टी. सी. पर दिया हुआ कितना है तथा खातेदारी रकबा कितना है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ काश्तकारों ने अपने कब्जे की भूमि का तबादला लिया है ? यदि हां, तो कुल कितने काश्तकारों ने वह कितने रकबे का तबादला लिया है ?

उत्तर

(1) घग्घर फ्लड कन्ट्रोल की डूब में कुल रकबा 28321 एकड़ आवाप्त हुआ है जिसमें से सरकारी भूमि 15485 एकड़ है। और शेष खातेदारी रकबा है।

(2) जी हां, कुल काश्तकार 235 हैं जिन्होंने जमीन का तबादला लिया है और उनका कुल रकबा 3049 एकड़ है।

राजकीय प्राथमिक शाला गांधीनगर

56. **श्री विजयसिंह (मकराना) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधीनगर (जयपुर) स्थित राजकीय प्राथमिक शाला की प्रथम शिफ्ट में कुल कितने छात्र हैं ?

Page No 43

(श्री विजयसिंह)

(2) प्रत्येक कक्षा में कितने 2 छात्रों के बैठने के लिए समुचित स्थान है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक कक्षा में स्थानाभाव के कारण छात्रों को खुले स्थान में या छतों पर अथवा बराण्डे में बैठाया जाता है तथा धूप और वर्षा से बचने का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

(4) सरकार इस पाठशाला में अतिरिक्त स्थान का प्रबन्ध कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 414 छात्र हैं।

(2) छात्रों की संख्या के अनुपात में बैठने के लिये समुचित स्थान उपलब्ध नहीं है।

(3) यह सही है। धूप एवं वर्षा से बचने की यथासम्भव व्यवस्था की जाती रही है।

(4) अर्थाभाव एवं स्थानाभाव के कारण निश्चित अवधि बताना कठिन है।

अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड

57. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सन् 1961 से अध्यापकों को जो सलेक्शन ग्रेड मिलनी थी और सन् 66 से जिसके आदेश हो चुके हैं वह शिक्षा विभाग के अध्यापकों को मिल गयी है परन्तु पंचायत समितियों के शिक्षकों को अभी नहीं मिली है। यदि हां, तो पंचायत समितियों के शिक्षकों को यह ग्रेड कब तक मिल जावेगी ?

उत्तर

पंचायत समितियों के अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड देने के संबंध में पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा 692 एवं अध्यापक अध्यापिकाओं को सलेक्शन ग्रेड सन् 1966 तक दिया जा चुका है। शेष के लिये कार्यवाही जारी है।

श्री वर्द्धमान जैन मिडिल स्कूल ओसियां का जूनियर हायर सेकण्डरी स्कूल में परिवर्तन

58. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) श्री वर्द्धमान जैन मिडिल स्कूल ओसिया को जूनियर हायर सेकण्डरी में परिवर्तित किस तारीख को किया गया और परिवर्तित करते समय क्या क्या शर्तें रखी गई थीं ?

(2) इस स्कूल के साथ अन्य किन किन सहायता प्राप्त मिडिल स्कूलों को जूनियर हायर सेकण्डरी में परिवर्तित किया गया और उनके साथ क्या क्या शर्तें रखी गई थीं ?

(3) क्या यह सही है कि श्री वर्द्धमान जैन सेकण्डरी स्कूल ओसिया के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ाये हुए स्तर का अनुदान मिलने लग गया ? यदि हां, तो वर्द्धमान जैन सेकण्डरी स्कूल को बढ़े हुए स्तर का अनुदान

(श्री ओमदत्त भाटी)

क्यों नहीं दिया गया है ? इस सम्बन्ध में अब कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा संस्था को पिछले वर्षों का अनुदान देने सम्बन्धी सिफारिशें बार बार की गई हैं ?

उत्तर

(1) श्री वर्द्धमान जैन मिडिल स्कूल ओसियां को राजकीय आदेश दिनांक 28-7-62 द्वारा जुनियर हायर सेकण्डरी स्कूल में प्रमोशन किया गया। प्रमोशन करने की शर्तें संलग्न है।

(2) सूची में अंकित है।

(3) यह सही नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता। मामला विचाराधीन है।

(4) यह सही है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला सांचोर में जीवविज्ञान विषय

59. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, सांचोर में अब तक जीवविज्ञान विषय नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो क्यों नहीं ?

(2) अब उपरोक्त पाठशाला में जीवविज्ञान विषय कब तक खोल दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त पाठशाला में अबतक टाईपिंग कक्षा भी नहीं खोली गई है जबकि टाईपराइटर पाठशाला में मौजूद है ? अगर हां, तो क्यों नहीं ? अगर नहीं तो कब शुरू की गई ? अब टाईपिंग कक्षा उपरोक्त पाठशाला में कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांचोर में गत वर्ष 1969-70 में जीवविज्ञान विषय निम्न शर्तों पर प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी थी :—

(i) निर्धारित मांग को प्रयोगशाला का कमरा उपलब्ध हो गया।

(ii) प्रयोगशाला के लिए 15000/- जमा करावें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न होने से जीवविज्ञान विषय नहीं खोला गया।

(2) आगामी वर्ष 1971-72 में बजट में प्रावधान होने पर विचार किया जावेगा।

(3) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचोर में सत्र 1968-69 में वाणिज्य विषय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की थी। लड़कों की रुचि के अनुसार ही इस शाला में वाणिज्य वर्ग के अन्तर्गत प्रारंभिक प्रशिक्षण विषय चालू किया गया अगर छात्र उस समय चाहते तो टंकण लिपि विषय भी खोला जा सकता था। गत वर्षों में छात्र संख्या पर्याप्त न होने के कारण वाणिज्य वर्ग के अन्तर्गत दूसरा विषय खोलना सम्भव नहीं था। आगामी वर्ष छात्र संख्या बढ़ने पर

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालय निरीक्षक, जालोर द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

भंडारी आयोग की रिपोर्ट

60. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भंडारी आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है और क्या सरकार इसे लागू करना चाहती है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक ले लिया जावेगा और इसे लागू कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। निर्णय लिया जा चुका है। आंशिक रूप में लागू कर दी गई है।

पंचायत समितियों के शिक्षक और राणावत समिति की रिपोर्ट

61. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

क्या सरकार पंचायत समितियों के शिक्षकों के लिये राणावत समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहती है ? अगर हां, तो इसका निर्णय कब तक होने वाला है ?

उत्तर

राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा (नये वेतन मान) नियम 1969 लागू कर दिये गये हैं। ये नियम सितम्बर 1968 से लागू किये गये हैं।

रेल्वे मल्टीपरपज हायर सैकन्डरी स्कूल बांदीकुई को सहायता

62. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गवर्नमेंट रेल्वे मल्टीपरपज हायर सैकन्डरी स्कूल बांदीकुई को राजस्थान सरकार सहायता (ग्रांटइनएड) देती है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल में प्रवेश केवल रेल्वे कर्मचारियों के बच्चों को ही दिया जाता है ?

उत्तर

1. जी हां। इस शाला को 25 प्रतिशत अनुदान मिलता है।

2. जी नहीं।

शिक्षण संस्थाओं को सहायता

63. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि सहायता प्राप्त (Aided) पाठशालाओं के शिक्षक, शिक्षिकाओं व अन्य समस्त कर्मचारियों का जितना वेतन कुल होगा उतनी सहायता सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को दी जायेगी। यदि हां, तो इस योजना का कार्यान्वयन कब होगा ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान शिक्षा से बेकारी फैल रही है, अत: सरकार कमाओ और सीखो (Earn while you learn) प्रणाली लागू करने का सोच रही है ? यदि

(श्री फूलचन्द बाफना)

हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कहां कहां क्या क्या प्रयोग किए हैं और यह योजना कब और किस स्तर पर सरकार लागू करने जा रही है ?

(3) पुरुष शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा पर सरकार वार्षिक खर्च कितना कितना करती है ? पिछले तीन वर्ष के आंकड़े बताने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार यह जरूरी नहीं मानती कि स्त्री शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए और कन्या शिक्षा की सहायता प्राप्त संस्थाओं को कुछ वर्ष पूरी पूरी सहायता सम्पूर्ण खर्च की देनी अत्यावश्क है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार यह कदम कब उठाएगी ?

उत्तर

1. हां। इस घोषणा के अन्तर्गत योजना की क्रियान्विति के सन्दर्भ में अन्य राज्यों से जानकारी ली जा रही है कि उनके यहां क्या इस प्रकार की योजना लागू है या इस प्रकार की कोई योजना लागू करने में उनके विचार क्या हैं इसके साथ साथ इस योजना के लागू किए जाने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक प्रभार आंका जा रहा है कि वर्तमान में जिस प्रकार सहायता दी जा रही है उसमें तथा इस योजना को लागू करने में तुलनात्मक दृष्टि से आर्थिक प्रभार क्या होगा अतः इसकी क्रियान्विति अन्य राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त होने तथा आर्थिक प्रभार के अध्ययन के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगी।

2. यह सही नहीं है कि वर्तमान शिक्षा से बेकारी फैल रही है। जहां तक शिक्षा से बेकारी का प्रश्न है यह कहना उचित नहीं है क्योंकि शिक्षा बेकारी को मिटाती है न कि बेकारी उत्पन्न करती है। बेकारी का वर्तमान में बढ़ने का कारण शिक्षा नहीं है बल्कि बेकारी का मुख्य कारण है शिक्षा की वृद्धि की मात्रा की तुलना में इससे दुगनी मात्रा में बढ़ती हुई जनसंख्या व आर्थिक विकास की धीमी गति है न कि शिक्षा। कमाओ और सीखो प्रणाली का बेरोजगारी की समस्या हल करने से सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह योजना शिक्षा का ही एक अंग है जो छात्र/छात्राओं में स्वावलम्बन की भावना एवं प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लागू की जा रही है, ताकि भविष्य में ये स्वावलम्बी हो सकें तथा वर्तमान में भी इससे छात्र छात्रायें अपने अतिरिक्त समय में कुछ उत्पादन के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसका प्रयोग कराने हेतु शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिये हैं जिसमें करीब 200 संस्थाओं में इसकी क्रियान्विति के फलस्वरूप सफलता प्राप्त हुई है। इस योजना में कोई निश्चित प्रयोगों की नामावली नहीं दी जा सकती इसमें शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन कर उनसे कमाई करना सबसे बड़ा प्रयोग है। यह योजना वर्तमान में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक ही लागू की जा रही है।

3. गत तीन वर्षों की आर्थिक तालिका संलग्न है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय तथा कालेज व विद्यालय दोनों स्तरों में सहशिक्षा दी जाती है जिसमें पुरुष शिक्षा पर कितना व स्त्री शिक्षा पर कितना व्यय होता है इसे छांटा जाना असम्भव है। तालिका में दिये गए ब्यौरे राजकीय शालाओं से सम्बन्धित हैं।

(शिक्षा मंत्री)

4. यह सरकार जरूरी मानती हैं। अनुदान प्राप्त संस्थाओं को सम्पूर्ण खर्च की पूरी 2 सहायता देना स्वीकार कर लिया जाय तो फिर उनकी स्वयं की प्रवृत्ति एवं उत्तरदायित्व क्या रहेगा।

सरस्वती बालिका विद्यालय अजमेर को ऋण

64. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री सरस्वती बालिका विद्यालय, अजमेर को जो ऋण सरकार ने दिया था वह अभी तक वसूल नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों और उक्त ऋण किस प्रकार से कब कब वसूल होना चाहिए था ? विवरण सदन की मेज पर पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ऋण संस्था द्वारा देय होने के बाद उक्त संस्था को सरकार ने कितना कितना अनुदान कब कब दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस संस्था को सरकार ने कभी विशेष अनुदान भी दिया है ? यदि हां, तो कब कब कितना कितना रुपया किस किस कार्य के लिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) सरकार द्वारा उक्त स्कूल को कुल खर्चे के कितने प्रतिशत सहायता दी जाती है और स्कूल को कितना प्रतिशत अपनी ओर से साधन जुटाने पड़ते हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार के अलावा भी किसी संस्था या व्यक्ति से उक्त स्कूल ने ऋण लिया है ? यदि हां, तो कब कहां से और कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) इस स्कूल का कुल वार्षिक खर्चा क्या है जिसमें सरकार से कितनी सहायता दी जाती है तथा उक्त स्कूल की खुद की क्या वार्षिक आय है और क्या क्या अचल सम्पत्ति कितने कितने मूल्य की है ?

(7) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाये गये नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. सरस्वती बालिका विद्यालय, अजमेर को भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से दो लाख का $4\frac{1}{2}\%$ के हिसाब से ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋण स्वीकृत करते समय यह शर्त थी कि उसको बराबर तीस किश्तों में जमा करवाया जावेगा। संस्था को ऋण 60-61 में दिलाया था तथा उसके एक साल बाद यानि 61-62 से वसूली शुरू होनी थी। 31-3-70 तक कुल 51,666/- मूलधन तथा 31-3-68 का ब्याज 49,967/- वसूल हो जाना चाहिये था लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-3-69 तक संस्था ने मूलधन के प्रति केवल 3333/-ही जमा करवाये हैं और उसके बाद की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। संस्था की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण राज्य सरकार ने अपने पत्रांक एफ 47(14)

(शिक्षा मंत्री)

के 1/68 1969 दिनांक 24-10-66 के अन्तर्गत वसूली को 31-3-67 तक पोस्ट पोन किया था। विभाग ने 69-70 को इस संस्था के अनुदान से सीधी वसूली करने के आदेश प्रसारित कर दिये थे।

2. संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 64-65 से अब तक दिये गये अनुदान का विवरण संलग्न है।

3. संस्था के वर्ष 69-70 में रुपया 25,000 का विशेष अनुदान अध्यापिकाओं के वेतन के भुगतान के लिए दिया गया है। इससे पूर्व 66-67 में छात्रावास भवन के लिए रु० 31,000 का अनुदान दिया गया था।

4. सरस्वती बालिका विद्यालय अजमेर को 1969-1970 तक कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 90% तथा कटिनजेन्सी के अन्य पदों पर 60% अनुदान दिया जाता रहा है इससे अधिक समस्त व्यय संस्था को वहन करना पड़ा है!

5. संस्था की बैलेन्सशीट 31-3-69 को देखने से ज्ञात होता है कि उस पर 201644/- का कर्ज है जिसमें से 194501/- का मैनेजमेन्ट का खर्च दर्शाया गया है।

6. सत्र 68-69 में सरस्वती बालिका विद्यालय, अजमेर का कुल व्यय 197330/- था, जिसमें से विभाग ने अनुदान हेतु 186914/- देय व्यवधान मान्य हुए 136903/- अनुदान स्वीकार किया गया था। संस्था का पाठन शुल्क, दण्ड, प्रवेश शुल्क टी० सी० फीस से कुल 31826|- को आय हुई हैं। वर्ष तक आय के अन्य कोई साधन नहीं है बेलेन्स शीट के अनुसार अचल सम्पति के रूप में भवन 369776/- तथा खेल का मैदान 4165/- के मूल्य का है।

7. अनुदान नियम 1962 सर्वप्रथम राजस्थान राज्य पत्र दिनांक 24-1-63 के भाग 'ग' में प्रकाशित हुए थे।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

श्री गंगानगर जिले में प्राथमिक पाठशालाएँ

65. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में काफी ग्रामों में प्राइमरी पाठशालाएं नहीं हैं? यदि हां, तो जिले में कुल कितने गांव हैं और प्राथमिक पाठशालाएं कुल कितनी हैं?

(2) क्या यह सही है कि जिन ग्रामों में प्राथमिक शाला नहीं है उन ग्रामों के बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं? यदि हां, तो उन ग्रामों में पाठशालाएं कब तक खोलने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में पिछले कई सालों से प्राथमिक शालायें नहीं खोली जा रही हैं? यदि हां, तो, क्यों?

उत्तर

1. श्री गंगानगर जिले में 1881 ग्राम हैं जिनमें से 872 ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाएं हैं।

Page No 49

(शिक्षा मंत्री)

2. सरकारी प्रावधान के अनुसार राजस्थान के सभी जिलों के गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाती हैं और निर्धारित कोटे में से आवश्यकतानुसार प्राथमिक पाठशाओं की संख्या का बंटवारा कर पाठशालाएं खोली जाती हैं। आगे भी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक जिले में पाठशालाऐं प्रावधान के अनुसार खोली जावेंगी।

3. यह सही नहीं है। गंगानगर जिले में पिछले तीन वर्षों में राजस्थान केनाल क्षेत्र के अन्तर्गत 30 शालाएं स्वीकृत की गई हैं।

टैक्स की चोरी के मामले

66. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है राज्य के सेल्स-टैक्स विभाग ने सैल्स टैक्स की चोरी के मामले पकड़े है? यदि हां, तो सन् 1967-68 से 1969-70 तक कितने कितने मामले पकड़े ?

(2) उक्त टैक्स में चोरी न हो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाये और उनमें कहां तक सफलता मिली ?

(3) इस प्रकार की चोरी न हो इस सम्बन्ध में भविष्य में सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. यह सत्य है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सैल्स टैक्स की चोरी के मामले पकड़े हैं।

जिनके वर्षवार आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	पकड़े गये अभियोगों की संख्या
1967-68	1907
1968-69	2234
1969-70	1662

2. (क) कर की चोरी की रोकथाम करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के बाहर से माल लाने व ले जाने वाले वाहनों आदि की जांच के लिए बोर्डर क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर चौकियां स्थापित की हैं।

(ख) बाहर से लाने ले जाने वाले माल की जांच हेतु राज्य में 6 उड़न दस्ते नियुक्त किये गये हैं जिनका अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी होता है तथा उसके पास एक जीप तथा सहायतार्थ कर्मचारी होते हैं और वह अपने क्षेत्र में दौरे करता रहता है।

(ग) कर चोरी रोक-थाम के लिए एक एन्टीइवेजन शाखा स्थापित की गई हैं। जिसका इन्चार्ज उपायुक्त (प्रशासन) रखा गया है तथा उसके अधीन दो वाणिज्यिक कर अधिकारी एंव 1 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी रखे हैं। इससे बिक्री कर की चोरी करने वालों को भय हुआ है और चोरी में कमी हुई है।

3. कर की चोरी भविष्य में न हो इसके लिए राज्य सरकार ने एन्टीइवेंजन शाखा कायम की है व आवश्यकतानुसार उसे सक्रिय व सामर्थ्यवान बनाने के लिए समय समय पर कदम उठाती है।

सैल्स टैक्स व चुंगी टैक्स से आय

67. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

टौंक जिले तथा जयपुर जिले की हर तहसील तथा जयपुर शहर में हर साल सेल्स टैक्स व चुंगी टैक्स से कितनी आमदनी होती है ? गत पांच साल के आंकड़ें सदन मेज पर रखें।

उत्तर

सेल्स टैक्स एवं चुंगी टेक्स की सूचना तहसील अनुसार नहीं रखी जाती है अतः जिलेवार, नगरपालिकावार एवं जयपुर शहर को उक्त सूचना संलग्न है। वर्ष 1969–70 की सूचना अनुमानित (Provisional) है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

ऋण और उस पर ब्याज

68. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार पर कुल कितना कर्जा है और उनका वार्षिक देय ब्याज कितना है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से पूंजीपत खाते के ऋण तथा उसके ब्याज की वसूली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उक्त अनुरोध स्वीकार कर लिया है ?

(3) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन किन का कितना कितना ऋण राज्य सरकार पर है ?

(4) वर्तमान में ओवर ड्राफ्ट कितना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1969-70 के संशोधित आय व्ययक अनुमानों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राज्य सरकार पर 569.39 करोड़ रुपये का कर्जा था और उस पर वार्षिक देय ब्याज 29.30 करोड़ रुपया है।

(2) ऋणों के चुकारे की किश्तों में परिवर्तन का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा तदर्थ ऋणों (Adhoc Loans) को भी इस योजना में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था।

(3) भारत सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार पर अन्य ऋण निम्न प्रकार हैं:—

1. सार्वजनिक ऋण	47.85	करोड़
2. राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास बाण्ड	8.76	,,
3. रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण	1.12	,,
4. भारत जीवन निगम से ऋण	8.82	,,
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	1.53	,,

(वित्त मंत्री)

6. राष्ट्रीय वेयर हाऊसिग निगम से ऋण 0.01 करोड़

7. खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन से ऋण 0.03 ,,

8. रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया से अल्पकालीन ऋण 3.00 ,,

(4) प्रश्न प्राप्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 16 अक्टूबर, 70 को राज्य खाते में 54.17 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट था। यह बैंक द्वारा दिए गए 90 लाख रुपये के मोगोपाय अग्रिम के अतिरिक्त था।

सेल आफ लाइसेन्स्ड कमोडिटीज चेरिटी फन्ड

69. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान में सेल आफ लाइसेन्स्ड कमोडिटीज चेरिटी फण्ड नाम का कोई फण्ड है ? यदि हां, तो इसमें कुल कितनी धनराशि जमा है और कब से जमा है ? क्या सरकार ने इस धनराशि का कोई उपयोग किया है ? यदि किया है, तो क्या और अभी तक नहीं किया है तो उसके उपयोग करने की सरकार का क्या योजना है ?

(स्थगित किया गया)

भोड़की एवं सीगनोर के ग्रामों में बिजली

70. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या विद्युत-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले के भोड़की तथा सीगनोर ग्रामों का साल 1969-70 में विद्युतिकरण होने की योजना थी ?

(2) यदि हां, तो अगस्त, 1970 तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई और अभी तक इन गांवों का विद्युतिकरण नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 11 के० वी० लाइन का कार्य मार्च 1970 तक पूरा हो गया था तथा सब स्टेशन का कार्य भी माह सितम्बर में पूरा कर दिया गया है। तथा इनका विद्युतीकरण 30-9-70 को कर दिया गया है।

नीम का थाना नवलगढ़ विद्युत् लाइन

71. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या विद्युत्-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले में नीम का थाना से बागोली उदयपुर वाटी होती हुई नवलगढ़ तक 33 के. वी. विद्युत लाइन की मंजूरी है लेकिन अभी तक 11 के. वी. लाइन ही चालू है जिससे काश्तकारों को बहुत बड़ी असुविधा हो रही है।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर वाटी में 33 के. वी. का पावर सब-स्टेशन भी मंजूर है लेकिन अभी तक इसके बनाने में कोई प्रगति नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नवलगढ़ से चिराना व बागोली से उदयपुर वाटी 33 के. वी. की लाइन बनी

(विद्युत मन्त्री)

हुई है लेकिन ये लाईनें अभी 11 के. वी. पर ही चालू हैं ?

इस साल के बजट में नवलगढ़ से चिराना व बागोली से उदयपुर वाटी तक 11 के.वी. लाइनें अलग से खींचने का प्रावधान किया गया है। नयी 11 के. वी. की लाइनें खींचने के बाद नवलगढ़ से चिराना व बागोली से उदयपुर वाटी की लाइनें 33 के. वी. पर चार्ज कर दी जावेंगी। सीकर से उदयपुर वाटी और उदयपुर वाटी से सलादीपुरा 33 के.वी. डालने तथा उदयपुर वाटी में 33/11 के.वी. का सब स्टेशन लगाने की योजना भी विचाराधीन है।

(2) जी हां। यह कार्य उपर्युक्त लाइनों के पूरा होने के साथ ही कर दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था थोड़ी देर में दे दी जायेगी। उससे पहले सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र रख दें।

श्री उद्योगमंत्री जी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सांभर साल्ट लिमिटेड का वर्ष 1968-69 का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत् मन्त्री जी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा(विद्युत् मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के प्रतिवेदन, 1969-70 के प्रस्तावना के अनुच्छेद 7 एवं 8 में किये गये संशोधन का शुद्धि पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री भीखा भाई।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान ·······

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : क्यों, क्यों आप क्यों ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी उसका मेम्बर हूं।

कई माननीय सदस्य : अच्छा, अच्छा।

श्री मूलचन्द डागा: मैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1969 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन।

श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर रोड़ नं० 7 सी. डी. (पुलिस थाना) के पास नाला पक्का करवाने एवं कलवर्ट बनवाने सम्बन्धी मामले पर एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरः स्थापित किया जाने वाला विधेयक। स्वायत्त शासन मंत्री।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1970) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान टेनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1970।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह साहब, बाद में लेंगे। लिजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमाल्यूटमेंट्स) बिल पहले है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन्स के संबंध में....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े समय के बाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बीच में कैसे विचारार्थ लिया जा सकता है ? यह कैसे हो सकता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पहले प्रस्तुत किये हैं उनके सम्बन्ध में भी आज ही आपकी व्यवस्था हो जानी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन के संबंध में जो रूल्स हैं, जो प्रावधान हैं, जो प्रक्रिया है उनके अन्तर्गत एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर व्यवस्था लिस्ट आफ बिजनेस शुरू होने के बाद में दी जायगी—इस प्रकार का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए फैसला हो जाय, एडजोर्नमेंट मोशन्स के ऊपर जो व्यवस्था होगी वह सायंकाल चार बजे हुआ करेगी—यह फैसला हो जाय अन्यथा यह अत्यन्त दुविधापूर्ण स्थिति है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह सुझाव अच्छा है आपका।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सुझाव अच्छा नहीं, यह विचार करने वाली बात है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा मेरा कहना है ये बड़ी बात है, जो परम्परा है, जो नियमों में व्यवस्था दी गई है, जो प्रावधान हैं उनके अनुसार लिस्ट आफ बिजनेस शुरू होने के बाद आप विधेयक को पुरः स्थापित करने की इजाजत दे देते हैं तो उसमें एतराज नहीं है, लेकिन रेगुलर बिजनेस शुरू होने से पहले एडजोर्नमेंट मोशन्स पर व्यवस्था हो जाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका फर्माना दुरुस्त है लेकिन कुछ कारणों से यह आज सम्भव नहीं हो सका है। दस पन्द्रह, बीस मिनिट बाद बीच में माननीय सदस्यों की सहमति से स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दी जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नये पुराने सभी पर ?

श्री ओमदत्त भाटी : सभी पर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन एड-जोर्नमेंट मोशन्स पर बिना व्यवस्था के बोल सकते हैं उन पर बोल कर तो सदन के समय का उपयोग हो जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं कर सकते आप ।

विधायी कार्य
राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक 1970

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमाल्यूमेंट्स) बिल है ।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं । आप लिस्ट आफ बिजनेस देखिये ।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): पहले है । यह है भी छोटा सा ।

श्री खेतसिंह : यह आपके नाम की साइड में देखिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान टेनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव रखना जरूर है लेकिन यह रिजोल्यूशन के साथ में बाद में है । विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक में ।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले है ।

श्री मूलचन्द डागा : पहले है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पहले है । एतराज आपका दूसरे पर है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेज पहले पर है और पेज दूसरे पर भी है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मंगलवार की लिस्ट देख रहे होंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बाद में लिया जायगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले है । और है भी छोटा सा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक छोटा-सा निवेदन करना है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था, क्योंकि छः तारीख की छुट्टी घोषित हो गई है इसलिये जो विधेयक आज आये हैं उन अमेंडमेंट्स को आज ही मूव कर सकते हैं । मैंने इस पर खण्डशः अमेंडमेंट दिये हैं और दूसरे अमेंडमेंट भी दिये हैं-- वह अमेंडमेंट सरक्यूलेट नहीं हुए हैं । वह अमेंडमेंट सरक्यूलेट होने चाहिये । इसके अलावा जो लिस्ट आफ बिजनेस है उसमें पहले राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमाल्यूमेंट्स) बिल को रखा हुआ है, बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने उसका आर्डर तय किया हुआ है, उसके अनुसार वह पहले है । वैसे मुझे एतराज नहीं है, आप राजस्थान टेनेन्सी बिल को पहले ले सकते हैं लेकिन उससे सम्बन्धित तो अमेंडमेंट हैं वह सरक्यूलेट करा दिये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट सब आपने दिये हैं । यह बिल बहुत पहले सरक्यूलेट हो चुका था । बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में यह बात नहीं हुई थी कि उस दिन ही अमेंडमेंट स्वीकार कर लिये जायेंगे । ऐसा नहीं हुआ था । मैं भी उपस्थित था बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में ।

Page No 55

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था, मैं हमेशा लिबरल रहा हूं, मुझे आपत्ति नहीं है, उस दिन ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भैरोंसिह जी ने यह रेज किया था।

श्री रामकिशोर व्यास : बिल बहुत वैसा नहीं है, सीधा सादा-सा बिल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अमेंडमेंट तो हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब सरक्यूलेट होना संभव नहीं है। आप इस पर बोल सकते हैं। सरक्यूलेट होना सम्भव नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह सरक्यूलेट माने जायं। वह अमेंडमेंट इन ऑर्डर माने जायं। मैं पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह ठीक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, राजस्थान टैनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! संकल्प प्रस्तुत करेंगे ! श्री रामकिशन, श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल। श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संकल्प पहले प्रस्तुत होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वह रद्द समझा जावे। प्रासीजर तो यह है। मैं नियमों की बात बता रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई बात नहीं।

राज. टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश 1970 पर संकल्प

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन दिनांक 11 अगस्त, 1970 को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्थापित राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1970) को अस्वीकार करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदैव इस सदन में अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाये जाने का विरोध किया है। मुझे खेद है इस बात का कि सदन में इतना बड़ा भारी विरोध किये जाने के बावजूद यह राजस्थान की सरकार अध्यादेशों से शासन चलाने से बाज नहीं आती है। पिछली विधान सभा का अधिवेशन मई के महीने में समाप्त हुआ था, इस लगभग साढ़े पांच महीने की अवधि में राज्य सरकार ने नौ अध्यादेश जारी किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, और कानून बनाने की जो राज्य सरकार की रीति और नीति है, उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करता हूं। मैं आशा करके चलता हूं कि सदन के माननीय सदस्य, जिनका यह संवैधानिक अधिकार है कि संविधान के अन्तर्गत इस सदन में बैठ कर कानून वह बनायें, कानून के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर करें, उसमें अपने संशोधन प्रस्तुत करें और पूर्ण वादविवाद के पश्चात् वह विधेयक इस सदन में पारित हो और अधिनियम का रूप लें। परन्तु राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता के लिए कानून बनाने की जो अध्यादेश की परम्परा है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गलत परम्परा है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को जो अधिकार दिये गये हैं वह हैं कि जब विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो, परिस्थिति परम आवश्यक हो – उस प्रकार की परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सदैव, हमेशा इस बात का हामी रहा हूं और मैंने सदैव राज्य सरकार की अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया का विरोध किया है, इस सदन में अनेक बार इधर बैठने वाले माननीय सदस्य और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की सरकार की नीति का अनुमोदन नहीं किया है और इस बात पर विरोध और रोष प्रकट किया है कि राज्य सरकार अध्यादेश जारी करती है। वैसे राज्य सरकार का अध्यादेश जारी करने की बात उन परिस्थितियों में समझ में आ सकती है; जब इस प्रकार की संकट की परिस्थिति हो जाय, देश पर कोई संकट आ जाय, कोई एमर्जेन्सी डिक्लेरेशन का सवाल हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, कोई तुरन्त कानूनी प्रावधान करके जनता को राहत देने का सवाल हो तो बात समझ में आ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यह भी मैं कहना चाहूंगा कि अध्यादेश जारी करने की परम्परा इस राज्य सरकार की बन गई है, इतना ही नहीं, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने राज्यपाल महोदय तक भी अपनी बात और इस सदन के माननीय सदस्यों की भावना पहुंचाना चाहुंगा कि इस प्रकार अध्यादेश जारी करने का जो असाधारण अधिकार संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को दिया गया है उस अधिकार का उपयोग वह सोच समझ कर किया करें क्योंकि इससे इस सदन के सदस्यों के संबंधित अधिकारों पर कुठाराघात होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप विचार कीजिये, आप स्वयं कानून के जानकार हैं, आप स्वयं अच्छे वकील रहे हुए हैं, यह अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने क्यों जारी किया ? इस समय इस अध्यादेश के माध्यम से इस विधेयक में जो कुछ संशोधन किया जा रहा है – मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, इसकी जो भावना है, जिस उद्देश्य से यह लाया गया है, उसका औचित्य हो सकता है, उसका औचित्य है लेकिन यह संशोधन पहले क्यों नहीं लाया गया ? मेरी शिकायत इस बात की है। मैं आपका ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अन्दर लिखा है :

राजस्व बोर्ड ने हाल ही में तारीख 24-6-1969 को निर्णित एक मुकद्दमे "रामचन्द्र बनाम हरिसिंह"

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रामचन्द्र बनाम हरिसिंह के मामले में राजस्थान राजस्व मण्डल ने 24-6-69 को, आज से लगभग डेढ़ साल पहले एक फैसला दिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का कोई काश्तकार यदि किसी के खिलाफ, ट्रेसपासर के खिलाफ अदालत में मुकद्दमा दायर करे, सूट ग्राफ इजेक्टमेंट सूट आफ पजेशन दायर करे तो वह राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 183 के अंतर्गत यह दावा नहीं कर सकता। मैं जहां तक समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, यह रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला दिया है

राजस्व मंडल ने आज से डेढ़ साल पहले फैसला दिया, 24-6-69 को फैसला दिया कि राजस्थान में अनुसूचित जाति व जन जाति के जो काश्तकार हैं वे ट्रेसपासर्स के खिलाफ दावा नहीं ला सकते । मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 24 जून 1969 के बाद इस विधान सभा की बैठकें हो चुकी, 1969 में हुई, जनवरी 1970 में हुई, बजट सेशन हुआ, मई में बैठक हुई, इस फैसले के बाद इस सदन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 बैठकों में इस प्रकार का संशोधन का विधेयक पहले इस सदन में क्यों नहीं लाया गया ?

आप इस सदन में जवाब देने के लिए खड़े होंगे और काश्तकारों के नाम से, शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर यह सरकार दुहाई देगी कि आज सदन के माननीय सदस्य ऐसे अच्छे बिल का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरी शिकायत है कि राज्य सरकार इतने दिनों तक सोती क्यों रही ? शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के काश्तकारों को किसी ट्रेसपासर के खिलाफ किसी प्रकार का दावा लाने का हकदार राजस्व मंडल ने नहीं माना, जिनके दावे खारिज किए गए, अपीलों का समय निकल गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का कानून इस सदन में पहले पेश क्यों नहीं किया ?

ऐसा लगता है कि जो यह कानून पेश कर रहे हैं, मैं इस कानून का विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि सदन के माननीय अधिवक्ता यशवन्तसिंह नाहर इस बात पर गंभीरता से विचार करेंगे। धारा 183 के अंतर्गत इसमें संशोधन करना चाहते हैं, जिसमे लिखा है :

"Amendment of Section 183, Rajasthan Act 3 of 1955. In sub-section (1) of section 133 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955), for the words "on the suit of the person or persons entitled to admit him as tenant" the words "on the suit of the person or persons entitled to eject him" shall be substituted."

यह आप बिल में जोड़ना चाहते हैं। राजस्व मंडल का फैसला क्या है ? वह यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई भी व्यक्ति, अगर उसकी जमीन पर किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है तो वह उसके खिलाफ इजेक्टमेंट का दावा धारा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

183 के अंतर्गत नहीं ला सकता है और जिन्होंने दावे लाए और अदालतों में जिन्होंने दावे पेश कर दिए, मानो किसी ने 1957 या 1958 में दावे पेश किए उसके बाद 1969 में उसका दावा इस बिना पर खारिज हुआ, नीचे की अदालत में जीत गया, राजस्व मंडल में इस बिना पर खारिज हुआ कि तुमको दावा लाने का अधिकार नहीं है, धारा 183 के तहत तुम दावा नहीं ला सकते। जब एडमिट नहीं करते हो तो इजेक्टमेंट का सूट नहीं ला सकते। अब मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि आपने संशोधन कर दिया "एन्टाइटल्ड टु एडमिट" की जगह आपने लगा दिया "एन्टाइटल्ड टु इजेक्टमेंट"। इस संशोधन के बाद जिस व्यक्ति ने 1957 में दावा किया, जिसने 1956 में दावा किया, 12 साल जिसने मुकद्दमे लड़े, दोनों अदालतों में जीत गया, राजस्व मंडल ने फैसला दे दिया कि 1969 में यह दावा चलने योग्य नहीं है, नीचे की अदालत ने गलत डिक्री दी है, उसका सूट डिस्मिस कर दिया। ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की मियाद निकल गई, 12 साल हो गए, उसको इस कानून के संशोधन से क्या राहत मिलने वाली है ? क्या कोई शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स का मेम्बर जिसकी जमीन पर किसी ट्रेस्पासर ने कब्जा कर लिया, 12 साल पहले कर दिया, अध्यादेश के दिन जिसको 12 साल हो गए, वह शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी दावा नहीं ला सकता क्योंकि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड नहीं किया, आपने पेंडिंग केसेज पर लागू नहीं किया है। जो दावे अदालतों पर चल रहे हैं, आपने उन पर लागू नहीं किया है, यह प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, रिट्रास्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं है।

मैं समझता हूं, आप स्वयं सदन के माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जिन लोगों ने अदालतों में दावे कर रखे हैं, जिसके दावे खारिज हो गए हैं, जिनके दावे पेंडिंग हैं, उसी आधार पर उनको दावे लाने का अधिकार नहीं है, लिमिटेशन पाईंट पर रिट्रास्पेक्टिव आपरेशन नहीं है। जिस दिन से अध्यादेश बना, जिस दिन राज्यपाल से कानून की स्वीकृति मिलेगी उस दिन से दावे लाने का अधिकार है लेकिन जिनके दावे दायर हो गए, दावे खारिज हो गए, उनके लिए मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से उनको राहत मिलेगी। मेरी मान्यता है कि इस विधेयक के अंतर्गत उनको कोई राहत नहीं मिल सकती है, उनके दावे रेस्टोर नहीं हो सकते जिनकी मियाद निकल गई, वह दावे नहीं कर सकते। इसलिए हजारों दावे जो आज तक हुए हैं शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जमीनों पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, उनको इस कानून के अंतर्गत आप रेग्यूलेराइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अनुसूचित जाति व जनजाति के काश्तकारों की जिन जमीनों पर नाजायज कब्जा किया है, उनको बेदखल नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों को राहत देने के लिए आपने कानून बनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इसलिए इस कानून को और इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव भेजा था। सम्भवत: यह समझ कर कि मैंने चूंकि एक संकल्प प्रस्तुत किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत, इस अध्यादेश को अस्वीकार किए जाने के संबंध में चूंकि मेरा संकल्प है और इसलिए प्रवर समिति को भेजने का मेरा प्रस्ताव नियमानुसार स्वीकार नहीं हो सकता। मैं इस समय बहस खड़ा करना नहीं चाहता लेकिन इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि अध्यादेश पर बहस अलग है, उसका संकल्प है, संकल्प अगर गिर जाता है तो वह अध्यादेश सदन के सामने, वह विधेयक सदन के सामने विचारार्थ रहता है और चूंकि मुझे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव देने का अधिकार है, यह कानून का इन्टरप्रिटेशन, नियमों का अर्थ जो लगाया है, वह गलत है, मैं अपनी असहमति व्यक्त करता हूं और जो प्रस्ताव मैंने प्रवर समिति के लिए दिया है, मुझे अधिकार इस बात का है कि प्रस्ताव मैं रखता हूं कि अध्यादेश को रिजेक्ट किया जाय बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव ला सकूं। मैंने दोनों प्रस्ताव भेजे। मुझे खेद है कि प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किन्हीं कारणों से यहां पर प्रसारित नहीं किया। मैं सभी अध्यादेशों के सम्बन्ध में सदैव कहता आया हूं, इन्हीं शब्दों के साथ, स्ट्रोंग टर्म्स में, स्ट्रोंग लेंग्वेज में राज्य सरकार को इस बात के लिए कन्डेम करना चाहता हूं और राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने का जो असाधारण अधिकार उनको दिया गया है वह उस अधिकार का उपयोग इस विधान सभा के अधिकार का उल्लंघन करके, हमें जो संवैधानिक अधिकार कानून बनाने के हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन करके, इस प्रकार का कानून, इस प्रकार का अध्यादेश जारी न करें और यह जो अध्यादेश जारी किया है, कानून सदन के सामने लाया गया है वह बिल्कुल लूला लंगड़ा है, इससे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। यह प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, पेंडिंग केसेज पर लागू नहीं है, जो दावे खारिज हो गए उन पर लागू नहीं होगा, जिनकी मियाद निकल गई उन पर लागू नहीं होगा। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अनुसूचित जाति व जन जाति के काश्तकारों की जमीन पर नाजायज कब्जा जिन लोगों ने कर रखा है, उनको राहत देनी चाहिए। आप यह लूला लंगड़ा कानून लाए हैं। अगर आपकी मन्शा सही है तो इस कानून को प्रवर समिति को भेजें, गम्भीरता से विचार करें और उसके बाद आवश्यक संशोधन लाकर इस कानून को पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अध्यादेश जारी किया है उसके सम्बन्ध में मेरे संकल्प को स्वीकार करके अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय और विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय जो इसी सत्र के अन्दर तीन दिन के अन्दर आवश्यक संशोधनों के बाद सारी रिपोर्ट अपनी सदन में पेश करें और फिर इस विधेयक को नए सिरे से ही एज रिपोर्टेड बाई दी सिलेक्ट कमेटी सदन पारित करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाददार।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल महोदय ने राज्य

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सरकार के आग्रह पर या यों कहिए कि राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार, जो अध्यादेश पेश किया गया है और उसके पीछे जिन भावनाओं को व्यक्त किया गया है, मैं आपके माध्यम से, विशेष रूप से मन्त्रीजी और उपमन्त्रीजी के, जो कि एक अनुभवी वकील रह चुके हैं और कानून के कुछ मसलों को समझते हैं, उनके दृष्टिकोण में यह लाना चाहता हूं कि क्या जिस भावना से यह अध्यादेश लगाया गया है क्या उनकी पूर्ति इससे हो जायगी ? एक शब्द का परिवर्तन किया गया है। धारा 183 टिनेन्सी एक्ट में है "person entitled to admit" उसके बजाय आप करना चाहते हैं "person entitled to eject."

जो व्याख्या इस समय टिनेन्सी एक्ट में की गई है इसका उत्तर आप देंगे ? जो जजमेंट रेवेन्यू बोर्ड के ओनरेबल मेम्बर्स ने किया है उनके सामने कौनसा मसला विचाराधीन था ? उन्होंने रिपोर्ट राज्य सरकार को की उस पर लॉ डिपार्टमेंट ने अपना माइन्ड एप्लाई करने की चेष्टा नहीं की और आपने ओर्डिनेन्स निकाल दिया। आदमियों को कुए में से निकाल कर खेली में डालना चाहते हैं। इस प्रावधान के उपरान्त भी आप किसी प्रकार का बचाव दे सकते हैं ?

मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को एक प्रोग्रेसिव लॉ कह कर चलते हैं। उसमें यह भावना व्यक्त की गई है कि राज्य सरकार और काश्तकार के बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होगा। भूमि का मालिक, लेंडलॉर्ड जिसे कहते हैं, वह राज्य सरकार है और जिसके नाम पर है वह काश्तकार है।

15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आया। तो उपाध्यक्ष महोदय, उसके प्रिएम्बल में यही कहा गया है कि हम अपनी स्टेट के रेवेन्यू लॉज को इतना प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं कि वह सारे देश में अपनी शानी का एक लॉ होगा और उस दृष्टि से जयपुर टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 और लैंड रिफोर्म्स की धारा 15 का राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में प्रावधान रखा गया। उसमें यह कहा गया है:–

"Any person who was tenant of the land, otherwise than as a tenant of the khud kasht or sub-tenant, shall become khatedari tenant. That was the intention of section 15. The intention of the Government was that there should not be any special tenancy as far as Rajasthan Government was concerned.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कृपया हिन्दी में बोलिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जरा वह धारा आ गयी थी।

धारा 19 में यह प्रावधान रखने की चेष्टा की गयी हैं कि जो व्यक्ति संवत् 2012 में इन्तकाल रजिस्टर में सबटिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त दर्ज हो गया तो वह अपने आप खातेदारी काश्तकार हो जावेगा।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

रेवेन्यू लाज कमीशन ने भी इसको कायम रखा है। उसके इम्पेक्ट को देखने के लिये एक कमेटी और बनी। वह कई कस्बों में गयी और उसने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस दृष्टि से यह कानून बनाना चाहते है उसका इम्पेक्ट जनता पर नहीं पड़ा।

मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं "Person entitled to admit" आप किसको कहते हैं? टिनेन्सी एक्ट की धारा 5 में यह रखा गया है। "tenant" shall mean the person by whom rent is, or, but for a contract, express or implied, would be payable and...."राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में जो टिनेन्ट की परिभाषा है वह यह है। उसके लिये यह शर्त हो जाती है but for a contract, express or implied, rent would be payable. जिससे लगान तय हो जावेगा उसका टिनेन्ट होगा। डाइरेक्टली लैंडलोर्ड कौन है सारे राजस्थान में? किसी व्यक्ति विशेष की जागीरें, माफियें और भूमि नहीं रखी है। सीधा सम्बन्ध लैंडलॉर्ड का अगर कोई है तो राजस्थान सरकार का है और राजस्थान सरकार ही लैंडलोर्ड है। इसी दृष्टिकोण से दफा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में रखी है और वह इस प्रकार रखी है कि लैंडलोर्ड स्टेट है और खातेदार काश्तकार है और वह खातेदार काश्तकार कानून के प्रावधान के प्रतिकूल होकर ऐसी रेस्ट्रिक्शन दफा 6 में की है कि शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी दूसरे आदमी को जमीन दे देता है तो 176 के तहत जो पर्सन एन्टाइटल्ड है उसको बेदखल कर देगा लैंडलोर्ड।

आपने इन प्रावधानों को देखने की चेष्टा नहीं की। इजेक्टमेन्ट का प्रोविजन किया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में सैपरेट इसके लिये चेप्टर दिया है और उसमें तीन चार बातें एक मात्र मुद्दे की हैं। ऐसी भ्रान्तियां जिनको विचार में रखते हुए किसी व्यक्ति विशेष को इजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में एक सैक्शस भी ऐसा नहीं रखा है कि कोई काश्तकार बेदखल नहीं किया जा सकता। who will be the person entitled to eject? सारे चेप्टर में कन्डीशन फुलफिल नहीं कर सकते, उनको इजेक्ट नहीं कर सकते। 183 का प्रावधान रिडन्डेन्ट हो जावेगा। "person entitled to admit" चाहे आप इन शब्दों को इस्तेमाल कर दीजिये यह चाहे "person entitled to eject" यह शब्द कर दीजिये। ट्रैसपासर्स किसको कहते हैं? उसको कहेंगे। दूसरी एनोलौजी आपके दिमाग में आयी। शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी उसको ट्रान्सफर कर दे या सबलेट कर दे। वह एन्टाइटल है या नहीं? धारा 42 में जो रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज किये हैं तो वह यह कहती है कि ट्रान्सफर और सबलेटिंग पर यह रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज किये जाते हैं। या तो म्युचुयल कन्सेन्ट ऑफ पार्टीज हो या दरमियान में एग्रीमेन्ट हो तो आप कर सकते हैं।

दो मसले हैं आपके सामने। एक एग्रीमेन्ट से एक वी के साथ एन्टर होते हैं। उसको अधिकार है एग्रीमेन्ट करने का।

Page No 62

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

वह कानून के अन्तर्गत वाइड है या वायेबल है यह किस प्रकार है यह कानून का अधिकार है।

मैं आपके सामने 46 पढ़ देता हूं। सैक्शन 46 ए यह कहता है :

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको डेफर कर दो परसों के लिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम के द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं "Special provisions for letting or subletting by members of scheduled castes and scheduled tribes" शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी लैंड लोर्ड हो सकते हैं या उनके अलावा राजस्थान सरकार लैंड लोर्ड हो सकती है? जितनी भी खतूनियां काश्तकारों को वितरित की गयी हैं उनमें लिखा है कि जमीन की मालिक आलमदार सरकार यानि राजस्थान सरकार। काश्तकार के खाने में काश्तकार ही रखा है।

इसका हैडिंग देते हैं इन्टेंशन कुछ है सेक्शन क्या कहता है ?

"Notwithstanding any thing contained in Section 44, 45 and 46, no person who is a member of a scheduled castes or a scheduled tribes, shall let or sub-let the whole or any part of his holding under the said sections to any person who is not a member of a scheduled castes or a scheduled tribes." लैट और सब लैट नहीं करेंगे। जो अदरवाइज शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के हैं उनके अलावा। ऐसा अगर वह कर देते हैं तो एग्रीमेन्ट को वोइड करार दे देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं 183 जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का है उसके अनुसार जो स्यूट्स फाइल किये जाते हैं ओन दी बेसिस आफ टाइटल किया जाता है और वह मियाद 12 साल की रखी गई है। और जो 143 और 44 है उसके अनुसार ओन दी बेसिस आफ टाइटल कोई व्यक्ति राइटफुल ओनर आफ दी प्रोपर्टी करार दिया जाता है वह बेदखली का दावा करता है। एक छोटी सी बात को राजस्व मंत्री जी और उप-मंत्रीजी समझ नहीं पाये जिन्होंने सैकड़ों मुकद्दमें 183 के लड़े होंगे उनके दिमाग में इस प्रकार का प्रोवीजन नहीं आया। 144 और 43 के सैकड़ों मुकद्दमें करवाये होंगे। टाइटल के बेसिस पर सूट फाइल किये जाते हैं। इसके साथ साथ इजेक्टमेंट का सेपरेट चेप्टर दिया गया है राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में दिया गया। उस चेप्टर में सब से पहले यह प्रोटेक्शन दिया गया है।

"No tenant shall be ejected from his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act." इस प्रावधान के अनुसार जब तक कोई बात नहीं होगी कोई भी लैंड होल्डर टीनेन्ट को बेदखल नहीं कर सकेगा। जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के टीनेन्ट का

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सवाल है वह लैंड होल्डर हो नहीं सकता वह तो टीनेन्ट ही रहेगा तो जब यह प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसके अनुसार सब-टीनेन्ट और टीनेन्ट इन चीफ सब-टीनेन्ट को लैंड लोर्ड मान लेंगे। वह इजेक्टमेन्ट का दावा दायर कर सकता है। इसके लिये आप यह जवाब दे सकते हैं कि इजेक्टमेन्ट के लिये चेप्टर 11 दिया गया है उसके अतिरिक्त आप कौनसा चेप्टर लायेंगे उसमें जितने भी प्रोवीजन्स है उसके अन्तर्गत यह नहीं आयगा। यहां पर तो केवल 183 का सेल्फ कन्टेन्ट सेक्शन ही आता है। उसमें इजेक्टमेन्ट के कारण नहीं होंगे। 161 के अन्तर्गत कोई दावा दायर नहीं कर सकता...

श्री उपाध्यक्ष : यह वाद-विवाद जब विचारार्थ लिया जायगा उस समय हो सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का बोगस कानून लाया गया है जिसका कोई महत्व ही नहीं है बजाय किसानों को राहत मिले, शिड्यूल्ड कास्ट वालों को राहत मिलने के यह राहत देने वाला कानून नहीं है इस प्रकार के कानून पर बहस करना सदन का समय बरबाद करना होगा। माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं आप आर्डिनेन्स लाये हैं तो कोई अच्छा कानून लाइये। आप तो इस प्रकार का कानून लाते हैं जिस पर सदन के विचार करने का सवाल ही नहीं आता। इसी दृष्टिकोण से मैंने आपको 175 की धारा समझाने की कोशिश की

(व्यवधान)

There are some persons who don't want to listen, but who want to go on harping their own tune. I will insist upon this point that they should try to appreciate the correct position of law.

यह सब से बढ़िया बात थी। हाई कोर्ट के सामने ले जा सकते थे। आप तो ला डिपार्टमेन्ट की छाया में बैठे हुए हैं आप खुद इस पर विचार करने की चेष्टा नहीं करते। आप 175 को मुलाहिजा फरमाइये।

"(1) If a tenant transfers or sub-lets the whole or any part of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act and the transferee or sub-lessee has entered upon or is in possession of such holding or such part in pursuance of such transfer or sub-lease, both the tenant and any person who may have thus obtained, or may thus be in possession of the whole or any part of the holding shall, on the application of the landholder, be liable to ejectment from the area so transferred or sub-let."

ये दोनों प्रोवीजन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के आदमियों पर लागू होंगे। कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल अगर

(श्री दुर्गालाल वाड़दार)

वे किसी तीसरे आदमी को देते हैं तो लैंड होल्डर दोनों को बेदखल कर देंगे। अब सवाल यह आकर पड़ता है, राजस्थान सरकार दोनों को दरखास्त देकर बेदखल कर सकती है। सब-टीनेन्ट और टीनेन्ट इन चीफ की जो डेफीनीशन दी है उसके अनुसार परसन एन्टाइटल्ड टू इजेक्ट के लिये जो प्रावधान रखा है उसमें आप क्या चीज बढ़ाना चाहते हैं इसमें भी यह मसला आयगा 'पर्सन एन्टाइटल्ड टू इजेक्ट उसको मानकर चलेंगे टीनेन्ट इन चीफ जिसको कर देगा और सब टीनेन्ट है उसको टीनेन्ट मान लेना इस प्रकार से लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार बैठी की बैठी रहेगी। शिड्यूल्ड कास्ट वाले को 143 के अन्तर्गत दावा करने का अधिकारी होगा यह आरगूमेन्ट आपका इसलिये लागू नहीं होता क्यों कि सब-टीनेन्ट और टीनेन्ट इन चीफ दोनों बेदखल होने चाहिये यह 175 में जो प्रावधान है उसको 183 के साथ लेकर नहीं पढ सकते। अगर आप वास्तव में शिड्यूल्ड कास्ट वाले लोगों को राहत देना चाहते हैं तो वैरीसिम्पल लेंग्वेज में आपको कह देना चाहिये। टाइटल इस कानून का ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता जिसका बेटर टाइटल होगा वह ट्रेस पासर के खिलाफ दावा दायर कर सकेगा।

उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं आज शिड्यूल्ड कास्ट के केसेज़ को ट्रान्सफर नहीं कर रहे हैं न वह सब-लेट करता है वह खुदकाश्त करता है कृषि ऐसा धन्धा है जिसमें दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है मान लीजिये अन्तिम दिनों में जब अनाज की कटाई होती हो तो उस समय पांच सात मजदूरों को वह डेली पेमेण्ट के अधार पर रख लेता है अगर उनकी नीयत में फर्क आजाय वे डेली उससे पैसा लेलेते हैं उसके बाद भी वह देखें कि जमीन खाली पड़ी है कब्जा कर लो और वे कर लेते हैं। इसमें उसने न तो सब-लेट किया न ट्रान्सफर ही किया तो जबर्दस्ती ट्रेसपासर बन कर बैठ गया तो पर्सन एन्टाइटल्ड टू इजेक्ट और पर्सन एन्टाइटल्ड टू एडमिट दोनों प्रावधानों के अनुसार वह समस्या आती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रगट करना चाहता हूं ? पर्सन एन्टाइटल्ड टू एडमिट और पर्सन एन्टाइटल्ड टू इजेक्ट ये दोनों एम्बीगुअस टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। इससे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 में कनफूजन आ जायगा इस पर पुनः विचार करना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

इसके पूर्व कि टाइटिल लॉ का प्रोटेक्शन वह प्राप्त कर सके। आप कानून ऐसा क्यों नहीं बनाते जिसके अन्दर कि कोई एम्बीग्वीटी का सवाल नहीं हो। यह आप स्पेसिफिक फ्रेजोलोजी ही क्यों रखना चाहते हैं। यह बात दूसरी है कि आपके लॉ डिपार्टमेंट ने जो राय आपको दी है उसको ही आप सही मानें। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मौजूदा आर्डिनेन्स है वह किसी काम का नहीं है और जो प्रस्ताव मैंने और श्री सतीशचन्द्रजी ने रखा है उसको स्वीकृत किया जाये ऐसी व्यवस्था यह सदन दे जो कानून सरकार यहां पर लाई हैं उससे जनता का हित नहीं होने वाला है। राज्य सरकार

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

ने जिस मंशा से इस कानून को बनाया है वह भी इससे पूरी नहीं होती है और ऐसा बेकार के कानून के बिल पर इस सदन में चर्चा करना इस सदन के समय को नष्ट करना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं जो माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी और श्री दुर्गालालजी बाढ़दार ने रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश जारी किया है उस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाये मैं उस संकल्प का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सामान्यतौर से मैं माननीय सदस्य की इन भावनाओं से सहमत हूं कि डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार को अध्यादेश के माध्यम से कानून को लाने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिये। मैं इस बात से माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं कि इस सरकार ने बार बार इस सदन में इस प्रवृत्ति के विरोध के बावजूद इस सदन की अवहेलना करते हुए अध्यादेशों की शक्ति का बार बार प्रयोग करना शुरू कर दिया है परन्तु इन ब बातों के बावजूद, सरकार ने इन सब परिस्थितियों के बावजूद यह महसूस करते हुए कि इन विशेष परिस्थितियों में ऐसे किसी मामले में जहां कि रेवेन्यु बोर्ड द्वारा ऐसा एडवर्स जजमेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों के विरुद्ध में कर दिया है उसके पहले नोटिस में नहीं आया और बाद में······

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर सर, हमारे रूल्स में यह प्रोविजन नहीं है कि जो संकल्प या अमेंडमेंट किसी में होता है, उस संकल्प का विरोध करना हमारे रूल्स में नहीं है। इसलिये माननीय उपाध्यक्षजी से मैं यह आदेश चाहता हूं कि क्या कोई इस संकल्प का विरोध कर सकता है ?

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प पर विचार विमर्श जब होता है तो उस पर माननीय सदस्य अपने विचार भी रख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई मसला जब सदन के सम्मुख प्रस्तुत होता है तो माननीय सदस्य पक्ष विपक्ष में अपने विचार रख सकते हैं। नहीं तो मत कैसे देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यही मामला रेवेन्यु बोर्ड के सामने एक और केस में बाद में उमा वर्सेज कजोड़, 3 अप्रेल 70 को आया और उसमें भी रेवेन्यू बोर्ड के माननीय सदस्यों ने यह होल्ड किया कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के सदस्यों को टीनेन्ट एडमिट नहीं कर सकते हैं और टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 के तहत ट्रेसपासर के विरुद्ध उनको इजेक्टमेंट लेने का फायदा नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से मैं इस बात से सहमत हूं कि राज्य सरकार को जब 1969 के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जून में ही रेवेन्यू बोर्ड का इस प्रकार का जजमेंट हो गया था, तुरंत इस बात का नोटिस लेना चाहिये था और विधान सभा में इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्ताव रखा जाना चाहिये था और इस प्रकार से सरकार की ओर से या लॉ डिपार्टमेंट की ओर से जो उपेक्षापूर्ण नीति या उदासीनता बरती गई है वह निश्चित रूप स निन्दनीय है। लेकिन यह उपेक्षापूर्ण नीति या उदासीनता बरती गई है वह निश्चित रूप से निन्दनीय है। लेकिन यह उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण होते हुए भी मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं। पिछले विधान सभा के सैशन में बजट सेशन के समय जब यह नोटिस में नहीं आई तो आर्डिनेन्स निकालना जरूरी ही था और मैं समझता हूं कि यह जिम्मेवारी माननीय सदस्यों की भी है वे भी विजिलेन्ट रहें और जनता के हित को देखते हुए इस प्रकार के कोई भी एडवर्स जजमेन्ट कहीं पर हों, या किसी कोर्ट द्वारा हो जाय तो उसे विधान सभा के जरिये लाया जाना चाहिये प्राइवेट बिल के रूप में वे उसको प्रस्तुत करें। मेरे एक मित्र ने इमीजियेटली यह जजमेंट होने के बाद नागौर के श्री हेमसिंह एडवोकेट ने मुझे एक पत्र लिखा था कि इस प्रकार के जजमेंट होने से आपको एक प्राइवेट बिल विधान सभा में पेश करना चाहिये परन्तु जब मैंने देखा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक ओर्डिनेन्स जारी कर दिया है तो वह प्राइवेट बिल लाने का इरादा मैंने छोड़ दिया, उसे प्रेस करना उचित नहीं समझा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि इस रेवेन्यू बोर्ड के फैसले से जो एक एडवर्स स्थिति पैदा हो गई है हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों के प्रति उसको हमारे माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार किया है और इसलिये इस प्रकार का कोई कानून आने की आवश्यकता थी और मौजूदा कानून में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी। इसको भी दोनों ही माननीय सदस्यों ने माना है। उन्होंने भी इस बात को महसूस किया है। इसलिये इसकी आवश्यकता विधान सभा की, असेम्बली के सेशन की असेम्बली के सेशन की इन्तजार न करते हुए फौरन लोगों को राहत देने के लिये आर्डिनेन्स निकाला जाना जरूरी था वरना जब तक आर्डिनेन्स नहीं होता रेवेन्यु बोर्ड के जजमेंट कितने ही केसेज में हो जाते और इन सारे के सारे केसेज में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों का नुकसान होता। इसलिये मैं समझता हूं कि इसके लिये मैं समझता हूं कि इसके लिये आर्डि-नेन्स की जरूरत थी–विधान सभा के अधिवेशन का इन्तजार किये बिना भी। पिछला सेशन समाप्त हो चुका था और जब यह बात सरकार के नोटिस में आ चुकी हो और आर्डिनेन्स को जारी नहीं किया

(12.55 म.प.)

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

जाता तो यह एक तरह से गवर्नमेंट की ओर से एक गलती को दोहराना होता गवर्नमेंट के नोटिस में आ जाने पर गवर्नमेंट इसके लिए सेशन का इन्तजार करती और जब विधान सभा का अधिवेशन होता इस तरह का कानून लाती तो मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अध्यादेश का विरोध किया है उनकी भी यह भावना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार की उदासीनता रेवेन्यू बोर्ड के जजमेंट के संबंध में प्रदर्शित की है, उसी प्रकार से इस आर्डिनेन्स के अमेन्डिंग लॉ में भी वही उदासीनता बरती जा रही है और मैं बहुत हद तक इस बात से सहमत हूं कि जिस परपज से, जिस उद्देश्य के लिये आप इस अमेन्डिंग बिल को ला रहे हैं और जो मंशा आपकी है उससे उसका पूरा मकसद हल नहीं होता, मगर जितना भी मकसद हल होता है तो उससे पहले रिट्रोस्पेक्टिव केसेज पर हो और जो केस आइन्दा आवें या जो आगे फैसले होंगे उनके ऊपर भी असर पड़ने की सम्भावना है। जो डिक्रीड हो गये, या जो पेन्डिंग में पड़े हैं जो पहले इन्स्टीट्यूट हो चुके, इस डेट से पहले उनके ऊपर आपके इस अमेंडिंग बिल से रिट्रोस्पेक्टिव असर नहीं पड़ता। जब कि मैं समझता हूं यह पड़ना आवश्यक था।

जब टिनेन्सी बिल बनाया गया था तो उस समय शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्डकास्ट के लोगों को ये सुविधाएं अतिरिक्त रूप में देने का निश्चय किया गया था ताकि उनकी जमीनें लैंड मोरगेज आदि के जरिये दूसरी कौम के लोगों को ट्रान्सफर न हो सके और वे उनके पास सुरक्षित रहें तो इस दृष्टि से हमें हरेक प्रावधान जो हम करना चाहते हैं, करना चाहिये।

इस जजमेंट की लाइट में जो प्रयोजन इस विधान सभा का उस सैक्शन 46 ए का लेने का था या इस टिनेन्सी एक्ट में इन प्रोवीजनों को रखने का था जिस में कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को इस प्रकार की सुरक्षा देने से सम्बन्ध है वह जानने के बाद ही इस प्रकार का अमेन्डिंग बिल आना चाहिये था।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह आर्डिनेन्स उस प्रयोजन को पूरा नहीं करता। इसलिए प्रयोजन इसको पूरा करने का था। 183 में यह अमेण्डमेन्ट हमें इस प्रकार करना चाहिये था कि जिससे नम्बर एक तो यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता। मतलब यह है कि इसमें यह क्लाज जोड़नी चाहिये थी कि "It should be deemed to have been applied from the beginning."

शुरू से जब से यह 183 धारा बनी 55 से तब से यह अमेण्डमेंट लागू कर रहे हैं। इसे तब से माना जाना चाहिये जिस तरह की और जैसी स्ट्रिोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात हम करते हैं।

दूसरा यह भी हमें साफतौर से कहना चाहिये कि इस सम्बन्ध में जो भी सूट डिक्री या और कोई भी इजराय पेन्डिंग हैं उन पर भी यह लागू होगा। इस बात को क्लीयर करना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह सन्देह व्यक्त किया कि केवल-मात्र आप यह कह कर पर्सन एन्टाइटल्ड टू एडमिट के बजाय इसके पर्सन एन्टाइटल्ड टू इजेक्ट टिनेन्ट के कहने से आपके आशय की पूर्ति हो जावेगी, वह मामला भी सन्देहास्पद है और इसमें उस प्रकार से आपको बहुत क्लीयरली एक्सप्लेनेशन के जरिये और अपने इन्टेन्शन को बिलकुल जाहिर करना चाहिये। इसके बिना यह दुविधा में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एम्बिगुइटी में रह जावेगा और उनके हितों का पूरी तरह से परिपालन नहीं होगा ।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं यह निवेदन और करना चाहता हूं कि क्या आर्डिनेन्स अपनी 183 की धारा जिसमें कि इजेक्टमेन्ट करने के अधिकार दिये गये हैं उसके सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट ने निकाला है । जब सरकार ने धारा 183 में अमेण्ड करने के लिये आर्डिनेन्स निकाला तो 183 में संशोधन करने की परिस्थितियां न केवल इस रेवेन्यू बोर्ड के इस जजमेन्ट के कारण ही प्रस्तुत हुई, बल्कि राजस्थान में और सारे हिन्दुस्तान में जो पिछली बार जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, संसोपा और दूसरी पार्टियों के द्वारा जो जमीन के बंटवारे के सम्बन्ध में भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने के सम्बन्ध में जमीनों पर कब्जा करने का आन्दोलन चलाया गया । जिसमें मांग यह थी कि भूमिहीन किसान जिनको जमीन मिलनी चाहिये, हमारे कान्स्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल के अनुसार, सरकार की घोषित नीतियों के अनुसार, उन लोगों को गत 23 वर्षों में जमीन का वितरण न करके अनुचित तरीकों से समृद्ध लोगों के पास जो जमीनें निरन्तर जाती रही हैं उसके विरोध स्वरूप जमीन को सही तरीके से बंटवारा करने के लिये जिनको अनुचितरूप से आज अलाटमेन्ट हुआ है उनसे निकालने के लिये जो यह आन्दोलन चलाया गया उससे भूमिहीन किसानों ने जमीनों पर कब्जा किया । उन जमीनों पर जो सरकारी थी, जिनका वितरण सही तरीके से भूमिहीनों में किया जाना था, जो जंगलात की जमीनें थीं जो काश्त योग्य थीं, जिनको जंगलात से निकाल कर काश्त के लिये दिया जाना चाहिये था या कि जो जमीनें सीलिंग से ऊपर बड़े बड़े लोगों ने फार्मों के रूप में कब्जे में कर रखी थीं हमारे सीलिंग कानून की अवहेलना करते हुए ऐसी जमीनों का नाजायज फायदा उठा रहे थे या जिनको उन पर कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था जो केवल किन्हीं अफसरों या मन्त्रियों या पुलिस से मिलकर ले रखी थी जो हजारों बीघा में थी ऐसी परियोजनाओं की जमीनों पर नाजायज कब्जा किया हुआ था ऐसी जमीनों पर सरकार की वितरण की नीति से असन्तुष्ट होकर भूमिहीन किसानों ने आन्दोलन किया और आन्दोलन करके इस प्रकार की जमीनों का वितरण होना चाहिये था उन पर कब्जा किया । उनको यह सरकार ट्रेसपासर मानती है ।

उनको सरकार इस 183 की तहत और रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 की तहत इजेक्ट करने का प्रयत्न कर रही है । इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने कानून में ऐसा भी प्रावधान किया कि इस प्रकार के भूमिहीन लोग जो संघर्ष कर रहे थे इस बात के लिये कि ऐसी जमीनों का बंटवारा होकर उनको मिलनी चाहिये सरकार ने उनकी जायज मांग को महसूस करते हुए उनको जमीनें देने की व्यवस्था या जो जमीन उनके कब्जे में थी या है उनको पट्टा देने के बजाय उनके पेनेलाइज करने की कोशिश की है । इस कानून के अन्दर उनको ब्लेक लिस्ट करने की कोशिश की है और साथ ही साथ यह भी उनके लिये किया है कि अदरवाइज वे इलेजिबल भी होंगे तो भी उनको जमीन अलाट नहीं की जावेगी ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदय, आश्चर्य है ऐसी सरकार जो डेमोक्रेसी के लिये लड़ते हुए अंग्रेजों और राजाओं के शासन, जो तानाशाही आधार पर थे, को समाप्त करके जनता के हितों के आधार पर बनीं। जिस आजादी की लड़ाई में लड़ने वालों के नाम अंग्रेजी सरकार ने और इन राजाओं ने ब्लेक लिस्ट किये अनेक तरह के गन्दे हथकण्डे अपनाये गये उनको परास्त करने के लिये, आज की यह तथाकथित जनता की सरकार भी उन भूमिहीनों के अधिकारों को कुचलने के लिये वैसे ही हथकण्डे अपना रही है। आज ये उनको ब्लेक लिस्ट करना चाहते हैं। यह तो वैसी ही बात है जैसी अगर अंग्रेजों के वंश की बात होती तो वे यह लिख जाते कि नेहरूजी, पटेल और गांधी जी जो आजादी की लड़ाई में नेतृत्व कर रहे हैं उनको ब्लेक लिस्ट कर दिया जाय। उनको आजादी के उपभोग में हिस्सा लेने नहीं दिया जावे क्योंकि ये लोगों को आजादी के लिये भड़का रहे हैं।

आश्चर्य की बात है कि आज हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री इस तरह की ब्लेक लिस्ट की बात स्वीकार करे और यह स्वीकार करे कि यह भूमिहीन आन्दोलन सामाजिक आर्थिक समस्या के कारण है और इस कारण को ला एण्ड आर्डर का क्वेश्चन कहकर हल नहीं किया जा सकता।

अब तक जो किया है, जो सीलिंग का कानून बनाया है, जैसा भी बनाया है, उसको भी लागू नहीं किया जाता सही तरीके से। इससे भी लोगों में असन्तोष है। बड़े बड़े लोग जमीनें दबाये हुए बैठे हैं। तो अगर यह समस्या ठीक तरह से सन्तोषजनक तरीके से हल नहीं हुई तो हरित क्रान्ति तो दूर रही यह लाल क्रान्ति, बन जावेगी यह हरित क्रान्ति लाल क्रान्ति बन जायगी या और किस्म की बन जायगी। चीफ मिनिस्टर्स कान्फरेन्स में, पटना के ए. आई. सी.सी. के सैसन में सारे देश के सामने प्रधान मन्त्री कहीं पर अपना भाषण दे रही हैं तो इस बात से चूकती नहीं है कि आज जो देश के अन्दर हो रहा है उससे जनता में तीव्र असन्तोष है जो डेसपेरिटि है वह डेंजर्स है इसको समाप्त नहीं किया गया तो देश में एक रिवोल्यूशन होगा, देश में उथल पुथल होगी और उसको मेन्टेन करने के लिये अपने सहयोगियों से अपनी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। मुझे अफसोस है....

श्री मदनसिंह (दांता) : मैं समझता हूं आप जहाँ तक समझे हैं वह सही नहीं है। इन्दिराजी ने अपने फार्म पर 150 सिपाहियों को भेजकर पिटवा दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे अगर इन्दिराजी का नाम या और किसी का नाम....

श्री मदनसिंह : और कलकत्ता में सबसे बड़े नक्सलवादी निकले जिनके पास 150 बीघा जमीन निकली ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर नक्सली है या कोई कम्युनिस्ट पार्टी है और उनके पास ज्यादा जमीन है तो चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी के पास हो या किसी नक्सली के पास हो

श्री मदनसिंह : आप उनकी एग्जाम्पिल दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो आप सीलिंग लगाते हैं वह रामानन्द पर नहीं या मेरी पार्टी पर नहीं लगे यह बात नहीं है। इसमें सवाल कुछ व्यक्तियों का नहीं है, कुछ रिश्तेदारों का नहीं है। यह नेशनल क्वेश्चन है, सवाल यह है कि इस नेशनल प्रोब्लम को हल किया जाय। देश के सामने जो परिस्थिति असन्तोष की है और खास तौर से गांवों में जो ज्वाला भड़क रही है इसको समझने की कोशिश करें।

मैं राजस्व मन्त्री महोदय से जो इस सरकार के प्रतिनिधि हैं-बजाय आपने इस समस्या के हल करने के सोसियो इकोनोमिक ढंग से समझने की कोशिश की होती या आप यह समझते कि वास्तविक भूमिहीन जो कानून को तोड़ने के आदि नहीं है वे ऐसा नहीं करते हैं। कानून को एक तरफ रखकर बड़े बड़े लोगों ने जमीनें हड़पी हैं। किसी ने टोंक रोड़ पर, किसी ने अजमेर रोड़ पर या किसी ने उदयपुर में या राजाओं के पास रामगढ़ में या जगह जगह पर जो जमीनें हजारों एकड़ हैं—महाराजा जयपुर के पास तीन हजार एकड़ भूमि रामगढ़ में है। महाराजा बीकानेर के पास दो मुरब्बे भूमि गंगानगर के अन्दर है। इस तरह अलग अलग राजाओं के पास कितनी ही हजारों बीघा जमीन है। मैंने राजस्व मन्त्री जी आपसे यह मांग की थी कि आप कम से कम वह सूची दे दीजिये जिनके चेहरे जनता के सामने कम से कम आ जायं कि इन इन लोगों ने कितनी कितनी जमीनें हड़प की है। आज देश के सामने कम से कम असलियत आ जाय लेकिन मुझे खेद है राजस्व मन्त्रीजी ने उस सूचना को जिसको कानूनन उनको देनी चाहिये थी, जिनको देने के लिये ये बाध्य हैं, उनको कब तक ढके रखना चाहते हैं। वे यह समझते हैं कि उनके कन्धों पर...

श्री मदनसिंह : यह आपने राजस्व मंत्री जी से पूछा अगर जयपुर के महाराजा से पूछते तो मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं वे आपको जरूर दे देते और दे ही नहीं देते, जमीन भी छोड़ देते। रामगढ़ के मीणों ने उनकी जमीन को दबाया है, हमने उनको कहा कि मीणे जमीन दबा रहे हैं तो उन्होंने कहा दबाते हैं तो दबा लेने दो ऐसी उनकी भावनायें थीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब जयपुर के महाराजा कोई नहीं है। अब भवानीसिंह हैं। वह जैसे रामानन्द हैं वैसे ही भवानीसिंह हैं। मेरे सामने देश के एक नागरिक हैं और मैं भी देश का एक नागरिक हूं।

श्री मदनसिंह : आप ही अभी महाराजा महाराजा कह रहे हैं मैं तो फिर भी भवानीसिंह का नाम लेता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उनकी खिदमत लगाना चाहें तो लगाते रहें...

(दोनों माननीय सदस्य साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

(घन्टी)

श्री मदनसिंह : आपके जो लोग हैं उनके पास जयपुर के महाराजा से ज्यादा जमीन निकलेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूं कि इसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उस कानून को लागू कीजिये, सब पर लागू कीजिये और सख्ती से कीजिये। मेरे ऊपर लागू होता है तो मेरे ऊपर भी लागू कीजिये। सवाल यह है कि आज राजाओं की अपेक्षा कितने लोग कोर्ट में गये हैं। ये ही राजा लोग इन्टर नेशनल कोर्ट में गये हैं। आज यहां डूंगरपुर के भूतपूर्व महाराजा नहीं है। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हम किसी कोर्ट में नहीं जायेंगे। हम हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और नागरिक के नाते हम अपना यह कर्तव्य समझते हैं। मुझे यह बहुत अफसोस है...

श्री मदनसिंह : डूंगरपुर के महाराजा के लिये कह सकते हैं लेकिन जयपुर के महाराजा ने तो...

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : जो माननीय सदस्य ने कहा कि डूंगरपुर के राजा कान्कर्ड में जा रहे हैं, इन्टरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं–जो माननीय सदस्य सदन में कह रहे वह गलत कह रहे है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप प्रिन्स नहीं हैं इसलिये आपको मालूम नहीं है।

श्री सभापति : But how does it matter here whether he went to Hague Court, or not.

श्री मदनसिंह : जयपुर के महाराजा ने आज तक नहीं किया और न पहले किया। आप जिन राजाओं ने नहीं किया उनका नाम क्यों लेते है ?

(दोनों माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री सभापति : आप टीनेन्सी बिल पर निवेदन कर रहे हैं। जल्दी समाप्त कर दें।

श्री मदनसिंह : कम्युनिस्टों के पास लाखों की प्रापर्टी है इनको उसका दर्द है। किसी राजा ने ना नहीं किया। राजाओं का मामला लेकर असेम्बली में लायेंगे तो आपके तो कारनामें ऊंचे ऊंचे हैं। आज राजाओं की कोई बात भी है तो वे भारत के गुलाम तो है, चाइना के तो गुलाम नहीं है। जयपुर के महाराजा यहां के नागरिक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूगा माननीय सदस्य से...

श्री मदनसिंह : जब हारने लगते हैं तो राजा-महाराजाओं के पास जाते हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी अफसोस करने के बहुत मौके आयेंगे। इसलिये सारी शक्ति...

(दोनों माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : अभी तो बन्दूक उठाने की बात है जब बम उठायेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे मालूम हुआ है कि भूतपूर्व राजा महाराजा यहां पर एक कन्डोलेन्स मीटिंग कर रहे हैं। प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेज को खतम किया है उस बारे में एक कन्डोलेन्स मीटिंग रख रहे हैं।

श्री मदनसिंह : वे तो जनता के सामने करेंगे लेकिन आप तो...

(पुनः दोनों के साथ २ बोलते रहने पर, अश्रव्य)

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तो प्रिवी· पर्स और प्रिविलेजेज ही गये हैं और अब चन्द्र महल, राम बाग और ये त्रिपोलिया की प्रोपर्टी है इस पर भी दुबारा विचार होना है। वह लिस्ट के अन्दर मौजूद है। राजाओं को अब कोई सहूलियतें नहीं है। अब भवानीसिंह राजा नहीं रहे हैं तो इनका हाथ है इस त्रिपोलिया पर, चन्द्र महल पर और राम बाग पर। कोई अधिकार अब इनका नहीं रहा है।

श्री मदनसिंह : ··· (साथ बोलने पर अश्रव्य)···जोधपुर के अन्दर कांग्रेस के नाम नहीं होता ··

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : कोई नहीं गया है।

श्री मदनसिंह : लाठियों से स्वागत हो रहा है...

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : पाइन्ट आफ आर्डर सर। सभापति महोदय, जब हमें बिल के अमेन्डमेंट के बारे में बोलना है तो उस पर बोलने के बजाय राजा और महाराजाओं का सबजेक्ट छेड़ दिया है। अपन यहाँ लड़ने के लिये नहीं आये। ठीक है, राजा महाराजा नहीं रहे हैं क्योंकि जब से यह आर्डिनेन्स आया है····

श्री मदनसिंह : अग्रवाल साहब (श्री रामानन्द अग्रवाल) के कहने से कोई राजा महाराजा नहीं रहे···

श्री रूपसिंह : जिस पोइन्ट पर हमें बोलने के लिये कहा जाता है उस पर ही बोला जाना चाहिए और आऊट आफ पोइण्ट जाकर बोला जाय तो ठीक नहीं है।

श्री मदनसिंह : गरीबों के पास और सबजेक्ट ही नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। यह बात सही है कि डिबेट आउट आफ स्कोप जा रही है इसलिये मैं निवेदन करूंगा शीघ्रातिशीघ्र भाषण समाप्त करें। Casual interruptions sometimes make the debate lively.

इसलिये मैंने परमिट कर दिया लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन कई बार ऐसी बातें होती हैं कि वह बीच में जाकर चोट कर देती है और मैं उनको अवोइड भी करने की कोशिश करूंगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 में अमेन्डमेन्ट के लिए यह आर्डीनेन्स है और मैं यह पाइन्ट प्रस्तुत कर रहा था कि जहां सरकार ने रेवेन्यू बोर्ड के जजमेन्ट के संदर्भ में केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स के संबंध में एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट लाने का प्रयत्न किया वहां सारे देश के पैमाने पर, राजस्थान के पैमाने पर भूमिहीन किसानों ने बहुत जबरदस्त संघर्ष किया और उस संघर्ष की भाषा को आपने नहीं समझकर बजाय इसके कि उन लोगों ने जहां जंगलात की जमीन पर, सिवाय चक पर या बड़े बड़े लोगों के फार्मों पर कब्जा किया था उनको आप ट्रेसपासर्स मानते हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलाये हैं, जो कब्जे में हैं उनको निकाल रहे हैं और इतना ही नहीं उनको आप भविष्य के लिए भी अलाटमेंट से ब्लैक लिस्ट करके आप उनको वंचित कर रहे हैं। मेरा निवेदन करना है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि जब 183 में आप अमेन्डमेंट ला रहे हैं तो इस सारे अन्दोलन की पृष्ठभूमि को, इसकी भाषा को और इसके राजनैतिक और सामाजिक महत्व को सही रूप से आप समझने का प्रयत्न करो। समस्या को सामाजिक और आर्थिक रूप से भूमिहीनों की समस्या को हल करने से समस्या हल होगी और उनको ब्लेक लिस्ट करने से समस्या का हल नहीं होगा, उनको जेलों में डालने से समस्या का हल नहीं होगा और उनको भूमि से निकालने से समस्या का हल नहीं होगा और न उनको वंचित करने से समस्या का हल होगा। आपने जो रास्ता अपनाया है, मैं यही निवेदन कर रहा था कि जहां लोगों ने गैर कानूनी तरीके से और टाइटल के तहत बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा किया है उनके ऊपर धारा 183 और 191 काम नहीं कर रही है और जहां दबे हुए लोगों ने, समाज में सदियों से दबे हुए लोगों ने हिम्मत की है, टेक्नीकली आपके कानून को तोड़ा भी दिया है लेकिन उनकी लड़ाई को और उनको जलन को आप समझने का प्रयत्न करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि जरूरत इस बात की है कि धारा 183 में जो आर्डीनेन्स लाये हैं उसमें आप एक प्रोवीजो जोड़े उसमें आप एक परन्तुक जोड़ें और उसमें ऐसे लोग जो भूमिहीन लोग हैं, जिन्होंने कब्जे किये हैं और जिनका चाहे एक साल का कब्जा हो, इसी साल का चाहे कब्जा हो लेकिन उन्होंने ऐसी जमीनों पर कब्जा किया है जो कि डिस्ट्रिब्यूटेबल है और ऐसे लोगों ने कब्जा किया है जो कि जमीन के अलाटमेंट के लिए एप्लीकेशन देने के मुस्तहक हैं, ऐसे लोगों ने और कब्जा किया है तो ऐसे लोगों को आप धारा 183 से मुक्त कीजिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इस भूमि आन्दोलन की पृष्ठभूमि में और फिर उस पर जो आपके केन्द्रीय नेताओं ने विचार विमर्श किया और प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो निर्देशन दिये, जो अपनी भावना व्यक्त की उसको आप ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कानून यहां पर लायेंगे। मैं खेद के साथ कहता हूं कि राजस्थान सरकार और मध्यप्रदेश सरकार यह दो सरकारें ही ऐसी हैं कि जिन्होंने प्रधान मंत्री द्वारा या कांग्रेस जो संचालित की जा रही है और आया वह लोग उनकी सरकार में हैं या प्रच्छन्न रूप से उनके साथ है या वास्तव में कहां है यह तो आगे भविष्य ही बतायेगा लेकिन सभापति महोदय केवल यह दो सरकारें हैं जिन्होंने यह कानून बनाया कि इस तरह से भूमि आन्दोलन में उनको ब्लेक लिस्ट किया है। उनको आगे भी अलॉटमेंट नहीं हो सकेगा। इस तरह का कानून बनाया है। इस तरह का कानून बनाने में राजा लोग भी शरमाते थे, इस तरह का कानून बनाते हुए और हिन्दुस्तान के डेमोक्रेटिक मूवमेन्ट का, हिन्दुस्तान की आजादी के आन्दोलन का, इस तरह की भावना का डटकर मुकाबला किया है चाहे वह रौलेट एक्ट आया या दूसरा एक्ट आया—यह इतिहास है कि इस कानून को जनता ने कभी बरदाश्त नहीं किया। मैं यह उम्मीद करूंगा कि इस सदन में बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं, जो भूमिहीन किसानों से हमदर्दी रखते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं वह इस बात को महसूस करेंगे कि सरकार ने जो पेनल्टी लगाई है वह सरकार वापिस ले लेगी। सरकार की तरफ से ऐसा आश्वासन भी दिया गया था और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो एक भूमि सुधार कमेटी बनी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि जो पेनल्टी का क्लाज है उसको हटा लेंगे लेकिन मुझे खेद है कि अभी तक यह क्लाज नहीं हटाया गया है। 26 तारीख को मुख्यमंत्रीजी ने कहा था। आज 13 रोज हो गए हैं और इसी तरह से अलाटमेंट हो रहे हैं, लोग अलाटमेन्ट में वंचित हो रहे हैं लेकिन फिर भी उस कानून के अन्दर जो पेनल्टी का क्लाज था उसको अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार वापिस नहीं लिया गया है जब कि लेण्ड रिफार्म्स एडवाइजरी कमेटी के अन्दर मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम इसको स्वीकार करते हैं और इस चीज को हम वापिस ले लेंगे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी वापिस ले लिया जाये फिर भी उससे काम नहीं चलेगा। जरूरत इस बात की है कि इस ऑर्डिनेन्स में यह प्रोवाजों लगाया जाये कि ऐसे ट्रेस्पासर्स को जिन्होंने एक साल या उससे ज्यादा से कब्जा किया हुआ है ऐसी जमीन पर जो कि अलाटेबल थी, या सरप्लस थी कानून के अनुसार, सीलिंग से ऊपर ऐसी लेण्ड को, कब्जा करने वाला भूमिहीन है और अलाटमेंट में दरख्वास्त देने का हकदार हो ऐसे लोग कब्जे में हैं तो धारा 183 उन पर लागू नहीं होगी और धारा 183 के तहत ऐसे लोगों को इजेक्ट नहीं किया जायेगा, ऐसा मैंने अमेंडमेंट मूव किया है। इन शब्दों के साथ मैं इस आर्डीनेन्स का विरोध करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सभापति महोदय, मुझे इस आर्डीनेन्स के बारे में कुछ बातें कहनी हैं। मैं समझता हूं कि धारा 183 के अन्दर जो शब्द थे इजेक्टमेंट उस पर तो मेरी समझ में आ रहा है 12 साल तक कोई आदमी दावा ला सकता है। उसकी मियाद है 12 साल की। मैं समझता हूं कि 12 साल के अन्दर किसी आदमी ने शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को बेदखल कर दिया है तो 12 साल तक उसका सूट डिसाइड हो भी गया है तो भी अपना दावा वापिस ले सकता है। मैं यह समझता हूं कि 12 साल के अन्दर एक कानून के अन्दर जो प्रगतिशील कदम उठाया है यह बात आयी है कि आप कोई टेनेन्सी एक्ट नया नहीं ला रहे है लेकिन जो आर्डीनेन्स आया है उस बाबत में मुझे एक बात कहनी है कि 183 के अन्दर अगर शियूड्ल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई व्यक्ति 12 साल के पहले ही बेदखल कर दिया गया है तो आज भी सूट ला सकता है क्योंकि 12 साल की मियाद है और वह अपना हक प्राप्त कर सकता है। एक बात मुझे श्री दुर्गालालजी बाढ़दार से कहनी है क्योंकि वे बड़े इनके वकील है कि टेनेन्सी की परिभाषा क्या है। तो मैं यह समझता हूं कि टेनेन्सी एक्ट की धारा 43 में:

"Tenant shall mean a person by whom rent is, or, but for a contract, express or implied, would be, payable & except when the contrary intention appears shall include.......".

It includes a sub-tenant also.

(श्री मूलचन्द डागा)

इन्क्लूड के अन्दर आया है "ए सबटेनेन्ट आलसो" तो मैं समझता हूं कि अगर यह शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी हैं अगर उसको बेदखल कर दे कोई आदमी तो 183 के अन्दर जो है वह यह है, "इजेक्टमेंट आफ ए सर्टेन ट्रेसपासर" और आपने जो इसमें किया है यहां पर...

"Notwithstanding any thing to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub section 2., on the suit of the person or persons entitled to admit him as tenant, and shall be further....".

A tenant includes a sub. tenant also".

तो मैं समझता हूं कि "सबटेनेण्ट जब इन्क्लूड करते हैं तो अगर कोई आदमी दावा करता है इजेक्टमेंट का तो इसका नुकसान कम होगा और आप एडमिट करेंगे, लेकिन अगर आपने इसमें इजेक्टमेंट कर दिया है तो मेरे खयाल से शिड्यूल्ड कास्ट वाले जिसने ट्रेसपास किया है... रामचन्द्र और केसेज के आपने इन्स्टान्सेज दिये हैं और जो उदाहरण आपने पेश किये हैं वे शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति थे उनको एक सवर्ण ने बेदखल कर दिया और बेदखल करने के बाद गवर्नमेंट ने यह कहा कि यह टेनेन्ट की तरह आया है तो नहीं करते हैं इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट वाले दावा नहीं कर सकते है, लेकिन यह प्रोपर एमेंडमेंट हुआ है कि मानले कि लोग इजेक्ट तो कर सकते हैं और जब भी आपने इजेक्ट किया है तो 183 में यह पावर्स मिल गई दावा करने के लिए इजेक्ट कर सकता है तो टेनेन्ट इन्क्लूड्स सबटेनेन्ट तो उसके अन्दर दावा लगाने का अधिकार हो चुका है। तो यह जो तरीका है मेरे खयाल से यह ठीक है। राजा महाराजाओं के बाबत में बहुत अच्छी बहस हुई और यह जो तरीका है कम्युनिस्टों का तो दोनों ही गलत तरीके पर हैं और दोनों ही गलत रास्तों की बहस हो रही है। तो हमारा जो रास्ता है वह ठीक रास्ता है। उसके अन्दर ही देश के अन्दर शान्ति आ सकती है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी प्रधान मन्त्री जो बात कहती है उसको नहीं मानते हो क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं यह बात नहीं। आपने जो खूनी क्रान्ति की बात कही है और आप खूनी क्रान्ति लाना चाहते हैं। हम से पूछना चाहते हो तो हमारा रास्ता आपको अख्त्यार करना चाहिए। इसलिए यह एमेंडमेंट निकाला है और जल्दी से जल्दी कदम उठाया गया है, और केवल इसी कदम के उठाने पर देश में शान्ति हो सकती है और काश्तकारों को रिलीफ मिल सकती है।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस संकल्प के विरोध में अपनी बात कहते हुए जो जज़बात

(श्री नत्थीसिंह)

प्रकट किये उनसे तो मेरी सहमति है, लेकिन मुझे दुःख है कि वह इस सरकार की नीयत को नहीं समझ पाये हैं और इसीलिए संकल्प को अस्वीकार करने वाली बात कहने लगे और संकल्प के खिलाफ मेरे से पहले बोलने वाले मूलचन्दजी डागा ने जिस भाषा में बात कही उससे शायद सहमत हो गये। प्रधान मंत्री इन्दिराजी, मोहनलालजी सुखाड़िया और जो बेचारे निरीह राजस्व मंत्री हैं ये सब केवल कथनी के हैं और करनी के नहीं हैं। इसलिए सरकार की नीयत को देखते हुए, इनकी करनी को देखते हुए और अध्यादेशों की जो इनकी नीति बन गई है, इस प्रदेश में अध्यादेशों से राज्य चलाने की और विधान सभा के सत्र को जल्दी से अन्त करने की जो नीति बन गई है इस संदर्भ में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। पिछली बार भी 10 दिन का सत्र बुलाया गया और उसमें क्या काम किया गया कि सीलिंग का कानून लिया गया और एक लंगड़ा-लूला सीलिंग का कानून पारित किया गया और क्रियान्वियन की बात में वह अभी अधूरा ही होगा। हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ी बात हुई है भूमि-सुधार आन्दोलन को लेकर और वहां की समस्याओं को लेकर मोहनलालजी सुखाड़िया का सबसे बढ़िया भाषण हुआ पटना में जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अचम्भा कर दिया है। राजस्थान में हरित क्रान्ति लाये हैं और बहुत अच्छे भूमि सुधार किये हैं। हजारों की तादाद में भूमिहीन किसान आज भी मारे मारे फिरते हैं, आपकी डांट खाते हैं। आप जिस तरह का एलाटमेंट करते हैं, वह हम जानते हैं। सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि जिस भूमि के वितरण के लिए हमने और हमारे साथियों ने जेलें भरीं, आन्दोलन किया और जो सरकारी हुक्काम हैं या उनके एजेन्ट हैं वे भूमिहीनों से अनुसूचित जातियों, जनजातियों के काश्तकारों को फुसलाकर और रिश्वत लेकर 200 रुपये, 100 रुपये लेकर अलाटमेंट कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस राज्य सरकार की इस तरह की क्षमता नहीं है कि किसी तरह से उनको राहत दिला सकें। इसलिए इस राज्य सरकार की यह नीति रही है कि मूल प्रश्न को टाला जाये और दूसरे प्रश्न सामने डाल दिये जायें। इनका यही प्रयास रहा है कि इन अध्यादेशों के जरिये राज्य किया जाय। मूल उद्देश्य यह था कि आमूलचूल परिवर्तन लाये जायं टनेन्सी एक्ट में जिसको आप प्रगतिशील बताते हैं और जो कमजोर वर्ग को राहत देने के लिए बनाया गया है, लेकिन न्याय जो मिलता है, अदालत है, अदालतों से वह कमजोर वर्ग को कितना मिलता है? इसका एसेसमेंट किया है कभी?

183 में जो संशोधन किया है, इस संशोधन के जरिये क्या आप चाहते हैं कि केवल इन शब्दों में "एन्टाइटल्ड टू इजैक्ट" से ही उनको इस तरह की राहत मिल जायगी? इस तरह की राहत उनको मिलने वाली नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की थी कि आमूलचूल रूप में रेवेन्यू कानूनों के विषय में आप पूरे का पूरा कानून प्रस्तुत करते। उसके लिए हम कई सालों से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन आपको उसको लाने का समय नहीं मिला। आप कहेंगे कि 3 दिन में ही विधान सभा का सत्र समाप्त हो जाय और आपको बड़ा काम है और बहुत जल्दी ही इस तरह का कानून लायेंगे जिसका हमें पूरा ज्ञान नहीं

(श्री नत्थीसिंह)

है। जो आर्डिनेन्स जारी किया है उसके जरिये, सभापति महोदय, यह व्यवस्था की जा रही है कि जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको करने का अधिकार देंगे इसलिये इन शब्दों को हटा दिया जाय तो इससे उनको राहत मिलने वाली है। मैं उसकी बातों में न जाकर आपके सामने दूसरे प्रश्नों को प्रस्तुत करता हूं। शैड्यूल्ड कास्ट्स का 12 वर्ष का इन्क्लूड किया है जिसकी मियाद हो चुकी है। वे दुबारा इस कानून के जरिये राहत पा सकेंगे। किसी भी जरिये से वह इस बात की कोशिश करेंगे और अदालत का यह फैसला होगा कि उनको इजेक्टमेंट का राइट है या नहीं। इसी विधान सभा के पिछले सत्र के दौरान, सभापति महोदय, बड़ी जल्दी में आपने एक आर्डिनेन्स भी बनाया था और कानून का रूप देने की कोशिश भी की थी। उसमें यह व्यवस्था की थी कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो कर्जा नहीं मिलता है इसलिए भूमि विकास बैंक या कामर्शियल बैंक से कर्जा लाने की सहूलियत हो इसलिए इसके साथ साथ आपने यह क्लाज डाल दी और राजस्व मन्त्रीजी उनको यह अधिकार भी देना चाहते थे कि बोहरे के यहां, महाजन के यहां भी अपनी जमीन को गिरवी रखकर जमीन जोतने के लिए 10 साल के लिए कर्जा ले सकता है। तब भी हमने सदन में कहा था कि इस प्रकार के अधिकार नहीं देना चाहिए। इससे भूमिहीन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग तबाह हो जायेंगे। उस दिन भी हमारे राजस्व मन्त्रीजी ने यह आड़ ली थी कि यह एक इन्नोसेन्ट बिल है इसको पास कर दिया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के विधायकों ने इसके खतरे को पहचान लिया और पहचानने के कारण इस सरकार को उस बिल को डेफर रखना पड़ा और उसके 5 दिन के बाद दुबारा बिल आया तो उस क्लाज को हटाया गया था। इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस रूप में आप बिल को ला रहे हैं उसको बहुत जल्दी में ला रहे हैं। इसमें आपने पूरी बात पर विचार नहीं किया है। यह अच्छी बात है कि इससे आप राहत दें, लेकिन इससे राहत मिलेगी नहीं जो राहत आप चाहते हैं। आपकी नियत तो जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे उस नियत से राहत नहीं मिलेगी वह तो केवल नारे बाजी के लिए सामग्री मिलती है। यही आपकी नियत है इस कानून को पेश करने की। उससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इसलिए इस अध्यादेश को निश्चित रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए, और इसके बाद में इस सत्र में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है 3 दिन में इस धारा का एमेंडमेंट करने के लिए दूसरा बिल लाया जाय। वह तीन दिन में लाया जाय। मैं राज्य सरकार से यह चाहता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन इन कानूनों में करना चाहते हैं तो उसके विषय में स्थिति क्या है? भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों के बारे में भाषण बहुत देते हैं। आज तक तो यही करते रहे रहे हैं कि बड़ी तादाद में भूमिहीनों को और अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के लिए सब तरह की सुविधायें देंगे लेकिन सत्र में जब विधान सभा में आते हैं तब कानून आता है, यानि एक ढीला अध्यादेश या निवारक नजरबन्दी कानून या राजकोय कर्मचारियों को दबाने

(श्री नत्थीसिंह)

वाला कानून । इनके सिवाय विधान सभा में कोई जनता को राहत देने वाला बिल, जो जनता कराह रही है, जो जनता पीड़ित है, त्रस्त है, उस जनता को राहत देने के लिए अपनी घोषणाओं की दुहाई देते हैं उसके मुताबिक कानून लाने की आपको फुरसत क्यों नहीं है ?

कौनसी जल्दी पड़ रही है। आप तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी विधान सभा को बन्द कर दिया जाये। आप तो विधान सभा को बुलाते भी नहीं है। आर्डिनेंस से काम चलाते है। जब 6 महीने होने को आये तो आप सोचते हैं कि विधान सभा को बुला लिया जाये। इसलिए 6 महीने में बुलाते हैं। फिर आर्डिनेंस से राज करेंगे। सरकार तो यह चाहती है, जिस दिन विधान सभा बन्द हो उसके तीसरे दिन ही आर्डिनेंस लागू कर दिया जाये। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य इस खतरे को पहिचाने। इन्दिराजी को पहिचानें। अगर मुरार जी भाई का हाथ हो जाये तो राजस्थान की सरकार कभी भी बदलती नजर आयेगी। इसलिए मैं कहता हूं, इसको बदलें। नहीं तो यह राहत देना नहीं चाहते हैं।

मुझे मालूम है सभापति महोदय, कल से बड़े जोरों की चर्चा है कि हमारी सरकार ने फैसला कर लिया है कि पंचायत चुनाव को टाल जाये। उनकी नजर तो फरवरी में आम चुनाव करवाने की है। आप 16 या 17 को विधान सभा बन्द करना चाहते हैं। फिर आप चाहते है कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाये। आप पूरा आश्वासन दीजिए कि विधान सभा बन्द नहीं होगी। आप इसकी पूरी परीक्षा कीजिए। आप ने हजारों एकड़ भूमि जिसको आप ने रूंध के नाम पर छोड़ रखा है। जिसको बड़े बड़े लोगों ने पकड़ रखा है। इसे बन्द करो। इसी सत्र में एक भूमि सुधार सम्बन्धी पूरा विधेयक पेश करो। ताकि जनता के सामने आपकी असली सूरत आ जाये। दूसरी जगह यह कहा जा चुका है कि हमारे इन नेताओं और अफसरों के पास कितनी कितनी जमीन है। उनको बरकरार रखने के लिए यह करना चाहते हैं। आप की कथनी और करनी में अन्तर है। जब तक आम चुनाव इस देश में हो, आप इसी प्रकार रखना चाहते हैं ताकि गरीब यह सोचता रहे कि यही हमारे रक्षक हैं अगर वास्तव में जनता को राहत देना चाहते है तो यह घोषणा करे कि इसी सत्र में इन कानूनों को, जनता की मांग है, जिनके बारे में आप बराबर घोषणा करते हैं, उसी सत्र में पूरा विधेयक लाकर पास करेंगे। गरीब जनता जो तरस रही है, उसको राहत देगें। मैं यही कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति जिनके लिए हम कर रहे हैं, जब तक यह प्रावधान नहीं हो कि यह कानून जिस तारीख से बनेगा, जिन लोगों ने भूमि पर कब्जा किया था, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको राहत दे दी जायेगी। आप यह कहना चाहते हैं कि डेढ़ वर्ष हो गया है इसलिए हम इस कानून में यह संशोधन लाना चाहते हैं। अगर यह कानून लाना है तो प्रवर समिति में लाकर फिर विचार किया जाये। आप यह आश्वासन दीजिए जिससे कि राजस्थान का भूमि सुधार कानून कहा जाये। नहीं तो आपकी सरकार केवल भूमि सुधार की बात करती है। केवल बात करती है। भूमि सुधार का काम करने वाली नहीं है। मैं

(श्री नत्थीसिंह)

इन्हीं शब्दों के साथ इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह ।

आप संकल्प के विरोध में बोलना चाहते हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, आप बोलेंगे । (श्री यशवन्त सिंह नाहर के खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : सभापति महोदय, इसी सदन में सभी प्रकार के लोग हैं । कुछ जनतन्त्र को मानने वाले ऐसे भी लोग हैं जो कि जनतन्त्र को छाती से चिपटाये बैठे हैं । चाहे सभी खतम हो जायें लेकिन उन्हें जनतन्त्र को बचाना है । मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं । दोनों ही सामने हैं । जनतन्त्र का नाम लेते हैं लेकिन एक कदम भी आगे नहीं चलते हैं । एक वह हैं । जो मेरी समझ में नहीं आये हैं ।

श्री नत्थीसिंह : समझने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : सभापति महोदय, मैंने समझने की कोशिश की है लेकिन समझ नहीं पाता हूं । वह समाजवाद में विश्वास नहीं करते हैं । उसका मूल उद्देश्य यह है कि वह सरकार का विरोध करना चाहते हैं । वह कहते हैं, बड़े शानदार रूप में कहते हैं, नाफरमानी सबसे बड़ी चीज है ।

श्री नत्थीसिंह : सिविल नाफरमानी ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : सिविल नाफरमानी । मेरी समझ में नहीं आती है। पता नहीं कितने साल हो गये हैं जो यह कानून बने हैं, उनको सब को अलग रख दो । रूल ऑफ लॉ हो न हो । मैं यह चाहता हूं कि जनता की रक्षा हो । जनतन्त्र भी कायम रहे । इसीलिए अध्यादेश लायें है ।

"Entitled to admit him as tenant"

लेकिन कभी कभी जनतन्त्र में शब्दों के कारण परेशान होना पड़ता है । इसीलिए अध्यादेश लाया गया है । यों तो बहुत पुरानी किताबें हैं हमारे यहां पर । लेकिन एक शानदार सवाल यह है कि जो कानून की अवहेलना करता है, दूसरे के अधिकारों का हनन करता है लेकिन हमारे न्यायालय शब्दों द्वारा ही न्याय करते है । वह ठीक है, रूल ऑफ ला है । वह ठीक है । इसलिए मैं चाहता हूं, सेक्शन 49 के अन्दर जैसा कि ट्रेसपास के खिलाफ प्राविजन है । इस सम्बन्ध में विधेयक पर प्रस्तुत हुए संकल्प का विरोध करते हुए अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । अभी मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प पर बहुत सारे असम्बध्द और अप्रासंगिक बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं । हमारे पड़ौस में एक मित्र बैठे हैं । उनका कहना है कि गांवों में महिलाएं मौके के गीत गाती है । लेकिन मुझे खेद है कि यहां पर माननीय सदस्य मौके के गीत गाना भी नहीं जानते हैं । यहां किसी विषय को रख दिया जाय, दुनियां भर की चर्चा हो जायगी, कोई

Page No 80

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

चर्चा ऐसी नहीं होगी जो बाकी रह जाय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी अपने आपको सीमा में रखूं, और मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विचारों के अन्दर रेलेवेन्सी हो। जैसा मेरे पड़ोस में बैठने वाली महिला बता रही थीं, मौके पर, शादी के मौके पर सिजारे के गीत तो कम से कम मत गाइये। मेरा निवेदन है, ऐसे गीत गाइये जहां पर जो इस सम्बन्ध में रेलेवेन्सी रखते हों, इससे आप सदन का समय भी बचायेंगे और अपनी कान्स्टीच्यूएन्सी के प्रति भी भला कर सकेंगे।

श्री सभापति : श्री राजस्व मंत्री।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, संकल्प जो सदन के सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि अध्यादेश टेनेन्सी एक्ट का जो आया है इसको अस्वीकार कर दिया जाय। उसके कारण भी माननीय सदस्यों ने बताये हैं। मैं उनके बारे में सदन से निवेदन करूंगा। पहले तो मैं निवेदन कर दूं, सबसे पहली बात जो ऐतराज की हुई वह यह हुई कि गवर्नमेंट आर्डिनेन्स बहुत निकालती है, निकालने नहीं चाहिए। यह आर्डिनेन्स भी निकला तो सही नहीं निकला। बेजा था, असेम्बली के सेशन के पहले हमें मालूम था, उसके पहले यह जजमेंट हो चुका था तो उसके पहले ही यह बिल आ जाना चाहिए था और आर्डिनेन्स नहीं आना चाहिए था। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं, सिद्धान्ततः मुझे यह बात स्वीकार भी है, मैं अमल भी करता हूं इस बात पर। दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन बिल के रूप में आनी चाहिए और गवर्नमेंट को आर्डिनेन्स कम से कम लाने चाहिए। लेकिन बाज मजबूरियां इस तरह की होती है, बाज आवश्यकतायें इस तरह की होती हैं कि जनहित के लिहाज से यह जरूरी हो जाता है कि उनको रोका जाय और आर्डिनेन्स निकाला जाय वरना जनता को हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसको मद्दे नजर रखते हुए आर्डिनेन्स यह लाया गया है। यह प्रजेन्ट आर्डिनेन्स है जो सदन के सामने, यह उसी दृष्टि से रखा गया है, जनता को राहत देने की दृष्टि से, जो एक अनाउन्समेंट हो गया था उससे रिलीफ देने के लिए यह आर्डिनेन्स लाया गया है। इस आर्डिनेन्स के द्वारा, 184 दफा जो टेनेन्सी एक्ट की है, उसमें संशोधन चाहा गया है। रेवेन्यू बोर्ड ने एक जो फैसला दिया, उसमें दो दफाओं का हवाला उन्होंने दिया—एक 46 (ए) और एक 183। दोनों को आपके सामने पढ़ दूं ताकि उनकी वजाहत हो जाय। 183 धारा जो है वह ट्रेसपासर के इजेक्टमेंट के लिए हैं। वह इस प्रकार से है :

'Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to admit him as tenant, and shall be liable to pay as penalty....'

(श्री रामकिशोर व्यास)

रेवेन्यू बोर्ड ने इस 183 का यह इन्टर-प्रिटेशन किया, पर्सन और पर्सन्स एन्टाइटल्ड टू एडमिट एज ए टेनेन्ट—उन्होंने कहा कि सेक्शन 46 (ए) जो है, 46 (ए) की मौजूदगी में कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट्स का जो आदमी है, अगर नान शिड्यूल्ड कास्ट्स को लैंड काश्त की दें तो वह नहीं दे सकता है। 46 (ए) मैं पढ़ देता हूं :

'Notwithstanding anything contained in sections 44, 45 and 46 no person who is a member of a scheduled caste or a scheduled tribe shall let or sub-let the whole or any part of his holding under the said sections to any person who is not a member of a scheduled caste or a scheduled tribe.'

इसका मतलब यह हुआ कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स 46 (ए) के तहत में किसी गैर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को सबलैट लैंड नहीं कर सकता, ट्रान्सफर नहीं कर सकता, मुस्तकिल नहीं कर सकता, उसे बता नहीं सकता और जब बता नहीं सकता तो टेनेन्टरी एन्टर नहीं कर सकता। जब यह नहीं कर सकता तो 46 (ए) का उन्होंने यह इन्टरप्रिटेशन किया कि वह ट्रेसपासर को हटाने के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। यह रेवेन्यू बोर्ड ने डिसीजन जो दिया है, रामचन्द्र वाला जो केस चला उसमें इस पाइन्ट को कन्सीडरेशन में लिया और यह फैसला दिया कि 46 (ए) में प्राविजन है कि किसी नान-शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स को लैंड सब लेट नहीं कर सकता, एज टेनेन्ट एडमिट नहीं कर सकता और एडमिट नहीं कर सकता तो 183 में वह सूट दायर नहीं कर सकता यह जो फैसला कर दिया, इससे मालूम हुआ कि बड़ी एनामाली है क्योंकि लेजिस्लेचर की कभी यह मन्शा नहीं थी, लेजिस्लेचर की मन्शा यह रही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लैण्ड को प्रोटेक्शन दिया जाय, उसको सेव किया जाय, गैर शिड्यूल्ड कास्ट्स के हाथ में जाने से बचाया जाय—यह मन्शा थी। तो यह जो फैसला हुआ, इसको मीट करना जरूरी था और उसको मीट करने के लिए आर्डिनेन्स आया है। यह जो लेकूना रेवेन्यू बोर्ड ने निकाला है, जो फाइंडिंग दी है उसको मीट कर लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी मीट कर लेना चाहिए, इसलिए यह आर्डिनेन्स लाने की बात हुई और इसलिए ही यह आर्डिनेन्स लाया गया। मैं यह सदन को इतमिनान दिला देना चाहता हूं कि किसी गैर जरूरी चीज पर, जिसकी जरूरत नहीं है, आर्डिनेन्स लाने की कतई मन्शा नहीं है और न लायेंगे....

श्री दुर्गालाल बादूदार : "पर्सन्स एन्टाइटल्ड टू इजेक्ट हिम" को एक्स्प्लेन कर दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : कर देता हूं।

श्री दुर्गालाल बादूदार : क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड की लार्जर बैंच ने एक डिसीजन 70 में और दे दिया है। आप एक केस का हवाला देते हैं लेकिन उसके अलावा एक और दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जजमेन्ट 24-6-69 को हुआ तो क्या आपके नोटिस में यह देरी से आया ?

श्री रामकिशोर व्यास : देरी से इल्म में आया, फिर इसको एक्जामिन कराया कि कैसे करें, क्या करें – इसमें देरी हुई। लास्ट असेम्बली में इसे लाना था, यह सोचा था लेकिन इसके पास होने में दिक्कत थी, टाइम शॉर्ट था और कोई चीज नहीं थी।

दो तीन और पाइन्ट रेज किये गये। एक यह पाइन्ट उठाया गया है कि इसके जरिये से जो आर्डिनेन्स लाये जाते हैं, जिस गरज से लाये जाते हैं उनका वह पर्पज सर्व नहीं होता है। उसके लिये कई दलीलें दी गई हैं, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू नहीं किया गया, रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू नहीं किये जाने की वजह से जो केस तय हो गये हैं या जिनकी मियाद खत्म हो गई है उनका क्या होगा ? जो पैंडिंग केसेज हैं उनका क्या होगा ? इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यह सूट जो है, अब तक जो इजेक्टमेंट और ट्रेसपासर की सूट है उसकी लिमिटेशन बारह साल की है। बारह साल की मियाद अभी तक कायम रहती है, उसके अन्दर वह सूट फाइल की जा सकती है। यह जो बारह साल की लिमिट दी है, उसमें यह ला 24-12-68 को बना है और उसमें बारह साल की लिमिट को रखा गया है, तो वह लिमिट 24-12-70 तक रहती है, तब तक सूट फाइल की जा सकती है, इसलिये इसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देने की जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टाइम क्या रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात ··

श्री दुर्गालाल बादृदार : इस प्वाइन्ट को एक्सप्लेन कर दीजिये, जो सूट इन बिट-विन पार्टी एडजुडिकेट अपोज हो गये हैं उन्हें किसी लॉ से रेसजुडिकेट नहीं करेंगे ? एक पाइन्ट। आप जो कह रहे हैं वह यह नहीं है। इसको एक्स्प्लेन कर दीजिये। जब आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो प्रश्न यह रहता है कि पर्सन एन्टाइटल्ड टू एडमिट को तो एक्स्प्लेन कर दिया, लेकिन पर्सन एन्टाइटल्ड टू इजेक्ट को आपने डिफाइन नहीं किया है····

श्री रामकिशोर व्यास : आपने मिक्स अप कर दिया है, यह अलग अलग हैं।

श्री दुर्गालाल बादृदार : तीसरा प्वाइंट भी मैं अर्ज कर दूं, साथ ही सबका जवाब दे दीजिये। प्रासिजरल ला और सब्सटेंटिव ला में फर्क होता है। सब्सटेंटिव ला में आस्पेक्टिव आपरेशन रख सकते हैं लेकिन आप रेट्रोस्पेक्टिव रखते हैं तो उसमें पेन्डिंग सूट जो ला कोर्ट में है वह तो डिसाइड हो जायेंगे लेकिन जो केसेज में डिक्रियां हो चुकी हैं, चाहे डिसमिसल आफ सूट की डिक्री हुई हो, इसके लिये यह लॉ अगर रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया तो कैसे क्या होगा जब तक आप हाउस प्रिमिसेज रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट में प्रावी-जन नहीं रखें। जो डिक्री हो गई हैं, उनके अन्दर इस अमेन्डमेन्ट के आधार पर टेनेन्ट को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप ऐसा संशोधन नहीं लायेंगे और इससे जो अध्यादेश लाये हैं, इस कानून का पर्पज है जनता को फायदा देने का वह फायदा इससे नहीं मिल सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : फायदा नहीं मिलेगा तो फायदा देने वाली बात करेंगे।

(श्री रामकिशोर व्यास)

यह गौर करने वाली बात है कि इसका पर्पज सर्व होता है या नहीं ...

श्री दुर्गालाल बाद्दार : इसका पर्पज सर्व नहीं होगा, यह आप मानते हैं तो ...

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह नहीं कहता कि पर्पज सर्व नहीं होगा। पर्पज अगर सर्व नहीं होता है तो मुझे ऐतराज नहीं है.... ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : दावा खारिज हो गया तो क्या होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : आब्जेक्ट में डिफरेन्स नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इससे रिलीफ मिले। यह सोचा जा सकता है जो हमारे सामने मुद्दा है, जो पर्पज है वह इससे अचीव होता है या नहीं। आपका ख्याल है कि नहीं होता है तो पहले मैं अपना व्यू प्वाइन्ट अर्ज कर दूं, उसके बाद में आप अर्ज कर दें इसका सूट जो है फार इजेक्शन उसकी 12 साल की लिमिटेशन है। 24-12-58 में बना था और 24-12-70 को 12 साल पूरे होंगे। 183 जिसका अमेंडमेंट आपके सामने है, यह जून, 1960 के अंदर हुआ है। लेकिन 1960 में जो बना है वह 1972 तक चलेगा। सूट फाइल करने की गुंजाइश रहती है। पेंडिंग सूट्स के बारे में भी यह लागू होगा। आपने कहा जो तय हो गए उनका क्या होगा ? लीगल राय है कि वह गया केश फाइल कर सकते हैं इसके बाद; ऐसी लॉ विभाग की ओपीनियन है। उनको इस बात का अधिकार होगा कि दुबारा चेंज आफ लॉ आया है तो दुबारा सूट फाइल कर सकते हैं, ऐसी मेरी सबमिशन है।

इसके अलावा और कुछ पाइंट्स रेज की गई टेनेन्ट व सबटेनेन्ट की। टेनेन्ट सब-टेनेन्ट को इन्कलूड करता है।

एक मुद्दा उठाया गया एन्टाइटल्ड टु एडमिट और एन्टाइटल्ड इजेक्ट, यह जो शब्दावली है वह इस स्टेज पर कन्सीडर करने की नहीं है। लॉ में यह जो सेक्शन 183 है उसमें जो प्रोवीजन होता है जो इजेक्ट करने का एन्टाइटल्ड है टेस्पासर्स को उसमें दिक्कत क्या पड़ेगी सेक्सन है उसकी वर्डिंग्स यही हैं. इजेक्टमेंट अगेन्स्ट ट्रेस्पासर। ट्रेस्पासर हैज बीन डिफाइन्ड इन दी लॉ।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : Who is entitled to eject ?

श्री रामकिशोर व्यास : खुद सेक्सन कहता है। ट्रेस्पासर को इजेक्ट करने का सेक्सन है। कुछ तो लॉ बना दिया है एन्टाइटल्ड टु इजेक्ट तो इजेक्ट तो उसके इजेक्शन के खिलाफ सूट फाइल किया जा सके। इसका दायरा सीमित है। वैसे शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब का आदमी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ ला सकता है, यह खाली उन लोगों के लिए है जो नानशिड्यूल्ड कास्ट के हैं जिन्होंने ट्रेस पास किया उनके लिये लागू होता है। तो खाली उन केसेज के लिए जिनमें ट्रेस्पासर्स शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं है, उनके लिए यह है। लॉ यह नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को

(श्री रामकिशोर व्यास)

ट्रांसफर नहीं कर सकता, सबलेट कर सकता है। लॉ है।

(3. 05 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए वह डिफीकल्टी इसमें नहीं आती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यह जो एन्टाइटल्ड टु इजेक्ट है, उससे पर्पज सर्व होता है और यह रेवेन्यू बोर्ड का कहना है······

श्री दुर्गालाल बाढदार : मेरी शंका का समाधान करें, पर्सन एन्टाइटल्ड टु एडमिट ऐसे ही हैं पर्सन एन्टाइटल्ड टु इजेक्ट डिबेटबुल पाइंट रहेगी। इसलिए पर्सन एन्टाइटल्ड टु पजेशन अगर शब्द इस्तेमाल कर देते तो पर्सन एन्टाइटल्ड टु एडमिट न पर्सन एन्टाइटल्ड टु इजेक्ट होता। यह आपके सोचने की बात है कि एन्टाइटल्ड टु पजेशन। यह व्यवस्था क्यों पैदा करते है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बिल्कुल पैदा नहीं करना चाहता। ट्रेसपासर को इजेक्ट करने का अधिकार है। ट्रेसपासर डिफाइन्ड हैं, कोई कठिनाई नहीं आती है। सेक्शन खुद ही कहता है कि ट्रेसपासर को कैसे इजेक्ट किया जाय ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : दावा दायर करने का अधिकार किसको है इसका इन्टरप्रिटेशन फिर होगा। अगर पर्सन एन्टाइटल्ड टु पजेशन रखेंगे तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : इससे ही परपज सर्व होता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप एडेमेन्ट है।

श्री रामकिशोर व्यास : जिद्द नहीं है, मेरी प्ली है, परपज जो एचीव होना चाहिए वह इन्टाइटल्स टु इजेक्ट लिखने से ही होता है क्योंकि सेक्शन खुद कहता है ट्रेसपासर इजेक्ट कैसे हो, उसमें ही ट्रेसपासर डिफाइन्ड है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : फिर पर्सन एन्टाइटल्ड टु इजेक्ट डिफाइन होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : आउट आफ दी हाउस यदि अपनी बात से मुझे कन्विंस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने इस पर काफी विचार किया है। आउट आफ दी हाउस बता दें तो······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आउट आफ दी हाउस अगर आप कन्विंस हो जायेंगे तो फिर अध्यादेश जारी करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : आप जो कहेंगे वह करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढदार : 142 व 144 एन्टाइटल्ड टु पजेशन इजेक्टमेंट और सूट फार पजेशन में फर्क नहीं मानते ? इजेक्टमेंट का फिर चैप्टर आपने दिया है। इसके इन्टरप्रिटेशन और होंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें लिखा है एन्टाइटल्ड टु इजेक्ट। आप कहते हैं एन्टाइटल्ड टु पजेशन।

Page No 85

श्री दुर्गालाल बादशाह : पर्सन एन्टाइटल्ड टु इजेक्ट बोर्ड के कर दिया। पर्सन एन्टाइटल्ड टु इजेक्ट का इन्टरप्रिटेशन होगा। यदि पर्सन एन्टाइटल्ड टु पजेशन लाते हैं तो इन्टरप्रिटेशन का सवाल नहीं, फेज्योलोजी का फर्क है।

श्री रामकिशोर व्यास : इन्टरप्रिटेशन हर लॉ का होता है। उनका जो अधिकार है इन्टरप्रेट करने का उसको हम नहीं ले सकते। लॉ संसद बनाती है, बोर्ड का अधिकार है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह जो इन्टरप्रिटेशन रखा गया है वह लॉ डिपार्टमेंट का रखा गया है।

श्री राम किशोर व्यास : मेरा भी है ला डिपार्टमेंट का भी है।

श्री दुर्गालाल बादशाह : आपने ला डिपार्टमेंट को ओपीनियन दे दी।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने कहा है अमेंडमेंट कर दिया जाय साल भर से जिन्होंने कब्जा कर लिया, इसमें वह पासीबुल भी नहीं है। 183 को अमेंड कर रहे है। दूसरा बिल आ रहा है, उसमें करेंगे। आपने टेनेन्सी बिल के बारे में कहा, आपको खुद मालूम है कि वह एप्रूव हो गया और मैं तैयार हूं लाने को।

श्री नत्थीसिंह : सदन की सिटिंग रखिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी तरफ से कोई एसिसटेन्स नहीं आई कार्य सलाहकार समिति में। हम बैठने को तैयार हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बराबर कहता हूं कि टिनेन्सी लॉ जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आनी चाहिये। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर्स सुन लें मेरी इच्छा है कि जल्दी आ जाय।

श्री नत्थी सिंह : मुख्यमन्त्री सुनते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो अध्यादेश है और जो कठिनाई इन्टरप्रिटेशन की वजह से शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को होगई है। उनकी दिक्कतें हैं, उनको मिटाना जरूरी था, इसलिये अध्यादेश जारी किया और इस विधेयक को लाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। संकल्प पर मतदान।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह जो अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने जारी किया और जिसको अस्वीकार किए जाने के संबंध में, मैंने अपना संकल्प प्रस्तुत किया था, वह संकल्प उस अध्यादेश अथवा विधेयक में जो भावना प्रस्तुत है, उनके विरोध में नहीं था। मैंने अपने भाषण में स्पष्ट किया था कि मैंने जो अध्यादेश को अस्वीकार किये जाने का संकल्प प्रस्तुत किया है, उसकी मूल भावना राज्य सरकार द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से राज्य में कानून बनाने की जो परम्परा चली आ रही है उस पर चोट करना था। मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों ने मेरी भावनाओं का समर्थन किया है और राजस्व मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि अध्यादेशों के माध्यम

Page No 86

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

से कानून बनाने की परम्परा और प्रक्रिया जो राज्य सरकार की रही है, वह उससे स्वयं सहमत नहीं है, परंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी उत्पन्न हुई जिनके कारण अध्यादेश जारी करना पड़ा। मैने उस सम्बन्ध में जो मेरी वैज्ञानिक आपत्तियां प्रावधानों के संबंध में थीं, मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत कीं मुझे खेद इस बात का है कि यदि राजस्व मन्त्री महोदय उन वास्तविक आपत्तियों का उत्तर स्वयं अपने दिमाग के आधार पर देते तो ज्यादा अच्छा होता। राजस्व मंत्री जी आपको लॉं डिपार्टमेंट ने बहुत मिस्गाइड किया है और आपकी भलमानस का नाजायज फायदा उठाया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के संबंध में जिन कमियों की ओर संकल्प के द्वारा संकेत किया गया है उससे इस संकल्प का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। संकल्प तो केवल अध्यादेश जारी करने की जो प्रवृत्ति है सरकार की उसकी ओर संकेत के लिये विरोध में था। विधेयक आये उसके लिये मैंने भी उसका स्वागत किया है। जो विचार व्यक्त किये गये हैं वह केवल अध्यादेश जारी करने के संबंध में हैं। विधेयक सदन में रहे और माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है; अध्यादेश को जारी करने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस संकल्प के द्वारा वह कानून के विरोध में नहीं है किन्तु अध्यादेश के विरोध में है। उस दृष्टि से ही यह संकल्प लाया गया है। अतः इस संकल्प को वापिस लेने की मैं आज्ञा चाहता हूं।

श्री दुर्गालाल बाहदुर (हवा महल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्ततः यह बात स्वीकार की है और माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि अध्यादेश के द्वारा कानून नहीं लाना चाहते हैं, किन्तु उनकी मजबूरियां हैं। उनके साथ मेरी हमदर्दी है।

इतना ही कहूंगा कि वैधानिक विचार धारा जो व्यक्ति की है उसको स्वयं समझते हुए एक भी क्या अमेन्डमेंट नजर आता है? निर्णीत मसलों को भी दुबारा उसी बात पर एजीटेट किया जा सकता है, लॉं डिपार्टमेंट की ऐसी मान्यता है। आप अपनी वकालत के अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि जो मामला एडजुडिकेट होगया वह दुबारा रिओपन किया जा सकता है क्या? दुबारा रिओपन नहीं किया जा सकता है। यह भी आप मानते हैं कि राजस्थान राज्य की ऐसी परम्परा न रही हो, प्रेमिसेज कन्ट्रोल एक्ट में जब जनता को राहत देने का प्रश्न पैदा हुआ तो विधान सभा में कानून यह बनाया गया कि जिनको डिक्रियां दे दी गयीं और वे मसले सैल हो गये तो उनको रिओपन नहीं किया जा सकता है। इतना विचार मानते हुए जो राहत देना चाहते हैं वह नहीं दे पाते हैं।

जब यह आर्डिनेन्स विचार के लिए आवेगा तब उस वक्त तक राजस्व मंत्री महोदय की बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन आवेगा कि जो सुझाव हमने रखे हैं उनपर स्वयं ही विचार कर निर्णय लेने की चेष्टा करेंगे और राज्य सरकार कोई संशोधन लावेगी इसी आशय के साथ मैं अपने संकल्प को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने और श्री दुर्गा-

(श्री उपाध्यक्ष)

लाल जी बाढ़दार ने जो संकल्प प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं संकल्प को वापिस लेता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं संकल्प को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की अनुमति है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में अगला प्रश्न आने से पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दी जाय ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्यों को सूचित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : 4 बजे का समय दे दीजिये।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : 4बजे रख लीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : स्थगन प्रस्तावों का मकसद ही यही होता है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकार होने पर ऐसा होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर तो स्थगन प्रस्तावों का महत्व ही चला जाता है। सदन की कार्यवाही चले उससे पूर्व ही उस पर व्यवस्था देनी होती है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : फिर दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

(1) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा ने कोटा जिले के अन्ता कस्बे में कुछ समय पूर्व एक पुलिस कर्मचारी की अप्रत्यक्ष मदद से एक नवयुवक की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी है।

(2) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने एडवर्ड मिल्स ब्यावर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की श्री सूचना दी है जिसमें अध्यक्ष, राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर जमीन और बावड़ी पर नाजायज कब्जा करने तथा उस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

(4) श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गत जून माह में जोधपुर आने तथा उसकी पूर्व सूचना खुफिया विभाग को मिल जाने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री उपाध्यक्ष)

(5) श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी चित्तौड़गढ़ में गत एक सप्ताह से हड़ताल चलने तथा पुलिस द्वारा मजदूरों को गिरफ्तार कर बाहर जंगल में छोड़ देने आदि की विषम स्थिति होने पर श्रम विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा ने बूंदी जिला स्थित केशोराय सहकारी चीनी मिल ठप्प पड़ी रहने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(7) श्री बालसिंह सोढा व श्री रामचन्द्र आर्य सदस्य विधान सभा ने जैसलमेर जिले के कई गांवों में पेय जल के संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(8) श्री बाल सिंह सोढा व श्री पृथ्वी सिंह ने राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के बीच जैसलमेर स्थित फील्ड फाइरिंग रेन्ज के क्षेत्र के मामले को लेकर चल रहे विवाद के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हैं।

(9) श्री केदारनाथ, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल श्री रामचन्द्र आर्य व श्री दौलतराम सारण सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें 3-11-70 को श्री गंगानगर में रेलवे गेट नम्बर 118 पर गेट मेन श्री रणधीरसिंह द्वारा दरवाजा बन्द करने पर स्थानीय पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा जबरदस्ती जीप गेट के अन्दर ले जाने तथा गेटमैन को गिरफ्तार कर लेने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लेकर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) श्री देवीलाल बुरासिया, सदस्य, विधानसभा ने गत नगरपालिकाओं ने चुनाव में केकड़ी नगर के राज्य कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी निर्वाचन के कार्य में लगा दी थी उन्हें मत के उपयोग का अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) मध्य प्रदेश स्थित रायपुर में जैनाचार्य श्री तुलसी महाराज के साथ हुए अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में श्री लाभचन्द वैद, सदस्य विधान सभा ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसका सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है।

(3) श्री देवीदत्त गाड़िया सदस्य, विधान सभा ने जनसेवा आयोग अजमेर द्वारा वेटरनरी पशु चिकित्सक सर्जन्स की नियुक्तियों के संबंध में किये जा रहे साक्षात्कार के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री बृजवल्लभ बोहरा तथा श्री लाभचन्द वैद, सदस्य, विधान सभा ने कोटा इन्डस्ट्रीज क्षेत्र में फर्टीलाइजर फैक्टरी

(श्री उपाध्यक्ष)

द्वारा दिन में कई बार अमोनिया गैस वायु मंडल में छोड़े जाने तथा डी. सी. एम. द्वारा सोडा कास्टिक का गंदा पानी रायपुर नदी में गिराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इस प्रस्ताव में दो विषयों का समावेश किया गया है।

(5) श्री ओमदत्त भाटी सदस्य विधान सभा ने गांधी अस्पताल, जोधपुर का ड्रेनेज सिस्टम पिछले कई वर्षों से खराब होने व धनाभाव के कारण से ठीक न करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह एक पुराना मामला है।

(6) श्री श्रवणलाल व श्री केदारनाथ सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि सवाई माधोपुर की अधिकतर तहसीलों में भूमि के अलाटमेंट की तारीख विधान सभा के सत्र के दौरान रखी गई है जिससे संबंधित सदस्य एलाटमेंट कमेटी की मीटिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। यह विषय स्थगन प्रस्ताव का नहीं है। फिर भी राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु इस बारे में सूचित किया जावेगा। ऊपर बतलाये गये कारणों के अलावा ये स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देना संभव नहीं होगा।

राज्य सरकार को भेजे गये कुछ स्थगन प्रस्तावों के उत्तर भी प्राप्त हो गये हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है :

(1) श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा ने कोटा के खाद के कारखाने में दिनांक 21 अक्टूबर, 1970 को माल गाड़ी द्वारा नेप्था नामक विस्फोटक द्रव पदार्थ ले जाते हुए इंजिन के साथ डिब्बे उलट जाने से कुछ मजदूरों की मृत्यु हो जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि फैक्ट्री के फाटक के करीब रेल लाइन में ढलान है और उस दिन रेल के ब्रेक फेल होने से इंजिन पटरी खत्म होने पर गिर गया जिससे आग लग गई। पुलिस ने 304 ए० में मुकद्दमा दर्ज कर लिया है और अनुसन्धान जारी है। उच्च रेलवे अधिकारियों की भी जांच हेतु एक कमेटी नियुक्त हो चुकी है।

(2) श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने कोटा में दशहरे के अवसर पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में बताया गया है कि कोटा में मेले में लड़कों द्वारा उधम मचाने, जबरन घुसने व आग लगाने के नारे लगाये जाने व पथराव चालू कर देने से पुलिस अधिकारियों के चोटें आई। सिटी मजिस्ट्रेट, कोटा ने भीड़ को चेतावनी दी और उनके न मानने पर स्थिति को काबू में करने के लिये भीड़ पर 9 गैस सेल व 6 हैण्ड गेरनेट का इस्तेमाल किया किन्तु फिर भी भीड़ ने पुनः पथराव चालू किया इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने हल्का लाठी चार्ज किया और भीड़ पर काबू पा लिया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(3) पश्चिमी बंगाल से राजस्थान में आये विस्थापितों का देवली केम्प में अव्यवस्था के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि राज्य सरकार ने पूरी लगन से इस केन्द्र की देखभाल की है और विस्थापितों के लिये वहां पर व्यवस्था उचित तरीके से की गई है।

(4) श्री नन्दलाल व देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने तहसील किशनगंज जिला कोटा के कई गांवों के व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर में बताया गया है कि दो पार्टियों ने आपस में मारपीट की और बाद में दोनों ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। तफतीश जारी है। चूंकि एक मामले में चालान पेश हो गया है और दूसरे में तफतीश जारी है अतः यह मामला सब-जुडिस है।

(5) श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा ने बून्दी में हायर सैकेण्डरी स्कूल के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के संबन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में कहा गया है कि छात्रों ने जबरदस्ती जिलाधीश के बंगले में घुसने की कोशिश की थी जिसकी वजह से लाठी चार्ज करना पड़ा। अभिभावकों द्वारा माफी मांगने पर जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया है।

(6) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान-सभा ने गंगानगर में पुलिस अधिकारियों की गलत कार्यवाही से रेल कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में कहा गया है कि दिनांक 4-11-70 को दोपहर बाद से हड़ताल समाप्त कर दी गई है और अब वहां पूर्ण शान्ति है।

(7) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधानसभा ने राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में अजमेर डिवीजन में जन संख्या के अनुपात में बहुत ही कम धन खर्च किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में यह बताया गया है कि अजमेर डिवीजन में प्रति व्यक्ति व्यय राज्य के औसत प्रति व्यक्ति व्यय से अधिक है तथा सिंचाई परियोजनाएं उन्हीं स्थानों पर कार्यान्वित की जा सकती है जहां पानी के प्राकृतिक साधन उपलब्ध हों। केवल जिलेवार जनसंख्या के आधार पर व्यय करना संभव नहीं है।

(8) श्री हीराभाई, सदस्य विधान सभा ने बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ क्षेत्र में अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि से खरीफ की फसलों के नष्ट होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में बताया गया है कि गिरदावरी होने पर सही स्थिति का पता लग सकेगा। कुशलगढ़ क्षेत्र में भुखमरी की कोई स्थिति नहीं है। जिला प्रशासन स्थिति पर निगाह रक्खे हुए है और यदि वहां अभाव की स्थिति प्रतीत हुई तो उसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(9) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में विद्यार्थियों और नागरिकों के साथ पुलिस

(श्री उपाध्यक्ष)

द्वारा किये गये दमन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । राज्य सरकार के उत्तर में यह कहा गया है कि जो घटना शाहपुरा में हुई है उसके 4 मुकद्दमें दर्ज किये गये हैं तथा इनमें अनुसन्धान जारी है। पुलिस ने इसमें धैर्य से काम लिया है तथा आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की गई है। इसी विषय में प्रश्न भी प्रस्तुत किये गये हैं।

(10) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा के बारां नगरपालिका के निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो महिलाओं के सहवरण की तिथि को स्थगित कर देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में यह कहा गया है कि बारां में एक वार्ड का चुनाव बाकी है और कानून के अनुसार जब तक सब चुनाव पूरे नहीं हो जायें महिलाओं के सहवरण की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती।

(11) श्री हरिवल्लभ शर्मा, सदस्य विधान सभा ने नगरपालिका सवाई माधोपुर के चुनावों में निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनियमित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर में कहा गया है कि जो आरोप श्री शर्मा द्वारा लगाये गये हैं वे इलेक्शन पीटीशन में भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

उपरोक्त दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना संभव नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था प्रिवी पर्सेज के सम्बन्ध में जिसका फोलो अप एक्शन नहीं हुआ.......

श्री उपाध्यक्ष : उस पर जानकारी चाही जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक स्थगन प्रस्ताव शाहपुरा के सम्बन्ध में था उस पर गवर्नमेन्ट का स्टेटमेन्ट आये तो हमको कुछ कहने का मौका मिले। जिस तरीके से आपने व्यवस्था दी है वह पूर्व परम्पराओं से भिन्न है। इन मसलों पर जो ज्यादा महत्व के हैं गवर्नमेन्ट की तरफ से स्टेटमेन्ट होता है और उस पर माननीय सदस्यों को कहने का अवसर मिलता है। शाहपुरा के मामले में 70 व्यक्तियों पर मामले चल रहे हैं वहां पर बीस दिन तक हड़ताल चली है। गवर्नमेन्ट की गलती है या जनता की गलती है या पुलिस की गलती है सारा मामला सामने आना चाहिये। गवर्नमेन्ट के पांच लाइन के जवाब से सन्तोष नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामलों में जो महत्वपूर्ण हैं गवर्नमेन्ट का वक्तव्य होना चाहिये ताकि उस पर बहस हो सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास जानकारी के लिये भेजे गये हैं। सदन थोड़े समय के लिये बुलाया गया है 9,10,11 14 और 16 को बैठकें होंगी इस तरह से केवल चार दिन ही शेष हैं इसलिये आप राज्य सरकार को निर्देश दें कि जो महत्व पूर्ण मसले उठाये गये हैं इसके लिये निश्चित दिन तय कर दें कि उस दिन तक जवाब आजाना चाहिये। और उस दिन सरकार की ओर से स्टेटमेन्ट हो जाय तो ज्यादा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अच्छा रहेगा। अन्यथा राज्य सरकार से जानकारी आते आते सदन ही समाप्त हो जायगा। राज्य सरकार जानबूझ कर भी जवाब नहीं देगी आपके सद्प्रयत्नों के बावजूद भी जानकारी माननीय सदस्यों को नहीं मिल पायेगी।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने शाहपुरा के सम्बन्ध में, बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी में आज आठ दिन हो गये हड़ताल चलते हुए। वहां पर मजदूरों को पीटा जा रहा है पुलिस ज्यादती कर रही है मजदूरों को ट्रकों में भर भर कर जंगलों में छोड़ा जा रहा है। मजदूरों के बच्चे और औरतें रास्ता रोक कर पड़ी हुई हैं। उनको पीटा जा रहा है, जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकद्दमें बनाये जा रहे हैं। इस तरह की सीमेन्ट फेक्टरी में हड़ताल हो तो सरकार की ओर से यह मानकर चलना चाहिए कि सदन में इस पर वाद विवाद होगा, सदन में यह मसला उठाया जायेगा और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को तुरन्त इसका जवाब देने के लिये तैयार होकर आना चाहिये था। मजदूरों का शोषण राजस्थान में इस प्रकार से किया जा रहा है, मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा है और पूंजीवाद के विरोध का नारा लगाने वाली यह सरकार पूंजीपतियों की समर्थक है, पूंजीपतियों से सांठगांठ करने वाली यह सरकार है, यह सरकार पूंजीपतियों की दलाल है। यह सरकार शाहू जैन की एजेन्ट है। राजस्थान में यह सरकार पूंजीपतियों का संरक्षण कर मजदूरों का शोषण कर रही है, मजदूरों का एक्सप्लाइटेशन कर रही है। मजदूरों पर एक तरफ इतना अत्याचार हो रहा है और यह सरकार इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट देने के लिये भी तैयार नहीं है। उनको सताया जा रहा है, झूठे मुकद्दमें बनाये जा रहे हैं, और इस पर सरकार का लेबर डिपार्टमेंट मौन है। सरकार की इस उदासीनता से मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार की मजदूर विरोधी नीति है और इसकी पूंजीपतियों से सांठगांठ है। बिड़ला, साहू जैन, टाटा की यह सरकार दलाल है और ऊपर से प्रगतिशीलता का नारा देती है किसानों और मजदूरों के हित में। मैं सरकार की इस नीति का विरोध करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे लेबर मिनिस्टर महोदय से इस संबंध में आज एक वक्तव्य दिलावें अन्यथा वह वक्तव्य कल होना चाहिये।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी मध्यप्रदेश में हो रहे अत्याचार के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और राज्य सरकार की तरफ से उस पर एक वक्तव्य होना चाहिये क्योंकि वहां पर राजस्थानी जनता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके सन्तों को सताया जा रहा है। जो अत्याचार वहां पर हो रहा है उससे जैन समुदाय क्षुब्ध है। जिस ढंग से यह सब हिंसक कार्यवाहियां हो रही हैं वे निन्दनीय हैं। महासतियों के ठिकाने पर भीड़ ने दरवाजा तोड़ा और जो हिंसक घटना हुई और पुलिस ने वहां पर पहुंच कर उनको बचाया उससे मैं समझता हूं कि हमारे भाग्य पर जो कलंक लगता वह न लग सका। मैं चाहता हूं कि राजस्थान

(श्री लाभचन्द वैद)

की जनता के ऊपर मध्यप्रदेश में जो यह सब अत्याचार हो रहा है सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य होना चाहिये और इस अत्याचार को रोका जाना चाहिये....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनसंघ के नेतृत्व में ही यह सब हो रहा है।

श्री लाभचन्द वैद : यह गलत बात है। जनसंघ इस प्रकार की तोड़ फोड़ की नीति में विश्वास नहीं करता। यह जनसंघ नहीं है।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। आपके आदेश को मानते हुए मैं इस के बारे में, इसके संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई जानकारी का प्रश्न नहीं उठता है। 3 तारीख को बीकानेर रेल्वे कर्मचारियों की हड़ताल हुई। समस्त बीकानेर में हड़ताल रही। चार तारीख को हड़ताल कॉल-आफ की गई। राज्य सरकार की ओर से हमारे राज्य मंत्री ने इसमें इन्टरवीन किया—यह उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता, वे अपना जवाब देंगे तो मालूम पड़ेगा। राज्य सरकार, सी० एम० की ओर से एक एग्रीमेंट एक्जीक्यूट किया गया। उसकी शर्तें मानी गई और अब उसका इम्पलीमेंटेशन न होने के कारण सारे बीकानेर डिवीजन में प्रदर्शन, जुलूस, तनाव और बैचेनी का एक वातावरण है। इस के बारे में हमारे राज्य मंत्री श्री मनफूलसिंह जी ने यह लिख कर दिया है। घटना यह बताई जाती है कि गेटमैन ने एक सेक्शन बन्द कर दिया और उस जि० के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की जीप उस रेलवे फाटक की ओर आ गई। जीप रेलवे फाटक पर छोड़ दी परन्तु वापिस नहीं की गई। दूसरा सेक्शन भी बंद कर दिया गया और खोला नहीं गया। इस पर उसकी गिरफ्तारी का वारंट कर दिया गया और मुकद्दमा बना दिया गया। एम्पलाईज का डेपूटेशन मिलने गया उससे एस० पी० ने कहा चाहे तुम तीन महीने तक हड़ताल करो मैं डंडे के जोर पर हड़ताल खुलवा दूंगा। इस बात से सारे शहर में हड़ताल हुई और बीकानेर डिवीजन में जो हड़ताल हुई उसके सम्बन्ध में हमारे राज्य मंत्रीजी लिखते हैं:—

"Chief Minister of Rajasthan has assured me on telephone that S.P. & A.S.P. will be transferred immediately and enquiry will be held by an I.A.S. officer and cases will be withdrawn registered against Randhir Singh, Gateman."

अंग्रेजी में दस्तखत हैं। जब अंग्रेजी में दस्तखत हैं तो वे इसको भी समझते होंगे। इस फैसले के बाद का यह वाकया है। कोई केस वापिस नहीं हुआ, जांच के आर्डर नहीं हुए होम मिनिस्टर से पूछते हैं तो कहते हैं हमें पता नहीं है। आई. जी. भी कहते हैं हमें पता नहीं। राज्य सरकार की ओर से यह एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। अब इसकी जानकारी की जरूरत नहीं है। इसमें राज्य मंत्री ने इन्टरवीन किया है और इससे केन्द्रीय सरकार के लाखों रुपयों का नुक्सान हो गया है, हमारे पेसेन्जर को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं, 18 घंटे तक रेलों का आवागमन ठप्प रहा। इस पर राज्य सरकार की ओर

(श्री केदारनाथ)

से जो आश्वासन दिया गया है उसकी पूर्ति नहीं की गई है। इसलिए यह जांच सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सौंप देनी चाहिये। इसकी एक आई. ए. एस. ऑफिसर क्या जांच करेगा? मैं समझता हूं कि गेटमेन पर 342, 326 पर जो केस दर्ज किया गया है वह ड्यूटी डिसचार्ज करने में दखल करने का है। यह केस किया गया। अभी तक केस को विथड्रा नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की ओर से कोई हां या ना कही जाती है तो उसको पूरा किया जाना चाहिये। एस. पी. साहब कहते हैं मैं तो यहीं पर रहूंगा मेरा कोई तबादला करने वाला नहीं है। जिन हालातों में यह स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उनमें लाजिमी तौर पर राज्य सरकार के राज्य मंत्री का एग्रीमेंट किया हुआ है और उसको इम्पलीमेंटेशन न होने के कारण उसके खिलाफ में यह सारा वातावरण पैदा हुआ है। रेल्वे एम्पलॉईज यूनियन ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पारित किया है:

"This Co-ordinating Committee meeting strongly condemn the criminal offence of Shri Balwant Singh, Superintendent of Police, Sriganganagar, in forcibly compelling Shri Randhirsingh Pointsman to open the railway level crossing gate to road traffic, while the train No. 2-BSB Passenger was to arrive from Prithvirajpur to Sri Ganganagar on 3.11-70 in disregard to the safety of the running of trains and the rules made thereof and causing his unwarranted and uncalled for arrest by Shri Khanna, Assistant Superintendent of Police and the brutal manhandling of Shri Randhir Singh at Police Station after Shri Randhir Singh expressed his inability to oblige the Superintendent of Police to open the gate in obedience of the rules of his duties."

"This Committee appreciates the spirit of the Chief Minister of Rajasthan in accepting to the justified demands of the Railway employees that:—

(i) S.P. and A.S.P. Sri Ganganagar will be transferred immediately.

(ii) Enquiry will be held by an I.A.S officer.

(iii) The case registered against Randhirsingh Gateman will be withdrawn."

On telephone to Shri Manphool Singh, State Minister of Irrigation who communicated the same to the representatives of the Railway employees in writing and dema-

(श्री केदारनाथ)

nds for an immediate implementation of the said commitments without any reservations."

"This Committee takes a serious view of the undesirable delay in complying with the said commitments of the Chief Minister of Rajasthan to the representatives of the employees and public and warns the concerned Government authorities that failing immediate implementation thereof shall lead the committee to launch an all round agitation and resolves to undertake all sacrifices for this purpose and in that case the Government shall only be solely responsible for the grave consequences."

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आज 11 बजे से पहले आये हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार इनके बारे में, जिनके बारे में सरकार चाहे, कल तक जानकारी उपलब्ध करा दे···

(हियर, हियर की ध्वनि)

ताकि इस पर वक्तव्य दिलवाया जाना आवश्यक हो तो परसों, नहीं तो 14 व 16 को दिलाया जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कई मामले सार्वजनिक महत्व के हैं उन पर भी स्टेटमेंट सरकार के आने चाहिये। सरकार को शासन करने का अधिकार है तो अपोजीशन मेम्बर को भी सरकार को सावधान करने का अधिकार है। हम पब्लिक की तरफ से रिप्रेजेन्टेटिव हैं तो हम सार्वजनिक महत्व के मसलों पर स्पष्टीकरण चाहेंगे, जैसे शाहपुरा और भीलवाड़ा की घटनाएं हैं। तो इन पर भी सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जिस स्थगन प्रस्तावों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई और जिनके बारे में मैंने व्यवस्था दी है और जिनमें सूचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं उन पर मैं पुनर्विचार कर लूंगा, देख लूंगा और जिसमें आवश्यक होगा उनमें राजस्थान सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था की जावेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर की घटनाओं के बारे में चार तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया गया। उसकी रिपोर्ट सरकार की तरफ से आई है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार इन घटनाओं को रोकना नहीं चाहती। वह तो गंगानगर को तबाह करना चाहती है।

यह एस. पी. क्या है? यह बड़ा जुल्मी एस. पी. है। सारे दिन शराब के नशे में रहता है और इसने सारे गंगानगर के वातावरण को बिगाड़ रखा है। अभी पिछले दिनों एक सिनेमा में जाकर इसने झगड़ा किया। सीट न मिलने के कारण सिनेमा वालों का चालान करवा दिया।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नई नई घटना इसने रेलवे के गैटमेन के साथ की। पुलिस चैरिटी फण्ड के लिये चार पांच लाख रुपया तस्करियों से, ब्लैक करने वालों से, चोर गुण्डों से, जो समाज के दुश्मन हैं उनसे इकट्ठा किया है।

मैं नहीं समझता कि मुख्य मन्त्री क्या चाहते हैं। क्या वे इस तरह के अफसर वहां भेजकर इस गंगानगर जिले को बरबाद कर देना चाहते हैं? मनफूलसिंह जी ने, सरकार के एक मिनिस्टर ने, जब राइटिंग में एक स्टेटमेंट दिया कि इसका तबादला कर देंगे। फिर क्या रिपोर्ट बाकी रह गई है?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया इस पर।

श्री रामचन्द्र आर्य : लाखों रुपया इस तरह से इस आदमी ने इकट्ठा किया है। इस तरह की घटनाएं आये दिन होती हैं। आमने सामने गोलियां चलती हैं। पर पुलिस उनको नहीं रोक पाती। आज इस मामले में पुलिस बिलकुल निकम्मी हो चुकी है। एस. पी. के कारण प्रशासन को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यह चौबीसों घन्टे शराब पिये रहता है। उस गैटमेन की तारीफ़ करने के बजाय उसे गिरफ्तार करना और पीटना कहां का न्याय है?

नेहरू जी ने भी दौरा किया था और जब वे रेलवे क्रासिंग पार करना चाहते थे पर गाड़ी आने की सूचना पर गैटमेन ने जब फाटक बन्द कर दिया, खोला नहीं कितना ही कहने सुनने पर। तो इस पर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसकी कर्त्तव्य-परायणता की तारीफ करते हुए उल्टा उसे 500) रुपये का पुरस्कार दिया गया था।

एस. पी. भी जिले का मालिक कहलाता है। जिम्मेदार आदमी होता है। पर इसने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ थाने में मारपीट की गई। उसकी बेइज्जती की गई।

इस प्रकार के कारनामे इस एस. पी. के हैं। इसको तो फौरन निलम्बित किया जाना चाहिये। तबादला करना कोई एक्शन नहीं होता। पूरी तरह से एन्क्वायरी होनी चाहिये और जितने भी आज तक इसने जुर्म किये हैं उन सबके लिये उसके खिलाफ केस दर्ज होने चाहिये और गंगानगर की इन सारी घटनाओं की जांच के लिये एक कमीशन नियुक्त करना चाहिये। गंगानगर की हालत आज बहुत बिगड़ी हुई है। अराजकता चरम सीमा तक फैली हुई है। वहां अभी एक इलाके में 27 तारीख को गोली चली।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहां की हालत बहुत खराब है।

यदि राज्य सरकार इस तरफ समय रहते ध्यान नहीं देगी तो बंगाल जैसी स्थिति वहां पैदा होने वाली है। इसलिये मैं कह देना चाहता हूं कि आप इस स्थिति को कड़ाई से, ईमानदारी और सच्चाई से रोकें। हम नहीं चाहते कि वहां खून-खराबा हो। लोगों की जान माल का नुक्सान हो।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पर इस राजस्थान सरकार के मुख्यमन्त्री मोहनलाल जी सुखाड़िया यहां बैठकर आज भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व करते हैं। उनको संरक्षण देते हैं। उनके भरोसे पर अपनी कुर्सी बनाये रखना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक दम गलत।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं बिलकुल सही कह रहा हूं। वे भ्रष्टाचारियों के देवता हैं। इसलिये इस गंगानगर जिले में इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं थे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आसन ग्रहण करें। आसन अपने पैरों पर खड़ा है।

श्री विजयसिंह : सही बात बड़ी कड़वी लगती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार का स्टेटमेंट होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि जानकारी प्राप्त कर ली जावेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक राज्य मन्त्री के हाथ से लिखा हुआ पत्र मैं मेज पर रख देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह लिखा हुआ आप कहते हैं, मन्त्री महोदय नहीं कहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसे मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं ऐसा न हो कि उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जावे। सुखाड़िया जो आप मान कर चलें कि बुरे कामों के नतीजे बुरे ही होंगे। चूंकि वह शराबी है, जुल्मी है तो उसके कारनामे भी वैसे ही होंगे। उनका परिणाम आप सबको भोगना होगा।

(शोरगुल, अश्रव्य)

मैं इसको सदन की मेज पर रख रहा हूं।

लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि कहीं इसको गायब न कर दिया जावे। इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। उस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनता ने कार्यवाही की है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह से दूसरों के बीच में डिसटर्ब न करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनके खिलाफ जनता ने कार्यवाही की है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : भूमि एलॉटमेंट के सम्बन्ध में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। मेरा इस बारे में इतना ही निवेदन है कि 14 तारीख भूमि वितरण की सरकार ने आखिरी तौर पर नियत की हैं। पर चूंकि इस तारीख तक सदन की कार्यवाही चलेगी और इस कारण हम लोग यहां लगे रहेंगे इस तारीख को थोड़ा आगे बढ़ाया जावे ताकि हम लोग इसमें पूरी तरह से भाग ले सकें और गरीब जनजाति और अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगों को भूमि मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है। आसन ने व्यवस्था वैसे दे दी है कि ऐसे अवसरों पर इस तरह की तारीखें नियत नहीं की जानी चाहिए। यह कह दिया है।

श्री श्रवणलाल : आपकी आज्ञा मानता हूं। पर सवाल यह है कि जब जब असेम्बली का सेशन होता है तब तब उन्हीं तारीखों में इन कमेटियों की तारीखें सरकार मुकर्रर करती है, जानबूझ कर करती है, ऐसा लगता है। इस कारण इस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं।

जैसे मैं निवेदन करूं कि सवाई माधोपुर के लिए भूमि एलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग की तारीखों में 14 तारीख का प्रोग्राम है। जब तक यह तारीख नहीं बदलेंगे तब तक विधायक पूरी तरह से इनमें भाग नहीं ले पावेंगे, और जब तक ये तारीखें हैं तब तक एलॉटमेंट वे करते जावेंगे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह सदन का सत्र चलता है तब तक इसकी तारीखें आगे बढ़ा दी जावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजस्व मन्त्री जी।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा): आज नौ तारीख हो गई। 14 तारीख भी बड़ी मुश्किल से बढ़ाई थी। विधायक यहां मौजूद हैं सभी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के। गांवों में आम तौर से यह होता है कि इनका अगर कोई पक्षकार नहीं हो तो लोग उनको जमीन अलॉट नहीं होने देते। कभी चरागाह बताकर कभी कुछ और बहाना करके वे जमीन नहीं मिलने देते। पर अगर समय पर विधान सभा के सदस्य वहां पहुंच जावें तो थोड़ा बहुत लाभ उनको हो सकता है। उनको जमीन मिल सकती है। तो चार-पांच दिनों में उनको भूमि मिलने वाली है। और इन दिनों में हम लोग वहां पहुंच नहीं सकते तो मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि तारीख 14 का जो कार्यक्रम रखा है वह आगे सरका दें थोड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण है, पर अलग से है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पर सरकार जो भूमिहीनों को जमीन देना चाहती है वह मंशा सरकार की पूरी नहीं हो पावेगी, अगर तारीख आगे नहीं बढ़ाई तो।

श्री गंगाराम चौधरी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान...

श्री उपाध्यक्ष : मैं पूछ रहा था कि जो आपत्ति उठाई गई है श्री श्रवणलाल जी ने उसके सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री गंगाराम चौधरी : धारा 101 जो अलॉटमेंट से सम्बन्धित है इस कानून की उस पर जल्दी ही विचार होने को है, तो जब उस पर विचार हो तो इस सम्बन्ध में भी विस्तृत चर्चा हो जावेगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह विस्तृत चर्चा का विषय नहीं हैं। इस सदन में सरकार ने यह आश्वासन दिया है आसन के मार्फत के ऐसे समय में जब कि सदन चलता हो कोई इस तरह की मीटिंगें नहीं रखी जावेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह चाहते थे कि 14 तारीख आखिरी मियाद है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राईब्स के लोगों को भूमि एलॉटमेंट का तय करना है। पर चूंकि असेम्बली का सेशन चल रहा है तो इस तारीख को थोड़े आगे बढ़ा दिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री): इसका जवाब तो आफ हैण्ड अभी क्या दिया जा सकता है। राज्य सरकार के तय करने का यह प्रश्न है इसलिए अभी तो कुछ नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना को मंत्री महोदय ने समझ लिया है। यह राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लेने पर निर्भर है। जहां तक इस तरह की मीटिंगों के समय का प्रश्न है आसन की तरफ से कहा गया है कि यथा-सम्भव इस तरह की मीटिंगें ऐसे समय नहीं की जानी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि इस सदन में पहले भी यह प्रश्न आया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे सभी सम्बन्धित अधिकारियों को परिपत्र भेज रहे हैं कि जिन दिनों असेम्बली की बैठकें हों उन दिनों सदन के सदस्यों की सहूलियत के लिये भूमि एलॉटमेंट कमेटियों की बैठकें न रखी जावें। पहले भी यह प्रश्न आया था और सरकार ने आश्वासन दिया था।

प्रश्न मोटा यह है कि विधान सभा की बैठक चल रही है और एलॉटमेंट कमेटीज की मीटिंग हो रही है····

श्री उपाध्यक्ष : आप समझे नहीं पूरा। 14-11-70 को मियाद समाप्त हो रही है···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर मुख्य प्रश्न यह है अगर सत्र नहीं होता तो सदस्य बैठकों में भाग लेते। अब चूंकि बैठक चल रही है और माननीय सदस्य मीटिंग में भाग ले नहीं सकते और चूंकि 14 तारीख राज्य सरकार ने अन्तिम तिथि तय की है इसलिये कमेटी की बैठकें पोस्टपोन की जायं ताकि एलॉटमेंट में भाग ले सकें।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई है उससे एक हद तक मेरी सहानुभूति है। सरकार को भी इस सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये और निर्णय लेना चाहिये। यह सम्बन्धित विषय है और अगर आखिरी तारीख 14 नवम्बर है तो मियाद बढ़ाने में सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिये। मैं समझता हूं सरकार को अभी इस सम्बन्ध में विचार करके कोई न कोई आश्वासन सदन को दिलाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल दे दीजिये।

(विराम)

श्री लक्ष्मण सिंह : समस्त राजस्थान का प्रश्न है। मैं पुनः आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार को यह पूर्ण अधिकार है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दें लेकिन मेरे ख्याल से सहिष्णुता के नाते, निष्पक्षता के नाते, और न्याय के नाते सरकार को कुछ न कुछ रीति-निति को स्पष्ट करनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : जो आपने फरमाया उस पर विचार कर लेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कल मीटिंग है, परसों मीटिंग है। आज शाम तक कर देंगे, शाम को उत्तर मिलना चाहिये। बाद में आप क्या बतायेंगे ?

श्री श्रवणलाल : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा उस आश्वासन के द्वारा यह माना जाय कि जो एलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग है कल और परसों और आपने डिसिजन परसों लिया तो दो दिन जो एलॉटमेंट कमेटी मीट करेगी और जो जमीन एलॉटमेंट करेगी उसको इनवेलिड समझा जाय या वेलिड समझा जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : एलॉटमेंट की तारीख बढ़ाई थी वह इसी ख्याल से बढ़ाई थी कि काफी तादाद में एलॉटमेंट हो रहे हैं और जिनका पजेशन रह गया है उनको पजेशन दिया जाय। अब असेम्बली सैशन आ गया है। आपका यह फरमाना भी ठीक है। उसमें मयाद बढ़ाई जाय मेरे ख्याल से उसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। यह फिर केबिनेट की बात है, इतनी बात मैं कह सकता हूं जो रूल्स हैं उसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स की प्रायोरिटि है। पहले नम्बर की प्रॉयोरिटि में सोल्जर्स आते हैं और फिर इसके बाद नम्बर पर हर हालत में ये आ ही जाते हैं। उनका कोई हक नहीं छीना जा रहा है फिर भी आपने बात कही, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (माननीय श्री डूंगाराम राजोरिया के खड़े होने पर)

इस पर अब ज्यादा चर्चा नहीं होगी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : परन्तु हाऊस तो केबिनेट से सुप्रीम है, केबिनेट हाऊस से सुप्रीम नहीं है। केबिनेट से ज्यादा यह हाऊस ...

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये अलग प्रस्ताव लाना होगा, और जब प्रस्ताव पारित होगा तब होगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चर्चा समाप्त हो गई। आपकी भावनाओं को जान लिया गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन भावनाओं का आदर नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसकी मियाद बढ़ाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। चर्चा का विषय नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जैसा राजस्व मंत्रीजी ने कहा मियाद निकलने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी ...

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पहले भी छूट दे रखी है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य। (माननीय सदस्य के बोलते रहने पर)

(श्री उपाध्यक्ष)

ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आपकी बात समझ गये हैं। आसन ने व्यवस्था दे दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के इधर के लोग ही विरोध प्रकट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ भी तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के सदस्य हैं वे तो कुछ कह नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय ने बिल्कुल...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह तो आपको मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी काफी समय मिलेगा। गरीब आत्माओं से आपको दुहाई मिलेगी। मैं जहां तक समझता हूं पूरा नवम्बर का माह बढ़ा दिया जाय। इसका आप शाम तक डिसीजन ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप सुन लीजिये। आपने बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी है। मंत्री महोदय बात समझ गये। मैंने आपकी तरफ से और निवेदन कर दिया है और मंत्री महोदय ने भी यह कहा हैं कि विचार करेंगे और आप अब यह चाहते हैं कि मंत्री महोदय अकेले मियाद बढ़ादें, उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी है। यह पर्याप्त है। इसे किसी और अवसर पर उठा सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : टाइम निकल जावेगा तो बाद में क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं निकलेगा टाइम। मंत्री महोदय।

राजस्थान टेनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर विचार

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टेनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

एक माननीय सदस्य: ये तो बोल चुके हैं पहले।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार बातों की ओर राजस्व मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो बात यह है कि बार बार संशोधन लाने के बजाय सदन का समय बढ़ाकर राजस्थान टेनेन्सी बिल पर जो सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है उसे पारित करवाये। आप जानते हैं कि सारे देश में हरित क्रांति हों और रक्त क्रांति नहीं आये तो उस हालत में आप कैसे चाहते हैं कि बार बार संशोधन लाये जायं ? सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है तो उस रिपोर्ट के आधार पर नया टेनेन्सी एक्ट ले आयें और कुछ समय बढाकर 17 नवम्बर या 18 नवम्बर तक सेशन कर दें। उसके आगे मियाद बढ़ा दीजिये और उसी तरह का बिल पारित कीजिये। मैं समझता हूं तब तो काश्तकार को राहत मिलेगी अन्यथा काश्तकार को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। दूसरा

(श्री मूलचन्द डागा)

आपका सीलिंग कानून का क्या हुआ? सीलिंग कानून के बाबत (माननीय सदस्य के व्यवधान डालने पर) जो अभी माननीय सदस्य खड़े हुये बाधा डालने उसमें ...

श्री विजयसिंह (मकराना) : हरित क्रान्ति हो गई है। सब हरे ही हरे हो गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अब तो कांग्रेस का टाइम आने वाला है....

श्री रामचन्द्र आर्य : अब तो हरित क्रान्ति नहीं मरित क्रान्ति आने वाली है।

श्री मूलचन्द डागा : .... आप सदन के माननीय सदस्यों को समझते हैं,...और सीलिंग कानून के बाबत यह है। आप बतायें कि आज तक आपने कितनी जमीन निनको एलॉट कर दी ? आपने जागीरदारों से, एक्स जागीरदारों से और बड़े लोगों से जमीन ले ली और किनको एलॉट कर दी, यह सवाल रखा जाता है। मैं समझता हूं कि आज तक आपने कोई जमीन सीलिंग के अन्तर्गत लेकर भूमि का आंवटन नहीं किया और हम बार बार कहते हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, राजस्व मंत्रीजी कहते हैं कि राजस्थान में हम भूमि सुधारों के कानून में परिवर्तन लाये हैं"

श्री रामचन्द्र आर्य : कौन कहता है कि भूमि का आंवटन नहीं करते, करते हैं। हनुमानगढ़ में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को श्री मनफूल सिंह जी ने दो मुरब्बा दिया है। वह भूमिहीन है, उसको दी है। कौन कहता है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन कर रहे हैं उनको जो उनके चचा हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और इनके दलाल हैं उनको कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने बार बार कहा है कि एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनेशन बदल दी और आप चाहते हैं कि राजस्थान के वह लोग भी काश्त करें जो कि शहरों में अपनी दुकानदारी चलाते हैं या नम्बर दो का पैसा जिनके पास है या फिर सरकार में नौकरी करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग खेती करते हैं उनको ही भूमि का आवंटन किया जाये और जमीन उनसे छीन ली जाये जिनका कि धंधा काश्त का नहीं है। तो इसके लिए भी आप कदम उठायें। आपने कई बार अमेन्डमेन्ट्स इश्यू किये, आर्डर्स इश्यू किये कि हम रेगुलेराइज करते हैं। मैं नहीं समझ सका कि 1958 के बाद आप विनियमित करने के लिए कानून निकालते हैं। आप बतायें कि कितनी जमीन अब तक विनियमित हो चुकी है ? आपने कितने काश्तकारों की जमीन को विनियमित किया है ? मैं समझता हूं कि सारे तहसीलदार, एस० डी० ओ० और कलेक्टर एक भी बता दें कि आपने किसी कलेक्टर को सस्पेण्ड किया हो, किसी एस.डी.ओ. को सस्पेण्ड किया है या कितने तहसीलदार और पटवारियों को आपने नौकरी से अलग किया है ? ....

श्री विजयसिंह : सस्पेण्ड तो कर देते हैं लेकिन आप करने नहीं देते हैं, सिफारिश कर देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पुराने जागीरदार लोग हैं वह इस प्रकार के कानूनों की पालना नहीं होने देते हैं। वह सरकारी मशीनरी को पुराने राजा-महाराजा के समय के जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं जिनके दिमाग में नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)

आया कि देश को आगे बढ़ाना हैं-उनको जल्दी से नौकरी से मुक्त किया जाये।

श्री विजयसिंह : आपका मतलब गिरधारी लाल जी से है क्या ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं नौकरी नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह नौकरी नहीं करते सेवा करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने ऑर्डर यह निकाला कि हम सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठायेंगे..............

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषय पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा कहना यही था कि जो टेनेन्सी एक्ट है उसको आप पूरा ही क्यों नहीं एमेन्ड करते हैं ? यह पीसमील में एमेन्डमेन्ट्स क्यों लाते हैं ? सारा नया टेनेन्सी बिल आपको लाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लाभचन्द वैद।

(अनुपस्थित)

श्री रूपसिंह

श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डमेन्ट यहां पर सेक्शन 181 की बाबत पेश किया गया है उसके बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर की बहस सुनी और उनके सुनने के बाद मैं सेटिस्फाई हो गया हूं और इसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्द जी डागा आपने प्रस्ताव तो प्रस्तुत किया नहीं इसलिए इसको प्रस्तुत माना जाये क्या ?

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा भी इस पर जनमत जानने के लिए प्रस्ताव है, मुझे बोलने की आज्ञा दी जाय। मैंने यह प्रस्ताव आज ही भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना था कि यह टेनेन्सी में जो एमेन्डमेन्ट बिल पेश कर रहे हैं मैं इसलिए यह चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय कि एक पूरा बिल एमेन्डमेन्ट के लिए दरअसल आना चाहिए जिसके लिए आपकी गवर्नमेन्ट भी कमिटेड है और आपकी पार्टी भी कमिटेड है...........

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो आ रहा है नया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको तो कई वर्षों से कहा जा रहा है और जो सामने है या प्रवर समिति में भी वह मैं समझता हूं कि जो आपका डिक्लेरेशन है वह उसमें नहीं है। मसलन, मैं निवेदन करूं कि जो आपकी पार्टी है कांग्रेस उसने ही अपने डिस्कशन में अभी यह घोषणा की कि 1970 के अंत तक तमाम इन्टरमीजियरीज को खत्म कर दिया जायेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टेनेन्सी एक्ट को आप फुल बनायें। एमेन्डिंग बिल जो लाये हैं आप तो कामा, फुलस्टाप, एक धारा या शब्दों के लिए आप लाते हैं...

श्री रामकिशोर व्यास : इतना अर्ज कर दूं आपके बोलने के दौरान में कि टैनेन्सी बिल गवर्नमेन्ट ले आई, सदन में आ गया, सलेक्ट कमेटी ने एप्रूव कर दिया और अब डिसक्शन में चाहे जब भी आ जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि सदन के सामने लाने में मजबूरी किसको है? विरोधी पक्ष को तो है नहीं, विरोधी पक्ष तो चाहता है कि आये। आप भी चाहते हैं, तो फिर कौन नहीं चाह रहा है? किसलिए सदन के सामने नहीं आ रहा है? अगर मुख्य मंत्री जी की मन्शा नहीं है तो आप साफ-साफ कहें। उनकी भी मन्शा है लाने की तो फिर सदन में उसको लाने से कौन रोक रहा है? हम समझते हैं कि गवर्नमेन्ट खुद नहीं लाना चाहती है। अभी तो असेम्बली सेशन में है और नवम्बर के महीने में आप सेशन चलायें और उसको पास करायें। आप स्पष्ट कहें और आप यह कहें कि सब ठीक है और लाना भी चाह रहे हैं और फिर लाते भी नहीं हैं यह क्या बात है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो निर्णय आपकी पार्टी ने नेशनल लेवल पर लिया है, यह बिल जो प्रवर समिति के सुपुर्द है वह बिल उसके बहुत पहले का है और वह बिल प्रवर समिति में उन मान्यताओं के साथ नहीं है जिनके अनुसार आल इन्डिया लेवल पर पॉलिसी बनाई गयी है, निर्देशन दिया गया है और कांग्रेस पार्टी और गवर्नमेन्ट कमिटेड है...

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो सदन में परिवर्तन हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न मैं डिबेट के रूप में नहीं कहता कि राजस्थान के भूमि सुधारों के संबंध में गवर्नमेन्ट क्या दृष्टिकोण लेना चाहती है जो कि ऑल इण्डिया लेवल पर आपकी पार्टी ने घोषणा की कि 1970 के अन्त तक आप ऐसा कानून बना देंगे जिसमें कोई इन्टरमीजियेरीज नहीं रहेगा। अभी तक गवर्नमेन्ट की तरफ से जो स्टेण्ड लिया जाता रहा है वह यह है कि दरअसल हमने इन्टरमीजियेरीज को खत्म करने के कानून पहले ही बना दिये हैं और अब राजस्थान में कोई इन्टरमीजियेरीज नहीं हैं। मेरा यह निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह मान्यता सही नहीं है। नम्बर एक, अभी भी आपके कहने के अनुसार भी जो आपने एस्टेट ऑनर्स के लैण्ड एक्वीजीशन का एक्ट बनाया था जो भूतपूर्व राजाओं की लैण्ड से संबंधित था वह हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। और आपने शायद उसकी अपील की है। इन एनी केस अभी तक वे तमाम जमीनें उनकी हैं। उन पर न टेनेन्सी लॉ लागू हुआ, न लैण्ड रेवेन्यू एक्ट लागू हुआ, सामान्य कानून कोई भी लागू नहीं हुआ। उनके तहत कोई टेनेन्ट दफा 15 का खातेदार नहीं बना, उनके तहत कोई सीलिंग लागू नहीं हुआ, उनके तहत जमीनें बेचने की जो रेस्ट्रिक्शन्स थीं वे किसी किस्म की लागू नहीं हुईं, आज भी उन जमीनों का हस्तान्तरण किया जा रहा है, उनके टेनेन्ट्स को कोई सुरक्षा नहीं है, बेदखलियां की जा रही हैं, उनसे चाहे जितना लगान वसूल किया जा रहा है। इस रूप में वह जमीन कितनी मात्रा में है उसको माननीय मंत्रीजी बताएंगे। पहले भी हमने जानने की कोशिश की है। हमारी जानकारी के अनुसार वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जमीन कम से कम 1 लाख एकड़ सारे राजस्थान के अन्दर है जो छोटी मात्रा में नहीं है।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि जागीर एबोलिशन हो गया और जागीरदार के रूप में जागीरदार नहीं है उनकी जागीरें चली गई हैं। बिस्वेदारी और जमींदारी का एबॉलिशन हो गया है और वह इस रूप में नहीं है, लेकिन खातेदार दफा 15 के तहत बनाये थे तो उस खातेदारी के तहत या खुदकाश्त के नाम पर जो पुराने जागीरदार थे उनके पास खुदकाश्त के तहत जो जमीनें हैं तो उनमें सबलेटिंग के प्रोविजन के तहत बहुत से लोग सबटेनेन्ट के रूप में उन खातेदार टेनेन्ट्स के बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान में हैं। मेरा अनुमान है कि कम से कम इन सबटेनेन्ट्स कि तादाद 20 पर्सेन्ट हैं। तो राजस्थान में ग्रेव सिचुएशन में ये 20 पर्सेन्ट अभी तक इन्टरमीजियेरीज से दबे हुए हैं। जागीरदार 20 पर्सेन्ट के ऊपर लैण्डऑनर्स के रूप में, खातेदार टेनेन्ट चाहे आज नाम हो, चाहे उनका जागीरदार नाम नहीं हो, बिस्वेदार उनका नाम नहीं हो, लेकिन ये इन्टरमीजियेरीज के रूप में वे लोग हैं, और जो एक्चुअली काश्त करने वाले हैं उनको कानूनी राइट्स नहीं हैं बावजूद आपके टेनेन्सि एक्ट के। टेनेन्सी एक्ट में आपने सबलेटिंग करने का अधिकार दिया हुआ है। पांच साल तक के लिए सबलेटिंग करने का अधिकार है। किसी ने 6 साल के लिए सबलेटिंग कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा आपका मौजूदा कानून यह कहता है....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में हो, लेकिन मैं ब्रॉड आस्पेक्ट जो टेनेन्सी से ताल्लुक रखता है गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता हूं कि टेनेन्सी का फुल कानून बनाने कि आवश्यकता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से जब संकल्प का विरोध किया था और बात कहीं थी वही का वही बातें रिपीट कर रहे हैं। सदन में क्या और कोई बोलने वाला नहीं है ? प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव है उस पर बोलना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपका प्रस्ताव सामने नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह भी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने दिया है प्रस्ताव।

श्री उपाध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में पहले ही अवसर दे दिया आपको। संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिजोल्यूशन दिया है। उसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय को है। उन्होंने मुझ से कहा है। आज दिया है। वह टाइम कम हुआ हो लेकिन उनके आधार पर टाइम कम नहीं होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में आपने कहा कि लोगों के खातेदारी अधिकार ले लिये जायं लेकिन कितने अस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तक किस जमीन पर काश्त करने के आधार पर, ऐसा प्रोवीजन नहीं है। इसलिए इन्टरमीजियेरीज को खत्म करने के लिए जो 1970 तक आप कमिटेड हैं उसके लिए आपके इस एक्ट, इस बिल में, कोई प्रावधान नहीं है। यह सेशन 16-17 को खत्म हो रहा है और इस साल के अन्दर दुबारा सेशन बुलाने की सम्भावना नहीं है तो 70 के एण्ड तक इन्टरमीजियेरीज को खत्म करने का प्रावधान टेनेन्सी लॉज में कैसे कर देंगे? आपकी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? यह मैं जानना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि आप कमिटेड हैं उसके मुताबिक आपको कानून लाना चाहिए।

तीसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो शेयर ब्रोकर्स या सब टेनेन्ट्स हैं उनकी सुरक्षा का सवाल...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इस बिल के दायरे का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टेनेन्सी से इसका कनेक्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : टेनेन्सी से कनेक्टेड सब चीजें नहीं आयेंगी। जो एमेंडमेंट में है उस पर बोलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनरल पोजीशन टेनेन्सी से सम्बन्धित लॉज की है वह आती है। यह परम्परा भी रही है।

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा जबरन बना दी है वैसे कोई नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर बना दी है तो जो अच्छी है उनको रखें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि आप बोल लें, लेकिन संक्षेप में कह दें। ज्यादा समय लेने से कोई फायदा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस बारे में बताये कि आपको 1970 तक इन्टरमीजियेरीज की स्टेज को खत्म करना चाहते हैं या नहीं? अगर करना चाहते हैं तो कानून में उसको समावेश नहीं है। क्या आप दुबारा बुलाना चाहते हैं अधिवेशन या आर्डिनेन्स के जरिये करना चाहते है या करना ही नहीं चाहते?

दूसरी बात, इसी तरीके से संरक्षण का सवाल है। सब-टेनेन्ट्स, शयरब्रोकर्स का मौजूदा कानून में संरक्षण नहीं है उसके बाबत भी सोच रहे हैं या नहीं? दूसरा बेदखली का भी चल रहा है उसकी रुकावट के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन खुद चिंतित है और आपको आदेश भी दिये गये हैं। इस प्रकार की एक कमेटी ने भी रिकमन्डेशन भी की है कि बहुत लूपहोल्स हैं। उनकी सिक्योरिटी ऑफ टैन्योर के बारे में आप कुछ करने जा रहे हैं या नहीं जो कि इस टैनेन्सी बिल में होना चाहिए।

दूसरा, सीलिंग को लोअर करने के बारे में चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेन्स बुलाई गई थी। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया। बाद में ए०आई०सी०सी० ने यानी वर्किंग कमेटी ने आपको यह कहा है कि 20-25 एकड़ का सीलिंग होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स के विरोध के बाद का यह आदेश है तो आया राजस्थान गवर्नमेंट का उस बारे में क्या एटीट्यूड है? आया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपकी वर्किंग कमेटी के रिजोल्यूशन के अनुसार आप उसको करना चाहते हैं या नहीं, और उस सीलिंग में कुछ फर्क करके उसको लोअर करना चाहते हैं कि नहीं ?

इसके बाद में उसके ऊपर एक्चुअल अमल करने की बात है। पिछला जो सीलिंग कानून बना है उसके अन्दर एक्जम्पशन्स भी खत्म हुए उन पर अमल करने के बारे में क्या करना चाहते हैं ? अभी तक वही स्थिति चल रही है जैसी पहले थी। इन सब बातों के बारे में मैं यह चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में बतलाएं।

अन्त में, एक बात और कह कर आपने टेनेन्सी रिफार्म्स वगैरह के सम्बन्ध में पहले कमेटी मुकर्रर की है, एक हाई पावर कमेटी उस कमेटी की 26 तारीख को मीटिंग भी हुई थी, लेकिन वह जिस तरह से मीटिंग हुई कि 15–17 मिनट में ही कि क्या क्या हैं उसको देख कर ही खत्म कर दी, तो मैं समझता हूं कि लैण्ड रिफार्म्स कमेटी का क्या परपज है ? वह क्या परपज सर्व करेगी, यह बात समझ में नहीं आती है ? अगर उसका मकसद तमाम चीजों का रिव्यू करना है और उनमें क्या क्या लूपहोल्स हैं यह उनको बताने हैं और इन लूपहोल्स को इस तरह से दूर करना है, अगर यह परपज बताया गया है और लैण्ड रिफार्म्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होना चाहिए। यह सब काम उसका रखा गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि पहली मीटिंग में कोई काम नहीं किया गया और यह कह दिया गया कि हर तीसरे महीने मिला करेंगे, अगर इस तरह से हाजरी करने का मकसद है तो मैं समझता हूं कि कमेटी जिस परपज के लिए मुकर्रर की गई है वह परपज कभी सर्व नहीं होगा। इसलिए यह कमेटी जो आपने बनाई है अगर उस कमेटी का कोई परपज सर्व हो सकता है तो मीनिंगफुल तरीके से उसकी मीटिंग करके उसमें जो लूप-होल्स हैं उनको बन्द करने के और लाज को इम्प्लीमेंट करने के सजेशन उससे लेकर गवर्नमेंट कानून बनाये तभी वह समस्या हल हो सकती है।

उस रोज भी उस कमेटी में गवर्नमेंट ने यह एश्योर किया था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरीके की एडवाइजरी कमेटी की स्टैंडिंग कमेटीज बनायेंगे लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का इस बारे में एनाउन्समेंट नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आज यह बतायें कि आया गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में क्या कर रही है और कब तक करने वाली है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह की कमेटीज कब तक बना दी जायेगी ?

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इन तमाम बातों को क्लियर करके गवर्नमेंट की तरफ से बिल आ जाय तो उसमें अच्छा हो। मैंने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कहा है जनमत के लिए नहीं। इसकी तीन दिन में रिपोर्ट भी आ सकती है और बिल पर सारी बहस कर सकते हैं इन तमाम चीजों को इन्क्लूड करके। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) : एक तो यह बात कही है कि एक्चुअली जो आर्डिनेन्स आया है वह इस सत्र से आया है कि टेनेन्सी बिल के अन्दर जितनी बातें पॉसीबल उतनी जब टेनेन्सी बिल बनता है

(श्री रामकिशोर व्यास)

उस समय शामिल कर दी गईं, फिर सिलेक्ट कमेटी में गया वहां पर शामिल कर दी गई और सभी की ओर से प्रपोजल आ गये। उसके बाद में जो एक्चुअली बीच में परिस्थितियां पैदा होती हैं एक जजमेंट रेवेन्यू बोर्ड का हुआ तो उसकी वजह से उसमें संशोधन की जरूरत थी। वह एन्टिसिपेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया। उसकी वजह बहुत साफ है। टेनेन्सी बिल जल्दी से जल्दी आ जाय तो वह आयेगा।

और आपने बहुत सारी बातें कही हैं। आखिर वह बिल के बाहर है। हालांकि मैं आपसे कहूं, इण्टरमीजियेरीज खत्म ही हो गये हैं राजस्थान में। आपने खातेदारी की बात कही है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रोविजन, पीरियड का प्रोविजन रक्खा है। खासतौर से डॉनर्स की बात कही है। जैसा कि आपने बताया है, हाईकोर्ट में अपील पैंडिंग है। उसके बारे में यह ख्याल है कि उसे रखें या नहीं रखें। इसके बारे में जो होगा वह बाद में देखा जावेगा। कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो अलग अलग डिसीजन हैं। जैसी आवश्यकताएं समझें उसके अनुसार करें। यह छोटा सा संशोधन आपके सामने आया है यही एक तरीका है। मैं समझता हूं कि इसको पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टेनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन विचारार्थ लिया गया।

संशोधन, खण्ड 2 पर विचार।

श्री यशवन्त सिंह नाहर।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

Clause 2 In sub-section (1) of section 183 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955—

(i) the words "who has taken or retained possession of any land without lawful authority" occurring between the words "a trespasser" and "shall be liable to ejectment" shall be omitted; and

(ii) between the words "to pay as" and "penalty for" the words "damages the minimum" shall be inserted.

श्री मदनसिंह दांता : पॉइण्ट ऑफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि पहले तो यह बटन का सूत्र आप के हाथ में था। अब उधर हो गया है। वह बटन दबाते हैं तभी हम बोलते हैं। उधर सरदारजी बटन दबाते हैं तभी हम बोलते हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : इसे अमेंडमेंट में जो ट्रेसपासर्स की परिभाषा है, वह समझ में नहीं आती है कि—

A Trespasser shall mean a person who takes possession

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

of the land without lawful authority—"

यहां तक तो 183 को मैं रिपीट करता हूं वही ट्रेसपासर्स है। दूसरे यह क्यों छोड़ दिये गये हैं--

"Who prevents another person occupying the land duly let out to such person,..."

आप का यह कहना है कि वह इसको कवर करे। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब....

"who is entitled to be treated as a tenant..."

वहां तक तो ठीक था—

which cover both the provision of the trespasser....

तो इसीलिए मेरा निवेदन यह है कि यह शब्द हैं, इसमें—

"who has taken or retained possession of any land without lawful authority....

इनको बिल्कुल हटा दिये जायं क्योंकि ये रिडण्डेण्डडेण्ड हैं। इनकी ट्रेसपासर्स डेफीनेशन नहीं है। ट्रेसपासर्स के बारें में आप कहते हैं—

"who has taken or retaind possession of any land without lawful authority........"

यह कहना है।

दूसरा निवेदन यह है कि आप को जनतन्त्र की रक्षा करना है। लॉ एण्ड आर्डर की रेस्पेक्ट करना है तो जबरदस्ती नाजायज कब्जा नहीं करें। अगर करें तो सीवियर पेनल्टी होनी चाहिए। इसके अलावा यह है कि 15 टाइम्स रेवेन्यू दे दें। अगर ऐसी पोजीशन होगी तो 2,4, 8,10, 12,14,15 आना उसका रेवेन्यू होता है अगर दो साल से नाजायज कब्जा करके बैठे हैं तो वह नॉट एनटाईल्ड टू पजेशन है। तो वह महरूम हो जायेगा। अगर वह मिनिमम नहीं कर सकते तो फिफ्टीन टाइम्ज मिनिमम होना चाहिए। यह लेंग्वेज डिफेक्टिव है। सीधी सी लेंग्वेज है—

"Trespasser of the land shall be ejected on the suit of the tenant..."

इसलिए माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करते हैं तो बहुत सीधी सी लेंग्वेज है रख दी जाये—

"Trespasser shall be ejected from the land on a suit of the tenant."

यह सारे को कवर करता है यदि नहीं तो आपके जो वर्ड्स हैं, उनको हटाया जाये। यही मेरा एमेंडमेण्ट है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप का अमेंडमेण्ट यह है कि सेक्शन 183 में से-

"who has taken or retained possession of the land without lawful authority...."

को इसमें से हटा दिया जाये। मगर हाउस ने जब यह बिल बनाया था वह

(श्री रामकिशोर व्यास)

वैसा का वैसा ही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। आप के सामने पूरा बिल आजायेगा। उसमें लिमिटेड सेक्शन हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : वह टेनेन्सी एक्ट अभी दो साल हमारे पास आने का नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : दो साल !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे तो किसी में भी इनकार नहीं है।

श्री फतेह सिंह : इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। अभी नाहर साहब ने कहा हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : उसका मन्त्री महोदय, ने जवाब दे दिया है।

श्री फतेह सिंह : मैं कन्वींन्स नहीं हूं। सेक्शन 5 (44) में भी तो ट्रेसपासर्स की डेफीनेशन दी गई है—

"Trespasser shall mean a person who has taken or retained possession of land without authority or who prevents another person from occupying and duly let out to-him;"

तो उसी सेक्शन को रिपीट करना यह कोई ज्यादा समझदारी का काम नहीं है। क्योंकि यह पहले ही दे दिया गया है।

श्री राम किशोर व्यास : वह पहले ही दिया गया है।

श्री फतेहसिंह : मैं तो कह रहा हूं यह उसमें है और दुबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप कहें तो मैं विदड्रा कर लेता हूं

because I am witting with you.

श्री रामकिशोर व्यास : यह बिल में है उसके अन्दर रखा हुआ है।

श्री मदन सिंह : मैं समझता हूं, नाहर साहब, आपको मालूम हो गया कि यह गलत है, लेकिन क्योंकि आप कांग्रेस में बैठे हैं इसलिये इस अन्याय को सहें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह अलग बात है। I have my own discretion with me. I am not to be carried out by this.

श्री मदनसिंह : Then how are you sitting with them ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय मन्त्री महोदय को इनकन्विनियेन्स होती हैं अगर, तो मैं अपने विचार रख चुका हूं और मन्त्री महोदय ने भी यह माना है कि यह वाजिब है लेकिन फिर भी मेरा संशोधन नहीं मानना चाहते तो दो साल और भुगतने दीजिये। मैं अपना एमेंडमेंट विथड्रा करता हूं।

श्री फतेह सिंह : कागज और स्याही बिगड़ने दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एमेंडमेंट सरक्यूलेट नहीं हुआ है। मैंने सुबह निवेदन कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया। आप होते तो बोल लेते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह इनका है, मेरा अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : इनका खण्ड दो पर था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड दो पर ही है।

श्री उपाध्यक्ष : उसका उत्तर दे दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसका उत्तर दे दिया। लेकिन अलग अलग एमेन्डमेन्ट हैं तो अलग अलग उत्तर दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अब नहीं। यह भी कोई सिद्धान्त बाकी रह गया हो तो कह दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री नाहर ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे वापिस लेने की अनुमति उन्हें प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : लीजिये प्रस्ताव वापिस।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हां, मैं विधड़ा करता हूं। मैं पहले भी कर चुका हूं, फिर विथ्ड्रा करता हूं। यह भी एक तरीका है कि दूसरी दफा विथ्ड्रा करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3। इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियामक सूत्र, प्रस्तावना नाम, आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह (श्री शिवचरण माथुर) इधर आ कर हां, हां कह रहे हैं।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 1 स्वीकार किया गया

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टेनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक 1970 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970। संकल्प प्रस्तुत करेंगे, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका भी विरोध करेंगे, यह तो लाभ का है।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : इसका भी विरोध करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसे हास्यास्पद अध्यादेश निकाले जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमाल्यूमेन्ट्स) (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, 1970 (ऑर्डिनेन्स 5 आफ 1970), इसके सम्बन्ध में मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके पूर्व में एक व्यवस्था का प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमाल्यूमेन्ट) एक्ट, 1956, जिसमें संशोधन इस अध्यादेश के माध्यम से किया गया है और जिस अध्यादेश को रिप्लेस करने के लिए एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके सम्बन्ध में मेरा प्वाइन्ट आॅफ आर्डर यह है कि यह अध्यादेश जिन प्रावधानों को लेकर है और जो एमेन्डमेन्ट इस विधेयक के द्वारा किये जा रहे हैं वह प्रापोज्ड एमेन्डमेन्ट बियोण्ड दी स्कोप आफ दी प्रिन्सिपल एक्ट है। मैं आपका ध्यान इस सिलसिले में, उपाध्यक्ष महोदय, मूल विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूं। मूल अधिनियम इस प्रकार से है, उसका जो उद्देश्य है, जो प्रिएम्बल है, जो टाइटल है, उसकी भावना क्या है ? वह यह है कि :

"An Act to provide for the emoluments to be paid to the officers and members of the Legislative Assembly of the State of Rajasthan."

"Whereas articles 186 and 195 of the Constitution provide for the fixing up by law the salaries and allowances to be paid to the members and officers of the Legislative Assembly being enacted by Rajasthan State Legislature."

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 186 और संविधान की धारा 195 इनके अन्तर्गत विधान सभा के सदस्यों और विधान सभा के पदाधिकारियों, जिसका अर्थ है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इनकी तनख्वाह, भत्ते आदि के सम्बन्ध में कानून बनाने का प्रावधान है, वह कानून बनाने का जो प्रावधान है उस प्रावधान के अन्तर्गत यह कानून 1956 में इस राज्य की विधान सभा ने पारित किया था। उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के अन्तर्गत इस सदन के माननीय सदस्यों और अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय को दी जाने वाली सुविधायें, मेडिकल फेसिलिटि, ट्रान्जिट फेसिलिटि, ट्रेवलिंग फेसिलिटी, रोडवेज की फेसलिटी, रोड ट्रान्सपोर्ट की फेसिलिटी, रेल्वे में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करने फेसिलिटी इस सारी फेसिलिटीज की व्यवस्था की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें मंत्री लोग हैं वह इसमें कवर नहीं होते, मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिए एक अलग कानून बना हुआ है राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज एक्ट। राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिए तनख्वाह, भत्ते आदि की जो सुविधायें हैं, वह सम्पूर्ण सुविधायें राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज एक्ट के तहत गवर्न होती हैं। यह एक्ट अलग है, वह एक्ट अलग है। उस एक्ट के तहत मंत्रिमण्डल के सदस्यों, उपमंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन भत्ते आदि नियमित होते हैं और विधान सभा के बाकी सदस्यों, अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय को मिलाकर इनके वेतन, सुविधायें आदि इस कानून से नियमित होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन के अन्दर जो विधेयक लाया जा रहा है और जिसके लिए अध्यादेश जारी किया है उसके अनुसार जो व्यवस्था की जा रही है और जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसमें परिभाषा में संशोधन करके उसकी डेफिनेशन को एमेंड करके, मेम्बर की डेफिनेशन को एमेंड करके एज एक्स्प्लेनेशन जोड़ा जा रहा है, और वह यह जोड़ा जा रहा है:

" For the purposes of this section, a member shall include a Minister as defined in the Rajasthan Minister's Salaries Act, 1956 and an officer of the Legislative Assembly for the State as defined in this Act. "

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले सत्र में धारा 8 (बी) हमने इस मूल कानून के अन्तर्गत जोड़ी थी, उस (बी) के तहत यह व्यवस्था इस सदन की थी कि इस सदन के माननीय सदस्य हैं वह एक वर्ष भर के अन्दर बारह हजार किलोमीटर फर्स्ट क्लास में देश भर में कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं, उनको उसके लिए किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। बारह हजार किलोमीटर की यात्रा फर्स्ट क्लास में किसी भी रेल के अन्दर निःशुल्क रूप में करने की सुविधा इस सदन के माननीय सदस्यों को दी गई जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल नहीं थे। यह सुविधा पिछले बजट अधिवेशन में एक विधेयक पारित करके दी थी। अब वह सुविधा इस सदन के माननीय सदस्यों को मिल गई तो मंत्रिमण्डल के सदस्यों को जलन हुई कि यह सुविधा इस विधान सभा के सदस्यों को मिल गई है, जब कि मंत्रिमण्डल के सदस्य इस सुविधा से वंचित हो गये हैं, तो बजाय इसके कि राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज एक्ट में संशोधन लाते, वह इस कानून के माध्यम से, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हमारी सुविधा में घुसपैठ कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है कि यह अनधिकृत घुसपैठ है, इन्ट्रूजन है और घुसपैठिये मंत्री मण्डल के सदस्य हैं, सैंतीस मंत्री, जो सदन के माननीय सदस्यों को और अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय को मिली हुई सुविधा है वह सुविधा इन्हें नहीं है इसलिए इसमें इस तरह से यह घुसपैठ करना चाहते हैं। यह नैतिकता की दृष्टि से तो अवांछनीय है ही, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि यह मूल कानून जिस भावना से बना, जिस मकसद से बना, जिस उद्देश्य से बना, विधान सभा के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदस्य, अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय के लिए क्लीयरली जो संविधान के अन्तर्गत व्यवस्थायें हैं, उन संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार यह कानून बना है और संविधान की उन धाराओं में मंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में किसी प्रकार का प्रावधान करने की इस कानून के अन्दर, कोई मन्शा नहीं है। मंत्रियों को जो वेतन दिया जाता है, उनको जो भत्ता दिया जाता है, उनको जो कार की फेसिलिटी दी जाती है, पेट्रोल की फेसिलिटी दी जाती है, ड्राइवर की फेसिलिटी दी जाती है, मकान की फेसिलिटी दी जाती है, और उनको जो बाकी की अन्य सुविधायें दी गई हैं वह सुविधायें राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज एक्ट के अन्तर्गत दी गई हैं। अगर मंत्री-मंडल के सदस्य कोई सुविधा लेना चाहते हैं तो वह राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरिज एक्ट के अन्दर कोई संशोधन लायें, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का संशोधन इस कानून में लाना, जिस कानून का प्रिएम्बुल, टाइटल अभी मैंने पढ़कर सुनाया, उसके अन्तर्गत यह फिट इन नहीं होता, इसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, इसलिए मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि यह प्रोपोज्ड एमेंडिंग बिल जो मंत्रियों को 12 हजार किलोमीटर्स तक निःशुल्क फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने के संबन्ध में है, जो सुविधा इस कानून के अन्तर्गत इस सदन के माननीय सदस्यों को उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को मिली है उसी प्रकार की सुविधायें मंत्रियों को दिये जाने के बारे में संशोधन जोड़ कर यह जो एमेंडिंग बिल लाया गया है, यह मूल कानून के स्कोप के बाहर है और इसलिए इस अध्यादेश पर सदन में विचार नहीं हो सकता। यह एमेंडिंग बिल जो सरकार प्रस्तुत करती है, इसकी अनुमति सरकार को नहीं मिलनी चाहिए। पहले व्यवस्था हो तो फिर जो कुछ कहना है, उस बारे में कह दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई है कि जो 12 हजार किलोमीटर की रेलवे से सुविधा करने का प्रावधान इस प्रस्तावित कानून में मंत्रियों के लिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के किए रखा गया है, वह इस कानून के स्कोप के बाहर है और यदि ऐसी कोई तरमीम भी करनी है तो मिनिस्टर्स सेलरीज एक्ट के अंदर की जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि जो मिनिस्टर्स सैलरीज एक्ट है, एज ए मिनिस्टर जो मिनिस्टर को तनख्वाह या इमोल्यूमेंट्स या मेडिकल फेसिलिटीज या दूसरी सुविधायें मिलनी चाहिएं, उसका प्रावधान है तो मिनिस्टर्स सेलरीज एक्ट के अंदर है लेकिन नाट एज ए मिनिस्टर बट ओन्ली एज ए मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव एसेम्बली जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजन वही है जहां पर अन्य माननीय सदस्यों के लिए उसकी सुविधा का प्रावधान किया गया हैं। इसलिए जो कुछ प्रावधान है नोट एज ए मिनिस्टर बट एज मेम्बर्स आफ लेजिस्टलेटिव एसेम्बली 12 हजार किलोमीटर्स यात्रा की सुविधा होनी चाहिए, वह इसी में प्रावधान हो सकता था। इसलिए जो प्रावधान इसके अंदर प्रस्तावित किया गया है, वह सही है और ··

श्री मदनसिंह (दां०रा०): इसका मतलब 12 हजार किलोमीटर घूमने के समय यू विल

(श्री मदनसिंह)

नाट बी.ए. मिनिस्टर देन यू विल बी ट्रीटेड एज ए मेम्बर ओन्ली।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प): मिनिस्टर के आगे ब्रेकट में एम०एल० ए० लिख दें।

श्री दौलतराम सारण : जब मंत्री है, मंत्री को हैसियत से सभी जगह जाने का अधिकार है।

श्री भगवान दास शास्त्री : चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों का प्रयोग करते हो उससे ज्यादा··· ···

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ·· वह अधिकार इसके तहत नहीं है।

श्री भगवान दास शास्त्री : राजस्थान में क्या छोड़ा है, चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़िया जाती हैं···

श्री दौलतराम सारण : दो घोड़े एक साथ इस्तेमाल नहीं किये जा सकते। अगर वह मेम्बर की सुविधा लेना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री छोड़ दें और यदि एज ए मिनिस्टर सुविधा लें तो उसका दूसरे कानून में प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि मेम्बर की सुविधा लेनी है तो मिनिस्ट्री छोड़ कर लें दो सुविधाएं एक साथ में रखते हैं वह किसी हालत में न्यायसंगत नहीं हैं न कानून की दृष्टि से न नैतिक दृष्टि से।

श्री मदनसिंह : समाजवाद का एक और प्रिविलेज ले रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह(भरतपुर): यह जो अध्यादेश निकाला और एमेंडिंग बिल आया है, वह स्वयं इस बात का धोतक है कि यह विषय गंभीर है। इसको मामूलीतौर पर नहीं टालना चाहिये। अगर मंत्री को एम.एल.ए. में इन्क्लूडेड माना जाता है तो अध्यादेश लाने की और इस विधेयक को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्रश्न तभी उत्पन्न होता है कि जब एक एम.एल.ए. मिनिस्टर बनाया जाता है, उसमें अलग प्रकार की सुविधा पहले ही बजट में से दी हुई है। इसलिए उनके लिए एम.एल.एज के साथ साथ दूसरी सुविधायें जो लेना चाहते हैं वह क्या ले सकते हैं? उस विधेयक में कोई संशोधन करके इस प्रश्न को सदन में लायें तो मैं समझता हूं कि आपको भी इससे सुविधा होगी और हमारे मंत्री महोदय को भी सुविधा होगी। उनकी केवल जल्दी जल्दी में कानून पास कराने की जो नीयत है जिसके लिए अध्यादेश लाना पड़ा, यह तो बताये कि इसकी कौनसी जल्दी थी, कौनसी रेल छूटी जा रही थी कि अध्यादेश लाए। इसलिए इस पर निश्चित रूप से विचारा जाय कानूनीतौर से कि संविधान के अन्तर्गत क्या इस अधिनियम में कोई संशोधन किया जा सकता है या नहीं? कोई दुविधा नहीं यदि एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय, उनकी राय ली जाय और मान्यता हो कि संशोधन होगा तो आराम के साथ मिनिस्टर्स सेलेरीज एक्ट में संशोधन करिए और कहिए कि और सुविधा लेना चाहते हैं, जब कोई मंत्री छुट्टी पर जाय तो रेल में फ्री जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य(नोहर): धर्मपत्नी और बच्चों को ले जाने के लिए ऐसी सुविधाएं ले रहें हैं, सरकारी ड्यूटी पर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी छुट्टी पर आज तक कोई मन्त्री गया है? फिर क्या जरूरत है इस प्रकार का विधेयक लाने की? लेकिन विशेष सुविधा इसलिए मांगी गई है कि वैसे धर्मपत्नी साथ ले जायें तो पैसे लगते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): संशोधन की जरूरत नहीं हैं। जैसे मन्त्री महोदय ने बताया मंत्री की हैसियत से इसका उपयोग नहीं करेंगे, एम० एल० ए० की हैसियत से करेंगे तो मौजूदा कानून के अनुसार वह आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इसका संशोधन पास करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं शत प्रतिशत सहमत हूं। मन्त्रियों की इस प्रकार दो-दो घोड़ों पर सवारी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का फायदा अलग उठायें और मेम्बर का फायदा अलग उठायें यह मेरी समझ में नहीं आता। वह कह सकते हैं कि वह अपनी प्राइवेट विजिट पर जायें लेकिन आज तक किसी मिनिस्टर ने प्राइवेट विजिट की है? सारे के सारे सरकारी गाड़ियों में सफर करते रहें हैं ......

श्री उपाध्यक्ष : इस बिल के पास होने के बाद करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं इस बिल का विरोध करती हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांन्शस।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अच्छा होता यदि इस तरह का अध्यादेश नहीं लाया जाता। इससे राजस्थान मन्त्रिमण्डल का मस्तक ऊंचा नहीं होने वाला है और फिर उनको बता दूं कि यहां तो ऐसे प्रसंग भी आए हैं कि मन्त्री महोदय जब अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए भी सरकारी गाड़ी ले गए हैं। कोई न कोई काम निकाल सकते हैं तो फिर इस अध्यादेश को लाने की क्या जरूरत है?

श्री उपाध्यक्ष : मोटर कार से रेल सस्ती पड़ेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): लेकिन पूरे परिवार को नहीं ले जा सकते। उसमें पूरे परिवार को ले जा सकेंगे। राज की गाड़ी ले जायेंगे उस पर झंडा फहरायेंगे कार ले जाने से इनका क्या बनता है क्या बिगड़ता हैं, जनता मर रही है, हमें अपनी सुविधाओं की चिन्ता है, लेकिन जनता का क्या करना है? जैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति के दस्तखत कराने के लिए बाहर भेजा उसी तरह से यहां इसके लिए अध्यादेश लाए हैं। इससे बढ़कर दुःख और कलंक की बात क्या हो सकती है?

श्री मदनसिंह : हमारी सैलेरी है वह सरेंडर कर दें अगर मंत्री भूखे हो गए हैं तो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष जी, यह बात इतनी बड़ी नहीं है जितना कि इसको स्वरूप दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले माननीय सदस्यों के लिए तय किया गया था कि चाहे विधान सभा का काम हो या नहीं, उनको सारे भारत में 12 हजार किलोमीटर्स की सफर करने की सुविधा रेलवे की होनी चाहिये। इसी तरह उस प्रावधान को इस कानून के तहत एप्लाई किया गया है कि मंत्री मंत्री की हैसियत से सरकारी दौरे पर जब काम करता है या काम पर जाता हैं तो उनको मिनिस्टर्स सेलरीज एक्ट के तहत उनको भत्ता आदि लेने का अधिकार है, लेते हैं। लेकिन अगर सरकारी काम न हो और प्राइवेट विजिट पर जाना पड़े तो उस समय वह साधारण एम.एल.ए. को जो अधिकार है सफर करने का, वह सुविधा उसको भी मिले

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इस दृष्टि से और समानता रहे, इस दृष्टि से यह प्रस्तावित विधेयक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अनहोनी हो या अवांछनीय हो। मान लीजिये ...

श्री रामचन्द्र आर्य : जो कुछ भी आप करे, अनहोनी नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसे सरकारी काम बताते हैं, यह प्रावधान होना अच्छा है ताकि सरकारी काम पर जायं तो सरकार जो भत्ता, सेलरीज एक्ट है उसके तहत ले, और प्राइवेट काम पर जाना हो तो इसके तहत आए। इसमें मेरे ख्याल से ऐसी दुविधा नहीं है जो माननीय सदस्यों को खटकती हो, समानता का व्यवहार सब एम.एल.एज का प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज ... ...

श्री दौलतराम सारण : स्तीफा देकर आयें तो यह लाभ उठायें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मंत्री महोदय ने कहा कि इतनी छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि छोटी सी बात के लिऐ मंत्रिमंडल क्यों दरखास्त करता है, अर्ज कर रहा है। इसकी जरूरत क्या है ? जब छोटी सी बात है, जब आप कहते हैं कि बाहर जाते हैं, तो सरकारी भत्ता लेंगे तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या नैतिकता है कि हम अपने घरू काम से जायं। इन मिनिस्टरों के भत्ते आदि का खर्चा निरन्तर बढ़ता रहा है। पर आज ये असेम्बली पर उसका वजन डालना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार की आपत्तियां भविष्य में नहीं इस दृष्टि से मेरा निवेदन है। हमारी नैतिकता तो इसी में है कि हम अपने घर के काम से जायं तो अपने पैसों से जायं और सरकारी भत्ता न लें। यदि अब तक सरकारी भत्ता लिया है तो ऐसा क्यों किया गया है। घरू काम के लिये हम सब जाते हैं। राजस्थान में ही नहीं किन्तु राजस्थान के बाहर भी दूर दूर तक मंत्री महोदय अपनी फेमिली को, पूरी की पूरी फेमिली को, बम्बई आदि ले जाते हैं। यदि किसी काम के लिये जाते हैं तो फिर जेब से पैसा निकालने में क्या दिक्कत है ? जब आप स्वयम् इतनी सुविधा लेते हैं तो मेम्बर तो थोड़ी सी ही सुविधा लेते हैं उसके मुकाबले में आप और ज्यादा यह सुविधा क्यों लेना चाहते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जैसा मन्त्री जी ने कहा कि माननीय सदस्यों के वे बराबर आना चाहते हैं। साधारण सदस्य के रूप में आना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से आपने यह सुविधा दी है तो एक भी किलोमीटर फर्स्ट क्लास में नहीं गया हूं और 12 हजार किलोमीटर की सुविधा के लिए मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि जब तक असेम्बली में रहूंगा तब तक एक भी किलो मीटर की इस सुविधा का उपयोग नही करूंगा। हम यहां पर सुविधा के लिए नहीं आए हैं किन्तु हम तो जनता की सुविधा के लिए यहां आये हैं। जब दवाखाना खोलने की बात आती हैं तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं हैं मरते हुए लोगों को बचाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि हम सुविधा लेते रहें। आपकी इन सुविधाओं के लिए कहां से पैसा आता हैं ? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने पहले ही राजस्थान के मस्तक को नीचा किया हैं अब आप और राजस्थान के

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मस्तक को नीचा न करिये। माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि आप सुविधा ज्यादा मत लीजिए। हम यहां पर सेवा के लिए आये हैं, सुविधा के लिए नहीं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तजवीज बता देताहूं कि जिससे यह मसला हल हो जाय। आप सदस्यों के बराबर रहना चाहते हैं तो मन्त्रियों को जो भत्ते मिलते हैं उनके अन्दर कमी कर दीजिए और 12 हजार मील की यात्रा तक कितना रुपया लग सकता हैं वह उसमें से बाद कर दीजिए। उन प्रिविलेजेज में से जो उनको मिली हुई हैं।

श्री रूपसिंह (सरदार शहर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेजिस्लेटिव मेम्बर्स एन्ड ओफिसर्स इमोल्युमेन्ट्स बिल पिछले सेशन में पेश किया गया था और उसके बैंकग्राउन्ड में ही यह बिल रखा गया है। पहले एम० एल एज० को राजस्थान से बाहर घूमने की फेसिलिटीज नहीं थी जो वह बिल लाकर 12 हजार किलोमीटर तक घूमने की फेसिलिटी दी गयी। अब यह लेजिस्लेटिव मेम्बर्स एण्ड आफिसर्स इमोल्युमेन्ट्स अमेन्डमेंन्ट बिल लाकर मंत्रियों को और फेसिलिटी देने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह फायदा अब उनको देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फेसिलीटीज का सिवाय दुरुपयोग के, मिसयूज के कुछ नहीं हैं। पहले ही जो फेसिलीटीज उनको मिली हुई हैं उनका ही बड़ा भारी मिसयूज होता है। किस प्रकार जो उनको फेसिलिटीज दी हुई हैं उनका वे मिसयूज करते हैं क्या तो पेट्रोल, कार और क्या टेलीफोन का मिसयूज नहीं है। एक एक मिनिस्टर के पांच हजार रुपया महीने का टेलीफोन का खर्चा है। हमारा तो सबका साल भर में भी यह खर्च नहीं हो सकता। इसलिये 12 हजार किलोमीटर की और यह सुविधा उनको नहीं दी जानी चाहिये। उनको भी नहीं लेना चाहिये। नैतिकता तो यह कहती है।

श्री उपाध्यक्ष : 12 हजार किलोमीटर की यात्रा काफी लम्बे समय में होगी तब तक टेलीफोन आदि के खर्च की बचत होगी।

श्री मदनसिंह : मेम्बर की तरह यह करेंगे तो वह फेसिलिटी नहीं लेंगे क्या ?

श्री रूपसिंह : 12 हजार किलोमीटर की सुविधा आउट साइड राजस्थान है। यह गलत चीज है। कानूनी फन्डामेन्टल आब्जेक्शन यह है कि दो फेसिलिटीज एक साथ नहीं मिल सकती हैं। जिस प्रकार एक आदमी दो घोड़ों पर एक साथ नहीं चढ़ सकता है उसी प्रकार They are entitled to get double facilities सदस्य होने के नाते यह सुविधा लेना चाहते हैं तो आप मंत्री होने के नाते जो सुविधा आपको मिली हुई है वह छोड़ दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : बाहर जो संतरी खड़े हैं उनको दो रुपया मिलता है। आप अपनी फेसिलिटीज के लिये भीख मांग रहे हैं इससे अधिक नीची बात और क्या हो सकती है। आपका स्तर इतना नीचे गिर गया है ? राजस्थान की शान को आपने वैसे ही मिट्टी में मिला दिया लेकिन अब रही सही तो और मिट्टी में मत मिलाइये। छोटी 2 तनख्वाह वालों को

(रामचन्द्र आर्य)

आप फायदा दीजिये। गरीबों को फायदा दीजिये आप अपने ऊपर क्यों यह खर्च करने जा रहे है इस प्रकार ?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): माननीय मंत्रीजी ने कहा कि बड़ी बात नहीं है। और साथही साथ यह भी कहना चाहते हैं कि एक ओडिनरी मेम्बर की हैसियत से फेसिलिटी अवेल करना चाहते हैं। माननीय सतीशचन्द्रजी ने कहा कि आप इस ओर एन्क्रोचमेन्ट नहीं करके यदि आपको प्राइवेट विजिट करना चाहते हैं तो मिनिस्टर्स सेलेरीज एण्ड इमोल्युमेन्ट्स बिल में अमेण्डमेन्ट लाकर ही आप ऐसा कर सकते हैं। मिनिस्टर की फेसिलिटी तो आप ले रहे हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो फिर यह फेसिलिटी भी 12 हजार किलोमीटर की लेना चाहते हैं एक मेम्बर को कितना दिया जा रहा है और एक मंत्री की हैसियत से आप कितना ले रहे हैं यह भी तो देखिये।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): मिनिस्टर बिना मनिस्टर की हैंसियत में कभी नहीं रहता है। हमेशा जब तक मिनिस्टर है तब तक उसी हैसियत में रहता है चाहे वह प्राइवेट विजिट पर हो या छुट्टी पर। इसलिये यह बेसिकली कानून गलत है।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री लोग सिवाय सैर करने के और दौरा करने के कोई काम नहीं करते हैं। यदि इनको यह और सुविधा दी जायेगी तो पैसों का बड़ा दुरुपयोग होगा, बड़ा नुकसान होगा। आज जनता बहुत परेशान हो रही है। हम विधायक परेशान होते हैं कि काम नहीं होता है। और ऊपर से इस प्रकार पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

एक तरफ कहते हैं कि हम समाजवाद लावेंगे और दूसरी तरफ जनता की सुविधा का काम नहीं करना और इस प्रकार सुविधायें लेकर पैसों का दुरुपयोग करना उचित बात नहीं है। इस प्रकार की सुविधा न दी जाय ताकि जनता की सुविधा का ख्याल रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): कोन्सियस की आवाज है।

श्री विजयसिंह (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमने देखा है कि सरकस में दो दो घोड़ों पर सवारी होती है। मिनिस्टर भी दो घोड़ों पर सवार हों तो कोई बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाहर।

श्री मदनसिंह: Speak like a sportsman.

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): I will speak like a member of the Party in Power.

12 हजार किलोमीटर का प्रस्ताव पेश किया था मेम्बर्स को सुविधा देने के लिये उस वक्त विरोध में एक मक्खी भी नहीं उड़ पायी और बड़े आराम से सुविधा ले ली। कानून को बलाए ताक रख कर सैकिन्ड में पास कर दिया। 12 हजार किलोमीटर का पास किया तो दो लाख रुपये का स्टेट एक्सचेकर पर भार पड़ा।

श्री विजयसिंह: यह मक्खी कौन से गुड़ के चिपकी हुई थी?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपके हमारे सबके चिपकी हुई थी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेम्बर लोग जनता के काम के लिये जाते हैं। उनको तनखा भी क्या मिलती है उससे उनका खर्चा भी नहीं चलता। उन पैसों से वे यात्रा खर्चा नहीं निकाल सकते इसलिए उनको यह सुविधा दी गई है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर ऐतराज किया उससे ऐसा मालूम पड़ता था कि शायद उन्होंने कोई कानूनी विरोध किया होगा। जिससे यह मालूम हो सके कि इस कानून में जो संशोधन किया गया है वह प्रोपर नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हैं वे तो मोरेली इसका तूफान मचाये जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इससे पहले भी जब वन उपमन्त्री महोदय देहरादून की तरफ तशरीफ ले गये थे अर्थी लेकर तो उस समय ऐतराज किया था।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अर्थी नहीं अस्थि लेकर गये थे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान के बाहर भी मन्त्री जा सकता है अपनी निजी हैसियत से मैम्बर की हैसियत से वैसी स्थिति में जहां वह मन्त्री पद के कर्तव्य निभाता है वह प्राइवेट कैपेसिटी में अपने कार्य कर सके उसके लिये भी उनको सहूलियतें मिले इस लिये यह विधेयक में सुधार किया गया है। 1200 मील की यात्रा का प्रावधान कोई ज्यादा नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : ईमानदारी भी यदि कानून बनाने से आ सकती है तो डूब मरो।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां आपकी सैलरी आदि पर 30-35 लाख रु० खर्च होता है उस बजट में यदि 50 हजार रुपया और बढ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब हमने अपने लिये प्रस्ताव बिना किसी बाद विवाद के एक ही मिनिट में पास कर लिया तो इसमें भी ईमानदारी और रखने दीजिये। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जब यह विधेयक लाया गया इसमें विरोधी दल के माननीय सदस्यों से राय भी ली गई थी।

अन्त में मैं यह भी निवेदन कर दूं मन्त्री महोदय यह स्पष्टरूप से घोषित कर दें कि आप मन्त्री की हैसियत से बाहर नहीं जायेंगे मेम्बर की हैसियत से ही जायेंगे। इसके लिये यह पचास हजार रुपया ज्यादा नहीं है सदन को इसके लिये मन्जूरी दे देनी चाहिये।

श्री गामाफत्ताजी (आबू सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू के जितने भी मामले हैं ऐसा है कि वे पन्द्रह पन्द्रह साल तक निपट नहीं पाते इसके लिये मेरा यह कहना है कि इनको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिये•••

श्री दौलतराम सारण : कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य बोल रहे हैं•••

श्री मनोहरसिंह मेहता : कांग्रेस पार्टी के सदस्य किस तरह से बोल रहे हैं यह देखने की बात है•••

एक माननीय सदस्य : उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कन्ट्रोल करें••

श्री गामाफत्ताजी : आज कहते तो यह हैं कि गरीबों के लिये काम करते हैं लेकिन गरीबों के लिये कुछ नहीं होता है। ये मंत्री लोग इतने ऊंचे कैसे उठ गये क्या आप यह बता सकते हैं।

श्री मदनसिंह : राजाओं के प्रीवीपर्स के बन्द होने से जो पैसा बचा है वह शायद इसी काम में खर्च हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मन्त्रियों को सुविधायें दी जा रही है 1200 किलोमीटर तक जाने की इस पर यह भी कहा गया कि जब माननीय सदस्यों को यह सुविधा दी गई तो सारे के सारे सदस्य चुपचाप उसको पास कर गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां तक यह सुविधा सदस्यों को दी गई उसमें कोई बेजा बात नहीं की गई। क्योंकि जितनी जगह रोडवेज जाती हैं वहां तक तो माननीय सदस्यों को जाने की सुविधा है लेकिन जिन स्थानों के लिये रोडवेज का प्रबन्ध नहीं है वहां के सदस्यों के निवेदन करने पर यह सुविधा दी गई। उनका कहना यह था कि हमारे इलाके में रोडवेज नहीं है अतः रेलवे की सुविधा दी जाय उस पर यह सुविधा दी गई।

जहां तक मन्त्रियों को सुविधा देने का सवाल है उनको तो पहले से ही काफी सुविधा मिली हुई है उनको अधिक सुविधा देना उचित नहीं है। एम० एल० एज० को तो सुविधा मिलनी चाहिये वे तो जनता के हित में जाते हैं। मिनिस्टर तो वैसे ही बहुत सुविधायें भोग रहे हैं उनको और सुविधा देने की जरूरत नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गामाफत्ताजी : मन्त्री महोदय इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं इसका जवाब दे दें ?

श्री दौलतराम सारण : यह तनखा देने की व्यवस्था इसी के लिये की जा रही है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो आपत्ति उठाई थी वह सर्वथा वैधानिक थी। मैं आशा करके चलता था माननीय मन्त्री महोदय मेरे वैधानिक प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करते। पचास हजार रुपये की धन राशि जो माननीय सदस्यों के लिये दी जा चुकी है वह सुविधा मन्त्री महोदयों को भी मिलनी चाहिये इस आधार पर तो मेरी सहानुभूति है। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में संविधान की धारा 164 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह कहता है :

"The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine and until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule."

164 की जो धारा संविधान की है वह मिनिस्टर्स की सेलरी और अलाउन्सेज के बारे में है इसके अतिरिक्त दूसरी धारा है 186:

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

" There shall be paid to the Speaker and the Dy. Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman and the Dy. Chairman of the Legislative Council, such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislature of the State by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule. "

इसके आगे संविधान की धारा 195 है जिसमें मेम्बर्स ऑफ दी लेजिस्लेचर्स के लिये प्रावधान है .....

"Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding province."

मैंने आपके सामने संविधान की तीन धाराएं 164, 186 व 195 रखी है इसमें 164 की धारा मिनिस्टर्स की सेलेरीज के बारे में है 186 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये है और 195 धारा यह सदन के माननीय सदस्यों की सैलेरीज और अलाउन्सेज के सम्बन्ध में है। मैंने आपके सामने जिस धारा को पढ़ कर बताया है, मूल कानून को पढ़ा है उस कानून के प्रिएम्बल में यह लिखा है :

"Whereas Article 186 and 195 of the Constitution of India provide for the fixing by law the salaries and allowances to be paid to the members and officers of the Legislative Assembly being enacted by the Raj. State Legislature...

इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 186 और 195 जिसमें कि मिनिस्टर इन्क्लुडेड नहीं है जिसमें सेलेरिज और अलाउन्स का प्रावधान केवल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और इस सदन के मेम्बर्स के लिए ही है। आर्टिकल 195 मेम्बर्स से सम्बन्धित है और इन दोनों में ही यह व्यवस्था है और जो यह मूल कानून बनाया गया है अगर यह मन्शा होती तो मंत्री को भी इसमें कवर करते। इसमें एक धारा 164 है जिसके तहत राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरिज एक्ट बना हुआ है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और यह मेरी वैधानिक आपत्ति हैं। इसके बारे में संविधान की धाराओं में यह स्पष्ट बताया गया है। अगर आप यह चाहते हैं कि 164 के तहत कीजिये। 164 के तहत मंत्रियों के बारे में प्रावधान है। इसमें आप फ्री रेल्वे ट्रान्जिट की फेसिलिटीज दीजिये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

परन्तु जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट इस सदन में लाया जा रहा है, यह इस प्रिन्सीपल एक्ट के बाहर की बात है। यह मेरी आपत्ति है और इस सम्बन्ध में आपके सामने मुझे यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सतीशचन्द्रजी ने जो आपत्ति उठाई है वह वास्तविक वैधानिक स्थिति तो है ही कि मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और दूसरे केबिनेट के मिनिस्टरों के लिये एक अलग से प्रावधान है। इसी प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये है और संविधान की धारा 195 के अन्तर्गत मेम्बरस् के लिए प्रोवीजन है। लेकिन यह मेरे समझ में नहीं आता कि अगर मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर सदस्य की हैसियत से अगर आना चाहे और यह कानून अपने ऊपर लागू करना चाहे तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिये अलग से कोई कानून न होकर इस सदन के माननीय सदस्यों के लिए और उनके लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए और इस दृष्टि से अगर एक उचित कदम उठाया जा रहा है कि जब मिनिस्टर लोग व्यक्तिगत हैसियत से ट्रेवल करें तो उनको वास्तव में व्यक्तिगत मानें। और मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर का लेविल वे काम में न लावें। मैं समझता हूं कि उनको ईमानदारी बरतने का एक अच्छा जरिया बताया जा रहा है कि आप ईमानदारी से व्यक्तिगत हैसियत से ट्रैवल कर सकते हैं। वे एक माननीय सदस्य की हैसियत से आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं और ट्रैवल करते हैं और डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की हैसियत से जो सुविधा उनको है वे नहीं लेना चाहते हैं तो यह एक अच्छी बात है। उन पर हम रोक क्यों लगायें कि वे एक मेम्बर से अलग रहें और हमेशा ही 'ए' क्लास रहें। इसी क्लास में 24 घंटे रहें तो यह गलत है। इसका तो मतलब यह होगा कि जब घर में वह अपने माता पिता के सामने जाये तब वह एक मिनिस्टर होगा। यह गलत है हम मिनिस्टर उसको उस हालत में मानें जब वह मिनिस्टर का कर्तव्य करता है।

श्री विजयसिंह : बीबी के आगे तो वह चपरासी है। इसलिए अपनी आवाज यह होनी चाहिये...

श्री मदनसिंह : Will they not draw their pay as a Minister while travelling ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके प्रोविजन के विरोध में नहीं हूं। आपके मिनिस्टरर्स सेलेरिज एक्ट में यह लाना चाहें तो आप ला सकते हैं।

श्री शंकरलाल : मिनिस्टरस् सैलेरिज एक्ट में यह नहीं होना चाहिये और जो मेम्बरर्स के लिये एक्ट है उसमें ही यह होना चाहिये। आपने यह कहा है कि उनके लिये अलग से हो। मैं कहता हूं कि नहीं। मिनिस्टर के लिये अलग से कोई कानून न हो। एक ही कानून होना चाहिये। इस सदन के माननीय सदस्यों के लिये एक ही प्रकार का कानून होना चाहिये। इसलिए यह जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, ठीक हैं। मेम्बर की हैसियत से आप काम करें तो यह ठीक है। एक तरफ तो हम यह आरोप

(श्री शंकर लाल)

लगाते हैं कि मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर व्यक्तिगत हैसियत से भी सरकारी वाहनों का प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ जब वे चाहते हैं कि मान्य सदस्य की हैसियत से ट्रैवल करें तो आपति करते हैं और आप रोकें, यह उपयुक्त नहीं है। मेम्बर्स की हैसियत से वे जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है और दूसरे माननीय सदस्यों की तरह सुविधा लेना चाहते हैं तो इसमें हमें आपत्ति नहीं करना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे हमें पारित करना चाहिये और आगे के लिये भी ऐसे कदम उठाये जाय कि सब के लिये अलग अलग हैड न होकर सबके लिये एक ही हैड हो। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): यह जो विचार शंकरलालजी और सतीशचन्द्रजी अग्रवाल दोनों ने यहां पर रखे हैं, उसमें श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल के विचारों का समर्थन करता हूं। मैं समर्थन करते हुए यह स्पष्ट करता हूं कि जबकि मिनिस्टर एक्ट अलग है और इसी प्रकार से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये आर्टिकल में प्रोविजन है, एक सेपरेट एक्ट है तो अगर कोई चेन्ज, अमेंडमेंट किया जाये तो वह मिनिस्टर सेलेरिज एक्ट में ही किया जाना चाहिये। यह अमेंडमेंट उसी एक्ट में किया जाना चाहिये और इमोल्यूमेंटस ऑफ दी मेम्बर्स ऑफ दी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली में किसी भी तरह से यह अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। यह जो कांस्टीट्यूशन पोजीशन है, वह करेक्ट पोजीशन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिस्टर्स को बहुत ज्यादा सुविधा है और जिस प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग वे करते हैं उसको देखते हुए मैं तो यह समझता हूं कि यह जो प्रोविजन, अमेंडमेंट आप ला रहे हैं गवर्नमेन्ट को इस अमेंडमेंट को तुरन्त ही विद्ड्रा कर लेना चाहिए। विदड्रा इस सेन्स में कि यूं तो राजस्थान के अन्दर जितने भी मिनिस्टर्स टूरस् करते हैं, कार और सब तरह से वे टूर करते हैं। इसकी उनको पूरी तरह की सुविधा है और एम०एल०ए० की सुविधा देखी जाये तो राजस्थान विधान सभा के एक एम० एल०ए० को इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। राजस्थान के अन्दर जब असेम्बली का सेशन न हो, कमेटी की कोई मीटिंग न हो, और उसके अलावा एक एम. एल. ए. राजस्थान में कहीं जाता है तो उसको खुद को अपना खर्चा करना पड़ता है और किसी भी प्रकार का साधन का प्रयोग वह नहीं कर सकता है। जनरली मिनिस्टर लगातार राजस्थान में बार बार अपनी कारों का प्रयोग करते हैं और कारों का पूरा एडवान्टेज लेते हैं। हां यह जरूर है कि राजस्थान के बाहर उनको यह एडवान्टेज नहीं मिलता है। जबकि इतनी सुविधा है, वे थोड़ा खर्चा भी कर लें बाहर के टूरस् में तो मेरे ख्याल में यह समाजवाद के अनुकूल ही होगा और अगर आप समाजवाद को पनपाना चाहते हैं और इस प्रकार का प्रोविजन करके, अमेंडमेंट करके अपनी सुविधाओं को और बढ़ावें तो मेरी राय में यह नहीं करना चाहिये। इसके लिए जल्दी से जल्दी अपने को निर्णय ले लेना चाहिये और जब समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं तो इस प्रकार का

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अमेंडमेंट नहीं लाना चाहिए और गवर्नमेंट को यह प्रोवीजन, अमेंडमेंट विदड्रा कर लेना चाहिये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : राम राम जपना पराया माल अपना– यह नीति आज मिनिस्टर्स ने अपनाली है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्षमा करें, आपकी जानकारी के लिये इसको और पढ़ लीजिये। 164 में यह आर प्रोविजन है।

"A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister."

जो मिनिस्टर हैं और सदन के मेम्बर नहीं हैं उसको भी यह फेसिलिटी मिल सकती है। इन्टेशन नहीं है लेकिन यह भी हो सकता है। यह कानून मिनिस्टर पर एप्लाय करेगा तो आप उस आदमी को जो मिनिस्टर बन गया और इस सदन का सदस्य नहीं है उसको कैसे इससे वंचित करेंगे। इसलिये मिनिस्टर और एम. एल. ए. दोनों में डिफ्रेंस है और उनके लिये अलग से प्रोविजन है। क्या मेम्बर नहीं होने पर भी उसको सुविधा रहेगी। इसलिये इसको डिबार किया गया है। इस लाइट में, स्पेसिफिक प्रोविजन में आप इसको देखिये। मैंने एक वैधानिक प्रश्न उठाया है। सुविधा ना मिले, यह मैं नहीं कहता हूं, नैतिकता क्या है यह भी नहीं कह रहा हूं। यह आप करना चाहते हैं तो मिनिस्टर्स सैलेरिज एक्ट में करिये। 50 हजार का असेम्बली का जो फण्ड है उसमें से आप यह चार्ज करना चाहते हैं। कन्सोलीडेटेड फण्ड में आपने यह रखा है आप वहां से पैसा लीजिये असेम्बली के बजट से क्यों लेना चाहते हैं। यह मैलाफाइडी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी ...

(श्री गामाफत्ता के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री गामाफत्ताजी : माननीय उपाध्यक्ष जी, कृपया मुझे भी थोड़ा सुन लीजिये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : किसी भी सदस्य को बोलने का हक है। ये सदस्य के मुंह के आगे से माइक हटा कर उनको रोक रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस प्रकार स्वतन्त्र पार्टी वालों ने अपने एक सदस्य को दूसरी तरफ से भेज दिया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संवैधानिक आपत्ति उठाई है कि संविधान के आर्टिकल 164 में मिनिस्टरों की वेतन वगैरह फिक्स करने का प्रावधान है और 195 व 186 मेम्बर की सेलेरीज वगैरह इमोल्यूमेंट्स के बारे में है।

आपकी बहस का मतलब यह है कि मिनिस्टर को कोई भी प्रिविलेज देना हो तो 195 के तहत होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं ?

Page No 126

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सोरी, 164 के तहत होना चाहिये। 195 के तहत नहीं।

मेरे खयाल से ये दोनों विषय स्टेट लेजिस्लेचर के हैं और स्टेट को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। कानून न बने तब क्या हो? इसका प्रावधान 164 में अलग कर रखा है और इसमें भी कर रखा है। तो स्टेट का दोनों मसलों पर कानून बनाने का अधिकार है। अब सरकार चाहे तो एक कानून में दोनों के बारे में प्रावधान रख सकती है, और दो अलग अलग कानून भी बना सकती है। अब एक में ही दोनों का प्रावधान बना देने से वह असंवैधानिक नहीं हो जाता। एक बात।

दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इसके अन्दर जो मेम्बर आफ दी लेजिस्लेटिव असेम्बली, असेम्बली के मेम्बर की हैसियत से उसको टूरिंग का सुविधा राजस्थान के अन्दर और राजस्थान के बाहर 12000 किलोमीटर तक की मिली है जो कि सुविधा अन्य माननीय सदस्यों को है पर मिनिस्टरों को नहीं है या स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को नहीं है। उन्हें जो सुविधा मिलती है वह मिनिस्टर के हैसियत से नहीं बल्कि एम. एल. ए. की हैसियत से जब मिनिस्टर की हैसियत से अन्जाम नहीं दे रहे हों अपनी प्राइवेट टूर और ट्रिप पर जैसे माननीय सदस्य बिना असेम्बली वर्क के जा सकते हैं हिन्दुस्तान भर में 12 हजार किलोमीटर तक, उनको अधिकार है, उसी तरह से मिनिस्टर को मिनिस्टर की हैसियत में नहीं, साधारण एम.एल.ए. की हैसियत में जाना पड़े तो वे जा सकें इसलिये दोनों को समान रूप से सुविधा हो उसके लिये कई मेम्बरों को सुविधा दी गई है मेम्बर की हैसियत है तो उन लोगों को भी सुविधा मेम्बर की हैसियत से दी गई है, चाहे वह मिनिस्टर हो। तो इस कानून को रख देने से असंवैधानिक नहीं हो जाता।

स्टेट को दोनों में कानून बनाने का अधिकार है। एक में दोनों का प्रावधान रखने का अधिकार है। इसलिये संवैधानिक आपत्ति मेरे खयाल से ऐसा वजन नहीं है कि जिसकी बिना पर यह असंवैधानिक कहा जा सके।

श्री मदनसिंह : उसका जवाब नहीं दिया कि किस वक्त वे एम.एल.ए. नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेम्बर आफ दी लेजिस्लेचर मैंने कहा है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह बसों की सुविधा मेम्बरों को मिली हुई है, वही सुविधा मन्त्री महोदय क्यों नहीं ले लेते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यस यस। हीयर हीयर।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : उसकी भी आवश्यकता होगी तो देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

एक मन्त्री और विधायक में कोई फर्क नहीं किया जा सकता इसलिये एक ही बिधयेक में दोनों को यात्रा सुविधाएं देने का उल्लेख किया जाता है तो आपत्ति नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि राजस्थान के मिनिस्टर, ये मिनिस्टर आल टाइम पब्लिक सरवेन्ट हैं । दूसरी तरफ लेजिस्लेचर के विधायक केवल विधायक हैं, लेजिस्लेचर के सरवेन्ट नहीं हैं। विधायक आल टाइम सरवेन्ट नहीं है । मिनिस्टरों के लिये छुट्टी की कोई व्यवस्था और नियम नहीं है। रूल्स में कहीं कोई मिनिस्टर छुट्टी जावेगा इस प्रकार का प्रावधान मैंने नहीं देखा । अब अगर आप यह सहूलियत मिनिस्टर को देते हैं तो यह निर्णय करना कठिन होगा कि कौन से पीरियड में वह प्राइवेट कन्सेशन और सहूलियतों का उपयोग करेगा और किस प्रकार इन दोनों में डिसएसोसियेशन किया जावेगा, यह दोनों बातें स्पष्ट नहीं हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री जो आल टाइम पब्लिक सरवेन्ट गिना जाता है वह कब बिना छुट्टी के या छुट्टी लेकर कहां जा रहा है अपनी प्राइवेट विजिट पर । इसको किस तरह से आप कन्टेम्पलेट करके चलेंगे । यह जरा स्पष्ट कर दें ।

(4. 26 म. प.)
(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मिनिस्टर की हैसियत से काम करना पड़ता है और करते हैं कई बार डोमेस्टिक काम निकल सकते हैं पोलिटिकल काम भी निकल सकते हैं जिन पर मिनिस्टर को भी जाना पड़ता है । अब इन कामों पर जाने पर मिनिस्टर अगर सरकारी साधनों का उपयोग करते हैं तो इसके लिये कई बार बाहर और सदन में भी टीका टिप्पणी की गई है । इसलिये बिना मिनिस्टर की हैसियत के वे सामान्य विधायक की हैसियत से भी विधायक को दी गई सुविधाएं उनको भी मिलें इसलिये ये सुविधाएं उन तक भी एक्सटेण्ड की गई हैं ।

अब रहा सवाल छुट्टी का तो छुट्टी जाने का सवाल वैसे नहीं है । छुट्टी या काम से जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर से पूछ लेते हैं। वैसे सर्विस रूल्स कोई बने हुए हों ऐसी बात नहीं है । इतनी प्रिविलेज लीव और इतनी केजुअल लीव हैं यह बात भी नहीं है । तनखा भी नहीं कटती है ।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं है । सवाल तो यह है कि मिनिस्टर आल टाइम पब्लिक सरवेन्ट माने जाते हैं । इस नाते कानून में उनको विशेष प्रोटेक्शन भी मिले हुए हैं । पब्लिक का कोई व्यक्ति या विधायक किसी अन्य के साथ झगड़ा कर लेता है तो 323 में रिपोर्ट होगी, पर मिनिस्टर के साथ अगर झगड़ा हो जाता है तो वह मामला सरकारी काम में हस्तक्षेप का बन जाता है । तो एक विधायक की स्थिति में और मिनिस्टर की स्थिति में इस तरह से फर्क है ।

तो मिनिस्टर के एक आल टाइम पब्लिक सरवेन्ट होने के नाते मैं जानना चाहूंगा कि रूल्स स्पेसिफिक नहीं हैं कि कब मिनिस्टर माने जायेंगे और अब मिनिस्टर नहीं रहेंगे और आर्डिनरी विधायक की हैसियत में रहेंगे । पब्लिक सरवेन्ट की स्थिति उनकी नहीं रहेगी । यह आप डिफाइन करें । जब तक ये दोनों बातें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक आप चाहे जैसा फायदा इनको पहुंचाने की बात करें, वह दूसरी बात है, पर मैं तो यह निवेदन करूंगा कि

(श्री भैरोंसिंह)

यह स्टेट असेम्बली के फण्ड से मनी जा रहा है। हमें दर्द नहीं है सरकार आज तक जिस तरह से अपने कन्सोलिडेटेड फण्ड से खर्च करती रही है। पर इसका भार विधान सभा के फण्ड पर डाला है। इसलिए निवेदन करूंगा कि आप विधान सभा के बजट में यह सरकार का जो एनक्रोचमेन्ट हो रहा है, उसको न होने दें और इसकी चेष्टा करेंगे कि यह खर्चा विधान सभा का न हो। वरना मैं समझता हूं कि इस कन्सेशन के नाम पर आज तो यही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नाइस अपील।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टाइमली आलसो।

श्री भैरोंसिंह : आप कई दिनों की अस्वस्थता के बाद यहां आये हैं तो स्वस्थ परम्परा डालने में सहयोग देंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आजतक अस्वस्थ रहा ऐसा कहना चाहते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि बीमारी में हृदय परिवर्तन मानसिक परिवर्तन आदि होते हैं और तब हर स्थिति में स्वस्थ होकर चलते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो आप और हम दोनों ही समान स्तर पर हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको तो आगे का पीछे का सब बातों का विचार करना पड़ा है। फिर आपने तो आगे भी देखा है।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा के प्रांगण पर रह कर आपने और अधिक चिन्तन किया है।

श्री भैरोंसिंह : इसने तो और अधिक चिन्ता में डाला है। तो कम से कम ऐसे विषय पर सदन के अध्यक्ष को विचार करना चाहिए जिसमें इसका भार विधान सभा के बजट पर पड़ता हो। इनके खर्चों की पहले भी चर्चा होती रही है। आलोचना भी हुई है यहां और बाहर। आप पर असर हुआ हो ऐसा नहीं था आज तक तो मिनिस्टर्स का और विधायकों का जैसे माननीय सदस्य बिरदीचन्दजी ने और सतीशचन्द्रजी ने प्रस्ताव रखा है—दोनों को अलग-अलग लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विधान सभा का बढ़ा हुआ खर्चा नजर आया तो लोगों के अन्दर चर्चा होगी और यह बात सामने आयेगी कि पिछले साल विधान सभा का इतना खर्चा आया था और अब इतना बढ़ गया है। इसलिए मैं समझता हूं विधान सभा की पवित्रता को बनाये रखने के लिए जो खर्चा बढ़ रहा है, उसको बचाने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैंने जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़ा स्पष्टीकरण और चाहता हूं कान्स्टीट्यूशनली माननीय सदस्य ने रेज किया है। उनके सम्बन्ध में मैं अभी आब्जरवेशन नहीं दे सकता हूं—जहां तक डिबेट का प्रश्न है वह अलग है, कन्सोलिडेटेड फण्ड असेम्बली में से लिये जायें-एक तो प्रश्न यह है और एक आपका सिक्सटी फोर का एक्ट है जिसमें आपकी

(श्री अध्यक्ष)

पार्टी भी डिवाइडेड है ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति में क्या आप पुनः विचार कर सकते हैं ? एक छोटा सा मसला है जिसमें ख्वामख्वाह कान्स्टीट्यूशनली····

श्री मदनसिंह : 72 में इसका मजा आयेगा···

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर्स 40 हैं, मेम्बर एक-दो हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सलाह को हमेशा हम बहुत गंभीरता से सोचते रहे हैं। मेरे ख्याल से यह ऐसा विषय नहीं है। इस दल के और उस दल के सभी साथी हम इस सदन के प्रागंण में बैठते हैं उसको अलग करने की कोशिश करें, मैं नहीं समझता फिर प्रश्न उठा जिस समय ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस वक्त विरोधी दल के सदस्य भी मौजूद थे। हमारे यहां पर केन्द्रीय सरकार में भी इस प्रकार का प्रावधान है और यह इसलिए जानने की कोशिश की है कि हमारे यहां सदन में कई दफा ऐसे प्रश्न उठे हैं जिसमें मंत्रियों के दौरों के बारे में है और खासतौर से ये दौरे उनकी पार्टी के सम्बन्ध में होते हैं तो कोई प्रश्न यहां पर उठ गया···

श्री भैरोंसिंह : आपने तो उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरे, माननीय सदस्य जो हमारी पार्टी के हों वह अगर किसी अधिवेशन में हिस्सा लें तो वह 12 हजार किलोमीटर का फायदा उठा सकता है। मिनिस्टर इससे वंचित रह जाता है। आज भी हम जाते हैं तो टी० ए०, डी०ए० चार्ज नहीं करते है। इस तरह का केन्द्र में भी प्रावधान है। मैं तो आपकी पार्टी के नेताओं की भी हमेशा इज्जत करता रहा हूं इसलिए मैं बहुत कुछ वजन देकर या प्रेस्टिज इश्यू बनाकर नहीं चल रहा हूं। बातचीत करके ही रखा गया था और जब रखा गया था तो विरोधी दल के साथी भी कन्सलटेशन में साथ थे। खैर, मैं निवेदन करना चाहूंगा—मैं पुनः विचार करूं, सरकार पुनः विचार करे तो मैं उसके लिए पुनः विचार करूंगा पार्टी के नेता महोदय आयेंगे तो उनको भी कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इट इज डैफर्ड। और आगे क्या है।

श्री रामकिशन : आज तो छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4.35 म० प० दिनांक 10-11-1970 के प्रातः 11-00 म० पू० के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 55 की सूची)

प्रतिलिपि सं० प. 1 (100) शिक्षा/प्र-6/69 दिनांक 17 जनवरी, 1970 ओर से सहायक शासन सचिव, शिक्षा विभाग (प्र-6) राजस्थान, जयपुर, वास्ते, निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषयः—श्री जे० बी० हायर सेकेण्डरी स्कूल, लाडनूं का अनुदान।

राज्य विधान सभा के गत एवं वर्तमान सत्र में उक्त शाला के संचालक मण्डल का विधिवत गठन न होने के सम्बन्ध में प्रश्न आये हैं। संस्था के विधान को देखने से प्रतीत होता है कि यह वास्तविक रूप में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की भावना के अनुसार न होकर सदस्यता एकाधिकार लिए हुए प्रतीत होता है क्योंकि इनकी प्रबन्ध समिति में जो भी सदस्य लिए गये हैं वे सभी निश्चित वर्ग पेरेन्ट बाड़ी तथा ट्रस्ट की ओर से मनोनीत है। पेरेन्ट बाड़ी तथा ट्रस्ट के सदस्यों के चयन की कोई पद्धति स्पष्ट नहीं है जिसमें तमाम अधिकार ट्रस्ट बोर्ड में ही निहित है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतीत होता है कि इस संस्था की सदस्यता केवल ट्रस्ट बोर्ड व पेरेन्ट बॉडी तक ही सीमित है। यद्यपि इस संस्था का विधान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजिकृत है किन्तु अपरोक्ष रूप में संस्था का विधान एकाधिकार लिए हुए है।

अतः मुझे यह लिखने का निर्देश है कि जब तक यह संस्था अपने संचालक मण्डल का विधिवत गठन न करले तब तक उसकी राजकीय सहायता अनुदान रोक दिया जावे।

Copy of letter No. F. 1 (100) Edu/CP/VI/69 dated 30th March, 1970 from the Asstt. Secretary to the Government, Rajasthan Jaipur, to the Director, Primary and Secondary Edu., Rajasthan, Bikaner.

Sub:-Release of Grant-in aid to J. B. Higher Sec. School, Ladnu for the year 1969-70.

Ref:-Your letter No. EDB Aid/C/16917/J-2/64-69 dated 5.3.70.

In view of the circumstances explained by you there appears to be no objection in relating the Grant-in-aid to the J. B. Higher Secondary School, Ladnu as desired.

प्रतिलिपि सं. प-1(100) शिक्षा/प्र-6/69 दिनांक 16 जुलाई 1970 ओर से

सहायक शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर (शिक्षा विभाग), वास्ते, निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषय:-जे. बी. माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं की व्यवस्थापन समिति का नियमानुसार गठन एवं अनुदान का भुगतान किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में मुझे यह लिखने का निदेश है कि संस्था के विधान की उपयुक्तता की जांच का कार्य विद्यालय निरीक्षक एवं रजिस्ट्रार को-ओपरेटिव सोसायटीज के कार्यालयों का ही है। विद्यालय निरीक्षक, नागौर ने अपने पत्र क्र. शिविना/लेखा/68-70/13922,24 दिनांक 19-3-70 के द्वारा सूचित किया है कि संस्था का संशोधित विधान ठीक है। विधान की अनुपयुक्तता के कारण अनुदान रोकना अब वांछनीय नहीं है। अतः अनुदान नियमानुसार चालू कर दिया जावे।

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

साही डाइवर्सन का कार्य

63. श्री पृथ्वीसिंह (बाली): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) साही डाइवर्सन का कार्य किस तारीख को चालू किया गया ?

(2) इस कार्य पर दिनांक 31-3-70 तक अधिकतम मजदूर संख्या कितनी थी ?

(3) इस कार्य पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा, शिक्षा यात्रा, आवास एवं सस्ते अनाज की उपलब्धि हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है? यदि अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ? व्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 1-3-70 को सुरंग में विस्फोट के फलस्वरूप आठ मजदूर जख्मी हो गये थे ? जिन्हें मौके पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुमेरपुर ले जाना पड़ा था ?

उत्तर

1. यह कार्य नवम्बर सन् 1969 में प्रारम्भ किया गया।

2. इस योजना पर दिनांक 31-3-70 को मजदूरों की अधिकतम संख्या 1238 थी।

3. इस योजना पर कार्यरत सभी मजदूरों एवं कर्मचारियों की सुविधा हेतु अब तक निम्न व्यवस्थाऐं की गई हैं:—

(अ) चिकित्सा हेतु राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय खोला गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक कम्पाउन्डर नियुक्त है।

(ब) आवास हेतु क्वार्टर्स, लेबर हट्स बना दिये गये हैं।

(स) यात्रा हेतु उदयपुर पिंडवाड़ा रोड़ पर प्रतिदिन यात्री वाहन चलने लगे हैं, जो सेई साईट तक, यात्रियों के लिये आते जाते हैं।

(द) सस्ते अनाज की दुकानें बेकरियां ग्राम में खोली गई हैं जो योजना स्थल से एक मील दूर है।

(4) जी नहीं।

सुमेरपुर में कन्या शाला भवन के निर्माण पर व्यय

64. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर (जिला पाली) में कन्याशाला भवन हेतु 85 हजार रुपये खर्च किये जा चुके हैं ? यदि हां तो यह रकम किसने खर्च की है ?

(2) क्या यह सही हैं कि 85 हजार रु. खर्च किये जाने पर भी उक्त कन्या शाला भवन अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो पूर्ण नहीं करवाने से क्या ये 85 हजार भी बर्बाद होने की आशंका नहीं है क्योंकि खुला भीगता हुआ यह भवन कभी भी धराशायी हो सकता है ? यदि हां, तो इस सम्पति को नष्ट होने से बचाने का सरकार क्या सोचती है ?

(शिक्षा मंत्री)

1. जी नहीं। सुमेरपुर जिला पाली में कन्या शाला भवन पर कुल खर्च 64384-91 रु. हुआ है मगर उसके पेटे ठेकेदार को 57745-52 पैसे का भुगतान किया जा चुका है एवं 6739-39 का भुगतान करना शेष है। यह राशि श्री मोहन राज सुराना भूतपूर्व सरपंच ने खर्च की थी।

2. जी हां। सामान्यतः शाला क्रमोन्नत करते समय शाला के भवन निर्माण का उत्तरदायित्व ग्रामवासियों का होता है।

अकाल सहायता कार्यों पर व्यय

65. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान निर्माण के पश्चात् आज तक कितने अकाल पड़े एवं अकाल सहायता के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है? वर्षवार और जिलेवार आंकड़े दे दिए जायं और यह भी बतलाया जाय कि प्रति वर्ष कितनी 2 जनसंख्या पशु संख्या व क्षेत्रफल अकाल से प्रभावित रहा?

(स्थगित किया गया)

जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर बसें

66. श्री बालसिंह सोढ़ा (जसलमेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जोधपुर से जैसलमेर रूट स्वीकृत हो चुका है और लोगों के प्रार्थना पत्र भी कई अर्से से पड़े हैं? अगर हां, तो कितने प्रार्थना पत्र कब से पड़े हैं और उन पर कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भी अपनी बस इस रूट पर लगाने का विचार कर रहा है? अगर हां, तो कब तक इस रूट पर बस लग जावेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि बीकानेर अनूपगढ़ रूट पर कई बस मालिकों की बसें चलाने की आज्ञा पत्र प्राप्त हैं परन्तु छतरगढ़ से अनूपगढ़ एक हीं बस चल रही है? अगर हां, तो नहीं चलाने वाले परमिट खारिज क्यों नहीं किये जा रहे हैं व कितने परमिट हैं इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि छतरगढ़ से अनूपगढ़ रूट पर जनता को आने जाने की बड़ी दिक्कत है? अगर हां, तो राज्य सरकार कब तक और बसें चलाने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) जी हां, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर ने जोधपुर-जैसलमेर मार्ग को खोलना स्वीकृत कर दिया है। इस मार्ग के लिये प्राप्त विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। इस मार्ग को खोलने के विरुद्ध राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष निगरानी की गई जिसमें मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जोधपुर को फिर से निर्णय करने के आदेश दिये। अतः मामला दिनांक 15-6-70 को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण,।

(यातायात मंत्री)

जोधपुर की बैठक में रखा गया जिसमें निर्णय लिया गया कि मार्ग खोला जाये व आवेदन पत्र पर विचार 9-9-70 को किया जाये। दिनांक 10-9-70 व 11-9-70 को समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई नहीं की जा सकी और जब यह मामला आगामी बैठक में सुनवाई हेतु एवं परमिट स्वीकृत करने के बाबत रखा गया है।

2. जी हां, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भी उपरोक्त मार्ग के लिये आवेदन कर्ता हैं और अनुज्ञा पत्र स्वीकृत होने पर बस सर्विस चालू कर दी जावेगी।

बीकानेर अनूपगढ़ रूट पर 7 परमिट हैं और 4 टाइमिंग हैं। रूट पूरा पक्का बना हुआ नहीं है। छतरगढ़ से अनूपगढ़ के बीच में रेत के टीबें हैं जिसमें 4×4 गाड़ी ही चल सकती है।

7 परमिट में से 3 गाड़ियां 4×4 की चलती हैं और 4 सिविल गाड़ियां छतरगढ़ तक ही चलती हैं यह मामला शिकायत के तौर पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण बीकानेर के समक्ष पिछली बैठक माह सितम्बर, 1970 में लिया गया जिसमें पूरे रूट पर नहीं चलने वाले अनुज्ञापत्रधारियों पर एक दो हजार याने कुल 4 हजार रुपया जुर्माना किया तथा उनसे छः माह तक पूरे रूट पर चलाने का अन्डरटेकिंग लिया गया।

इस रूट पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, बीकानेर ने स्कोप 7 से बढ़ाकर 11 कर दिया है और प्राधिकरण की दिनांक 7, 8, 9 दिसम्बर, 1970 को होने वाली अगली बैठक में सुनवाई करके परमिट देने की व्यवस्था की जावेगी।

सूची

आवेदक का नाम	आवेदन पत्र प्रस्तुत दिनांक
1. नेहरू मोटर ट्रा० को० सोसायटी लि० जोधपुर	19-1-68
2. भूतपूर्व केप्टीन श्यामसिंह जोधपुर	17- 9-68
3. श्रीमती पदमकौर, जोधपुर	21-10-68
4. श्री जयरूप राम, जोधपुर	21-11-68
5. श्री भंवरलाल, जोधपुर	21-11-68
6. सरदार मनजीतसिंह, जोधपुर	30- 9-69
7. सरदार जोगेन्द्रसिंह, जोधपुर	30- 9-69
8. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	16- 4-70
9. श्री मोहनलाल जोधपुर	25- 4-70
10. श्री द्रोणाचार्य जोधपुर	25- 4-70
11. श्री शंकरलाल जोधपुर	27- 4-70
12. श्री लक्ष्मी नारायण, जोधपुर	27- 4-70
13. श्री जेठानन्द चन्दानी जोधपुर,	13- 5-70

पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के अधिकार

67. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सौंपे गये कई कार्य उनसे वापिस छीन लिए गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से और क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन संस्थाओं और इनके निर्वाचित सरपंचों प्रधानों, प्रमुखों को दिये गये कई अधिकार राज्य सरकार ने वापिस ले लिये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से और क्यों ?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि ये संस्थाएं अब अधिकारहीन, साधन हीन और पंगु हो गई हैं ?

(4) क्या इन संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं करवाने के कारण भी इन संस्थाओं को हानि हुई है और जनता में निराशा आई है ?

(5) इनके चुनाव कब करवाने थे ? कब कब चुनाव करवाने की तिथियां घोषित की गईं और फिर भी चुनाव नहीं करवाए तथा क्यों ?

उत्तर

1. जी नहीं।
2. जी नहीं।
3. जी नहीं।
4. जी नहीं।
5. पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के चुनाव क्रमश: 20-1-68, 7-2-68 एवं 25-2-68 से पूर्व करवाने थे। निर्वाचन विभाग द्वारा चुनाव के लिए कोई तिथियां घोषित नहीं की गई। पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1969 जारी किया गया जो कि 4-1-69 से प्रभावशील माना गया जिसके फलस्वरूप पंचायत चुनाव 20-1-70 से पूर्व करवाने थे। किन्तु इसी बीच राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया गया है। जब निर्वाचन विभाग द्वारा पंचायत ग्राम चुनाव के लिये दिनांक 10, 13 एवं 16 दिसम्बर 1970 तिथियां निश्चित कर दी हैं इसके तुरन्त पश्चात् ही पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के चुनाव भी मौजूदा कार्य विधि से पूर्व सम्पन्न कराने का कार्यक्रम है।

गंग कैनाल से क्षति

68. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंजाब के हिस्से में गंग कैनाल नहर टूट गई थी ?

(2) पक्की कैनाल के टूटने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि कैनाल को पंजाब प्रदेश में रूपनगर गांव के पास वहां के किसानों ने नहर में कट किया था ?

(4) यदि हां, तो क्या किसी पंजाबी किसान के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया

Page No 137

(श्री हंसराज)

गया है ? यदि हां, तो कितने किसानों के खिलाफ ?

(5) यह नहर कितने फुट की लम्बाई में तोड़ी गई थी और उसका पानी पंजाब के कितने रकबे में फैल गया था ? क्या उस रकबे की पैमाइश की गई है ?

(6) इस पानी का कितना आबियाना वसूल होने की सम्भावना है ?

(7) नहर की बंधाई में कितना समय लगा और कितनी धनराशि व्यय हुई तथा सिंचाई में कितनी हानि हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) इसे पंजाब के काश्तकारों ने जानबूझ कर काट दिया था।

(3) जी हां।

(4) यह पंजाब प्रदेश से संबंधित है।

(5) पंजाब के हिस्से में गंग केनाल को करीबन 250 फीट की चौड़ाई में काटा गया था। इससे अंदाजन तीन या चार हजार बीघा में पानी फिरा। क्योंकि पानी पंजाब में फैला इसलिये इसका ज्ञान इस विभाग को नहीं है।

(6) यह पंजाब प्रदेश से संबंधित है।

(7) नहर दो तथा तीन अक्टूबर की मध्य रात्रि में काटी गई थी तथा पांच अक्टूबर 70 तक इसे बंद कर दिया था धीरे धीरे इसे मजबूत किया गया। धनराशि के आंकड़े पंजाब सरकार से उपलब्ध हो सकते हैं। कट के कारण करीबन एक सप्ताह तक सिंचाई असुविधा बनी रही।

(8) जी हां।

(9) यह पंजाब सरकार द्वारा वार्षिक प्रावधान से संभव हो सकेगी।

चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव

69. **श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ़):** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव बहुत समय से नहीं करवाये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन के कब कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरदार-शहर तहसील क्षेत्र की एक न्याय पंचायत के चैयरमैन एक कत्ल के मामले में बहुत समय से फरार हैं जिससे उस न्याय पंचायत की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस न्याय पंचायत के पंचों ने संबंधित अधिकारी तथा पंचायत विभाग को कई बार लिखित शिकायत इस चेयरमैन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों नहीं की गई ? अब राज्य सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है और कब तक ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत सचिव के पदों पर नियुक्ति

70. श्री **गंगासहाय** (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में मैट्रिक पास व ट्रेण्ड पंचायत सचिव कितने हैं।

(2) कितने पंचायत सचिवों को ग्रुप पंचायत सचिवों के पद पर नियुक्त किया है ? इसमें कितने मैट्रिक पास व ट्रेण्ड हैं और कितने नान-मैट्रिक व अनट्रेण्ड हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या ऐसे पंचायत सचिव भी हैं जो मैट्रिक हैं, ट्रेण्ड हैं और जिनको पंचायत सचिव पद पर कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है परन्तु ग्रुप पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कितने ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूची)

For 55/EM by Shri Ramanand

Applications received for the post of Inspector of Physical Education :—

	QUALIFICATIONS
1. Dr. Mini Mohan Lall	1. PHILOSOPHY DOCTOR IN PEDAYLOGY from U.S.S.R. Subject of Thesis :— Research on methods for the Practical training of Volley-ball players and teaching the knack of conducting observations. 2. Passed the Post-Graduate Examination with specialisation in Theory and methods of Physical Education from Kiev State Physical Culture Institute Kiev, U.S.S.R. 3. M.A. in History from University of Rajasthan. 4. Qualified as a Coach in the first ADHOC COURSE OF THE NATIONAL INSTITUTE OF SPORTS, PATIALA and got 68 % Marks.
2. Shri Prem Shanker, Senior teacher, Govt. Physical Education College, Jodhpur.	1. M. Com. 2. Diploma in Physical Education (Madras) 3. Master Degree in Physical Education Patiala.
3. Shri Triloki Nath Bhargava, Senior Teacher, Govt. Physical Education College, Jodhpur.	1. Awaiting result of Master Degree in Physical Education, 1969. 2. Diploma in Physical Education (Madras) 1954.

	3. Diploma in Physical Education Madras, 1952.
	4. Diploma in Civil Defence Nagpur, 1966.
	5. B. Sc. Punjab University, 1954.
	6. Honorary Coach-Cum-Official 1954 (Amataur Atheletic Fade~~-~~ration of India).
4. Shri Yogendra Nath Bhargava. P.T.I. S.K. Govt. College, Sikar.	1. M.A. History.
	2. Professional :—
	1. M.P.E. Master's Degree (two years course) in physical Education from Laxmibai College of Physical Education, Jiwaji University, Gwalior.
	3. Diploma in Physical Education from the College of Physical Education, Rajasthan.
5. Shri J. P. Bagarhatta Physical Instructor, S. M. S. Medical College, Jaipur.	1. Post-graduate Diplcma in Physical Education from Lucknow University in 1955-56.
	2. Diploma in Coaching of Hockey from National Institute of Sports in 62.
	3. Master's Degree in Physical Education from Punjab University Patiala in 1967.
	4. Certificate of Yoga from Girdhar Ashras, Ajmer.
	5. Coach appointed by Rajasthan State Sports Council in 1959.

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 48 की सूची)

APPENDIX 'A'

Students belonging to Scheduled Tribes will be paid full scholarship but in the cases of Scheduled Castes, de-notified, nomadic and semi-nomadic tribes and Lower Income Group students as defined in Regulation VI (iii) the scholarship will be paid to the students according to the following means Test—

(a) In case of students whose parents/guardians Income from all sources does not exceed Rs. 300/- p.m. (b) In case of students who are employed and have to support a family, the total income from all sources of the family including their own earning does not exceed Rs. 360/- p. m. (c) In case of students who are employed on a monthly income upto Rs. 60/- p.m. and have not to support a family	Full Scholarship
(d) In case of students whose parents/guardians income from all sources exceeds Rs. 300/p.m. but does not exceed Rs. 400 - p.m.	Two-Third maintenance charges and full fees.

(But in case two or more children of the parents/guardian falling under this income group are selected, the eldest will be awarded 2/3rds Maintence Allowanance while others will get the full amount).

(e) In case of students whose parents/guardians income from all sources exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/- p.m. provided that the number of children receiving post-matriculation education is more than one.

(f) In case of students who are employed and have to support a family, the total income from all sources of the family including their own earning exceeds Rs. 360/-p.m. but does not exceed Rs. 475/- p.m. (g) In case of students who are employed on a monthly income exceeding Rs. 60/-p.m. but not exceeding Rs. 175/-p.m. and have not to support a family.	Half maintenance charge and full fees.
(h) If the income of the parent/guardian from all sources exceeds Rs. 500/- p.m. (i) If the student is the only child receiving past/matric education of parents/guardians whose income from all sources exceeding Rs. 400/-p.m. (j) In the case of students who are employed and have to support a family, if the total income from all sources of the family including their own earning exceeds Rs. 475/- p. m. (k) If the student is employed on a monthly income exceeding Rs. 175/-p.m. and has not to support a family.	No Scholarship.

APPENDIX (B)

A scholarship holder under this Scheme will not hold any other scholarship stipend/remuneration. If awarded any other scholarship of a higher value the student can exercise his option for either of the two, two scholarships, which ever is beneficial to him and should inform the awarding authority through the Head of the Institution about the option made. No scholarship will be paid to the student under this scheme from the date he/she accepts another scholarship/stipend/remuneration.

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं० 48 की सूची)

तालिका

क्र० संख्या	नाम कार्य	धनराशि	मद	रिमार्क
1.	मच्छी	3,500/-	44 एम. एण्ड आर.	यह अकाल राहत कार्य के मद से नहीं बनाई गई।
2.	फव्वारा	—	—	कोई फव्वारा नहीं बनाया गया।
3.	बगीचा	—	- -	यह पहले से ही बना हुआ है।
4.	बरांडा	4,000/-	44 एम.एण्ड आर.	यह रेग्यूलर बजट हैड 44 के अन्तर्गत बनाया गया है, अकाल राहत कार्य से नहीं।
5.	पुतले	400/-	,,	ये पहले से ही बने हुए हैं। जिनका सुधार रेग्यूलर बजट हैड 44 से किया गया।

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं० 53 की सूची)

घग्घर में पिछले दस साल में जो डिस्चार्ज जिस तारीख को सब से पहले आया और पहली बार आया उसका विवरण (सूची घ)

साल	तारीख जिसको पानी आया	डिस्चार्ज जो उस तारीख को था	उस साल सबसे ज्यादा पानी का डिस्चार्ज	कम से कम डिस्चार्ज	उस साल पानी सूखने की तारीख	कुल साल एकड़ फीट में	वर्ष का टोटल
1960	12 जुलाई	812 क्यूसिक	6017 क्यूसिक	221	20 अक्टूबर	5.60 लाख एकड़ फीट	3478
1961	15 ,,	844 ,,	4650 ,,	312	8 ,,	6.40 ,, ,,	3860
1962	12 ,,	1278 ,,	18000 ,,	91	29 नवम्बर	7.06 ,, ,,	3070
1963	15 ,,	1162 ,,	6365 ,,	177	28 दिसम्बर	5.00 ,, ,,	2790
1964	13 ,,	2895 ,,	21456 ,,	90	10 नवम्बर	17.14 ,, ,,	7790
1965	19 ,,	2640 ,,	6120 ,,	120	2 दिसम्बर	2.14 ,, ,,	3407
1966	1 ,,	720 ,,	15590 ,,	110	13 सितम्बर	4.94 ,, ,,	5147
1967	6 ,,	1120 ,,	15434 ,,	146	24 सितम्बर	4.90 ,, ,,	3404
1968	11 ,,	245 ,,	18188 ,,	245	8 सितम्बर	8.33 ,, ,,	6939
1969	17 ,,	1904 ,,	9758 ,,	119	2 अक्टूबर	4.89 ,, ,,	3949
1970	3 ,,	476 ,,	7497 ,,	119	13 ,,	3.65 ,, ,,	2184

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 54 की सूची)

सूची बन्धात जो पंचायत समितियां एवं पंचायत की देख रेख में हैं सूची (ब)

1.	बनेखड़	नरेना	फुलेरा
2.	मावसा	,,	,,
3.	काला तालाब जेसमपुरा	जेसमपुरा	दूदू
4.	चांदीयाना	दूदू	,,
5.	फरियादपुरा	फरियादपुरा	,,
6.	नासनौता	नासनौता	,,
7.	तलाई कापड़िया वास	कापड़िया वास कलां	,,
8.	छिलरा	बिचून	,,
9.	बागेत	बागेत	,,

सूची बन्धात जो सिंचाई विभाग की देखरेख में आते हैं
(सूची 'अ')

क्रम संख्या	नामबंध	नाम ग्राम	नाम तहसील
1.	छापरवाड़ा	छापरवाड़ा	दूदू
2.	ढोरिया	खेड़ी	"
3.	धोबालाब	भाग	"
4.	कड़वो का वास	कड़वो का वास	"
5.	नया तालाब भाग	भाग	"
6.	नया बांध मोखमपुरा	मोखमपुरा	"
7.	आना सागर	डोगरा	"
8.	बाढ़ सोलंकियान	मोजमाबाद	"
9.	बड़ तलाब हरसोली	हरसोली	"
10.	छर	छर	"
11.	धमाना	धमाना	"
12.	गंगासागर	दूदू	"
13.	गहलोता	गहलोता	"
14.	बौहरों का दण्ड	बौहरों का दण्ड	"
15.	हनुमान सागर	रोशनपुरा	"
16.	मानपुरा	मानपुरा	"
17.	नया सागर मोजमाबाद	मोजमाबाद	"
18.	लदेरा	लदेरा	"
19.	हनुमान सागर	गागरड़क	"
20.	आकोदा	आकोदा	फुलेरा
21.	बांडोलाव	नरेना	"
22.	चुलिया बास	चुलिया बास	"
23.	धोबीलाव	नरेना	"
24.	जेतपुरा	जेतपुरा	"
25.	कालख सागर	कालख	"

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 58 की सूची)

Copy of letter No. F. 7 (a) (25) Edu./62/Or. 11-I, dated 23 July 1962 from the Secretary to the Govt. Education (Call-I) Deptt, Raj. Jaipur to the Director, Primary & Secondary Education, Raj. Bikaner.

Sub:-Upgrading of aided Middle School, Hindi Vidya Bhawan Middle School, Sikar to Junior Higher Secondary School.

Ref:-Your letter No. EDB/PL/II/21118/50/61 dated 13-6-62.

I am directed to convey sanction of the Governor to the upgrading of Hindi Vidya Bhawan Middle School, Sikar, as aided institution, into a Junior Higher Secondary School with effect from the current academic Session on the additional expenditure will be demanded by the institution for the Plan period.

Copy of letter No. F. 7 (a) (19) Edu/62/Call-I/ dated Jaipur, the 28th July, 1962. From The Section Officer to the Director, Primary & Secondary Education, Rajasthan, Bikaner.

Sub:--Upgrading of aided Middle School to Junior Higher Secondary School 1962-63.

Ref:-Your letter No. EDB/PL/ (II) 21114/199/62-63, dated 9-7-68 and No. EDB/PL/ (II) 21114/208, dated 9-7-62.

I am directed to convey sanction of the Governor to the upgrading of the following aided Middle Schools into Junior Higher Secondary Schools with effect from the current acedemic session on the explicit condition that no grant-in-aid on the additional expenditure will be demanded by these institutions during the Third Five Year Plan.

1. Shri Gita Kanya Middle Schools, Ajmer.
2. Shri Vruhman Jain M. I. Osian. Dist. Jodhpur.
3. Shri Guru Nanak Kanaya Pathshala, Ganganagar.
4. Shri Hanuman Balika Vidyalaya, Ratangarh, Churu.

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 63 की सूची)

		1968-69 (Actual)		*1969-70 (R. E.)*		*1970 71 (B. E.)*	
		Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
1. Colleges	Non Plan	100.27	14.03	158.20	17.64	164.52	18.28
	Plan	36.50	3.74	15.83	1.35	14.60	1.53
						4.36	5.00
2. School	Non Plan	880.29	114.21	1154.75	167.25	1117.29	172.99
	Plan	135.98	24.31	33.78	5.84	57.21	11.96
						32.07	5.58
3. Primary Schools	Non Plan	214.44	47.28	259.47	60.34	271.60	59.36
	Plan	19.13	4.75	3.92	0.65	5.97	1.08
						6.50	1.50

Expdt. under grant-in-aid to Non-Government Colleges, Schools, Universitiesland Panchayat Samitis has not been included as the same is not indicated in the budget estimates.

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 64 की सूची)

संस्था द्वारा संचालित विषय और छात्रों को दिया गया वार्षिक अनुदान

क्रमांक	शाला का नाम	वित्तीय वर्ष 64-65	65-66	66-67	67-68	68-69	69-70
1.	सरस्वती बालिका उ० मा० वि० अजमेर	57474	67565	83532	95436	138220	126903
2.	सरस्वती बालिका कार्यालय अजमेर	4429	4924	6937	11432	26418	22766
3.	सरस्वती बालिका प्राथमिक शाला अजमेर	24677	30267	33226	37296	39243	35165
4.	सरस्वती बाल निकेतन अजमेर	3404	10175	15541	10526	25509	26153

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. सं. 67 की सूची)

गत 5 साल की सैल्स टैक्स की आमदनी

लाख रुपये

वर्ष	जयपुर शहर	जयपुर जिले की अन्य तहसीलात	जयपुर जिला	टोंक जिला
1965-66	401.78	19.25	421.03	10.44
1966-67	494.51	20.92	515.43	9.90
1967-68	557.20	25.48	582.68	12.14
1968-69	593.55	27.27	620.82	16.21
1969-70	755.59	35.49	791.08	17.17

जयपुर व टोंक जिले की नगरपालिकाओं की गत 5 वर्षों में चुंगी कर से प्राप्त आय का विवरण

नाम नगरपालिका	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
1. जयपुर	19,62,678	20,66,197	22,66,864	27,62,690	38,01,741
2. सांभर	1,12,212	1,25,095	1,16,181	1,15,869	1,14,251
3. दोसा	40,000	40,000	40,000	36,619	48,189
4. फुलेरा	—	641	4,119	3,693	प्राप्त नहीं है
5. कोट पुतली	26,456	31,606	33,311	30,951	43,030
6. बांदी कुई	22,222	26,330	24,727	प्राप्त नहीं है	
7. आमेर	128	237	244	7,714	16,072
8. चाकसू	16,178	14,295	14,239	14,688	18,819
9. जोबनेर	12,527	12,166	11,350	12,501	15,444
10. चौंमू					
11. टोंक	2,06,127	1,89,850	2,29,054	2,19,384	2,50,062
12. निवाई	39,187	38,285	35,147	1,09,709	1,30,285
13. मालपुरा	20,602	22,006	24,905	32,490	38,130
14. टोडारायसिंह	17,292	24,119	21,015	27,218	30,957
15. उणियारा	11,311	12,000	12,755	13,553	14,835
16. देवली	चुंगी कर नहीं है				

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 9 नवम्बर, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
6		18	डाफ्ट	ड्राफ्ट
7	अन्तिम से	7	घाद	बाद
12	,,	16	पदा	पैदा
16		15	इलेक्टरोल्स	इलेक्टोरल रॉल्स
21		5	चुनाक	चुनाव
,,		17	का	की
42	अन्तिम से	15	कोट	कोर्ट
43	,,	12	इसलिय इसलिए	इसलिये
57		2	—	उत्तर
59		2	—	उत्तर
161	अन्तिम से	10	टेनेन्टरी	टैनेन्सी
162	,,	15	गर	गैर
165	,,	3	गया केश	नया केस
172		8	व्यक्ति	व्यक्त
174		14	को	की
181		9	गहै	गई
,,	अन्तिम से	6	सम्मिलित	सम्मिलित
182	,,	13	व्वक्तव्य	वक्तव्य
188		6	brutul	brutall
192	अन्तिम से	6	बं । ल	बंगाल
193		12	हैं थे ।	थे ।
195	अन्तिम से	7	शिड्यूल्ड कास्ट	शिड्यूल्ड कास्ट्स
,,	,,	5	पक्षकार	पक्षधर

1	2	3		4
197		12	की	को
206	अन्तिम से	12	साशने	सामने
210		3	नालुक	ताल्लुक
214		14	स्ट्रेडिण्ग	स्टैंडिंग
216	अन्तिम से	12	श्री मदन सिंह दातां	श्री मदन सिंह
217	,,	7	रिडप्डेप्डडेण्ड	रिडंडेण्ड
,,	,,	,,	ड्रेसपासर्स डेफीनेशन	ट्रेसपासर्स में डेफीनेशन
218		13	टाइफ	टाइम
220	शीर्षक		1970 पर वचिर –	1970 पर विचार
,,		8	witting	Sitting
222		1	विथ्ड्रा	विथड्रा
223	शीर्ष		—	(श्री उपाध्यक्ष)
249		11	आर	और